भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन

बिहार सरकार

वर्ष 2015 का प्रतिवेदन सं0 - 1

विषय–सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना	-	vii
विहंगावलोकन	-	ix-xiv
अध्याय–I		
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन	1	-
परिचय	1.1-1.3	1
लेखापरीक्षा अधिदेश	1.4-1.6	1-2
राज्य सा0क्षे0उ0 में निवेश	1.7-1.9	2-3
बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/ अर्थसाहाय्य, प्रत्याभूति एवं ऋण	1.10-1.11	3-5
वित्तीय लेखों के साथ समाशोधन	1.12-1.13	5
सा0क्षे0उ0 का कार्य–निष्पादन	1.14-1.18	5-6
लेखाओं के अन्तिमीकरण के बकाये	1.19-1.24	6-8
अकार्यशील सा0क्षे0उ0 का समापन	1.25-1.27	8
लेखों पर टिप्पणियाँ तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा	1.28-1.33	9-11
लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूली	1.34	11
पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति	1.35	11-12
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्संरचना	1.36	13
अध्याय–II		
सरकारी कम्पनी से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा	**2**	
बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की गतिविधियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा		-
कार्यकारी सारांश	-	15-17
परिचय	2.1	17-18
संगठनात्मक ढाँचा	2.2	18
पूँजी संरचना	2.3	18
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.4	18-19
लेखापरीक्षा मापदण्ड	2.5	19

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति	2.6	19-20
लेखापरीक्षा परिणामें	2.7	20
राज्य पर्यटन नीति एवं इसका कार्यान्वयन	2.8	20
वित्त एवं लेखा स्कंध	2.9-2.9.6	21-22
होटलों का कार्य–निष्पादन	2.10-2.10.2	22-25
खान–पान सेवाओं का कार्य–निष्पादन	2.11	25-26
परिवहन सेवाएँ	2.12-2.12.5	26-29
ट्रैवेल–ट्रेड एवं रज्जुमार्ग	2.13-2.13.2	29-30
संरचनात्मक विकास परियोजनाएँ	2.14 – 2.14.2	30-33
आन्तरिक नियंत्रण	2.15	33-34
निष्कर्ष		34
अध्याय – III		
सांविधिक निगम से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा		
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम पर निष्पादन लेखापरीक्षा	**3**	
कार्यकारी सारांश	-	35-36
परिचय	3.1	37
संगठनात्मक ढ़ाँचा	3.2	37
लेखापरीक्षा उद्देश्य	3.3	38
लेखापरीक्षा मापदण्ड	3.4	38
लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति	3.5	38-39
लेखापरीक्षा परिणामें	-	39
वित्तीय कार्य–निष्पादन	3.6-3.6.2	39-40
परिचालन कार्य–निष्पादन	3.7-3.7.10	41-49
लोक निजी भागीदारी योजना	3.8-3.8.2	49-51
आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली एवं शीर्ष प्रबन्धन द्वारा अनुश्रवण	3.9	51-52
निष्कर्ष		52

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
अध्याय–IV		
कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा के प्रेक्षण		
सरकारी कम्पनियाँ		
साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड		
उच्च विभव विनिर्दिष्ट सेवाएँ उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में विपत्रीकरण एवं बकायों के संग्रहण पर दीर्घ कंडिका	4.1	53-60
राजस्व की हानि	4.2	60-61
दाण्डिक शुल्क का अल्प–निर्धारण	4.3	61-62
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड		
दाण्डिक शुल्क का अल्प–निर्धारण	4.4	62-63
बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड		
आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ	4.5	63-65
आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ	4.6	66-67
बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड		
परामर्शी को अनुचित लाभ	4.7	67-69
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड		
टी0डी0एस0 की वापसी का दावा न करने के मद में कम्पनी को हानि	4.8	70-71
बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड		
मुख्यमंत्री राहत कोष में अनियमित अंशदान	4.9	71-72
बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड		
निगम कर का परिहार्य भुगतान	4.10	72-73
निरर्थक व्यय	4.11	73-74

विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
परिहार्य अधिव्यय		4.12	74-76
बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड			
निष्क्रिय व्यय		4.13	76-78
सामान्य			
निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर प्रतिक्रिया		4.14	78-79
परिशिष्ट			
1.1	31 मार्च 2014 को सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के संदर्भ में अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बकाया ऋणों एवं मानव–शक्ति को दर्शानेवाली विवरणी	1.7	81-93
1.2	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंश पूँजी/ऋण, प्राप्त/प्राप्त होने योग्य अनुदान एवं अर्थसाहाय्य, प्राप्त प्रतिभूतियाँ, बकाए का अधित्याग, ऋण जिसे बट्टे खाते में डाला गया एवं वर्ष के दौरान अंश में परिवर्तित किया गया ऋण एवं मार्च 2014 के अंत तक प्रतिभूति देयताओं को दर्शाने वाली विवरणी	1.10	94-96
1.3.	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष हेतु अन्तिमीकृत किए गए लेखाओं का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	1.14, 1.28, 1.29 एवं 1.33	97-106
1.4	सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति की विवरणी	1.14	107-108
1.5	सांविधिक निगमों के कार्यकारी परिणामों की विवरणी	1.14	109-110
1.6	सा0क्षे0उ0 जिनके लेखे बकाये में हैं, में राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश, को दर्शाने वाली विवरणी	1.22	111-112
2.1	31 मार्च 2013 तक समाप्त हुए चार वर्ष के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की वित्तीय स्थिति	2.3	113
2.2	बैंक खातों में पड़ी हुई असमाशोधित राशि में कमी को दर्शाने वाली विवरणी	2.9.1	114
2.3	राज्य में पर्यटकों के आगमन एवं वर्ष 2009–10 से 2013–14 के दौरान उनके द्वारा कम्पनी की आवासीय सुविधा का उपयोग सहित विवरण	2.10	115

विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
2.4	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्व–प्रबन्धित होटलों की सूची	2.10.1	116
2.5	कम्पनी की चार स्व–प्रबन्धित होटलों की संयुक्त जाँच में प्रेक्षित त्रुटियाँ	2.10.1	117-118
3.1	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणामें	3.1 एवं 3.6.1	119-120
3.2	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का संगठनात्मक रूपरेखा	3.2	121
3.3	सभी इनपुट लागतों को बिना ध्यान में लिए दरों के निर्धारण को दर्शाने वाली विवरणी	3.6.2	122
3.4	बेड़ा–शक्ति एवं आयु रूपरेखा	3.7.1	123
3.5	अप्रयुक्त अधिसूचित किलोमीटर को दर्शाने वाली विवरणी	3.7.6	124
3.6	मानव–शक्ति लागत को दर्शाने वाली विवरणी	3.7.7	125
3.7	ईंधन खपत को दर्शाने वाली विवरणी	3.7.8	126
4.1	औद्योगिक नीति के अन्तर्गत प्रदान किए गए अनियमित छूट को दर्शाने वाली विवरणी	4.1.8	127
4.2	कंडक्टरों के क्रय में परिहार्य व्यय को दर्शाने वाली विवरणी	4.6	128
4.3	मास्टर सेवा अनुबंध के अन्तर्गत परियोजनाओं के विवरण को दर्शाने वाली विवरणी	4.7	129
4.4	अधिव्यय के विवरण को दर्शाने वाली विवरणी	4.12	130
4.5	डेस्कटॉप के दोनों मॉडलों की तुलना यथा कम्पनी द्वारा समर्पित जवाब एवं उसपर लेखापरीक्षा प्रेक्षण को दर्शाने वाली विवरणी	4.12	131
4.6	विभाग–वार बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों को दर्शाती विवरणी	4.14	132
4.7	विभाग–वार प्रारूप कंडिकाएँ/निष्पादन लेखापरीक्षाएँ जिनके उत्तर अप्राप्त हैं, को दर्शाती विवरणी	4.14	133

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा परिणामों का उल्लेख करती है।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 की प्रावधानों के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के अनुसार मानित कम्पनी सम्मिलित) की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षक द्वारा अभिप्रमाणित लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा, सी0ए0जी0 के अधिकारियों द्वारा, की जाती है और जिसपर सी0ए0जी0 अपनी टिप्पणी देते हैं अथवा सांविधिक अंकेक्षक (सन्दी लेखाकार) के प्रतिवेदनों को समपूरक करते हैं। इसके अतिरिक्त, इन कम्पनियों की सी0ए0जी0 द्वारा नमूना जाँच भी की जाती है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19–क के अन्तर्गत विधान सभा के पटल पर उपस्थापित करने हेतु सी0ए0जी0, सरकारी कम्पनी एवं सांविधिक निगम की लेखाओं की संबंध में, प्रतिवेदन, सरकार को सुपुर्द करती है।

इस प्रतिवेदन में वे मामलें उल्लेखित हैं, जो वर्ष 2013–14 के दौरान लेखाओं की लेखापरीक्षा के क्रम में देखने में आये और साथ–साथ वे मामलें भी जो पूर्व के वर्षो में ध्यान में आए किन्तु पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलत नहीं किये जा सके थे। 2013–14 के उपरान्त की अवधि से सम्बन्धित मामले भी, जहाँ आवश्यक समझे गये, सम्मिलित कर लिए गये हैं।

इस प्रतिवेदन में सन्निहित सामग्रियों के मामलों में लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानक के अनुरूप, संचालित की गई हैं।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष हेतु सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों पर एक विहंगावलोकन, लेखाओं के साथ–साथ निष्पादन लेखापरीक्षा एवं कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित दो निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनें, एक दीर्घ कंडिका एवं 13 कंडिकाएँ सम्मिलित हैं।

1. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से अधिशासित होती है। सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा सी0ए0जी0 द्वारा नियुक्त संविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा भी भारत के सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा क्रमशः सम्बन्धित विधानों के अनुसार अधिशासित होती है। 31 मार्च 2014 को, बिहार राज्य में 33 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) (30 कम्पनियाँ एवं तीन सांविधिक निगमें) तथा 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 (सभी कम्पनियाँ) थीं जिनमें कुल 0.17 लाख कर्मचारी कार्यरत थे। अपनी अन्तिमीकृत अद्यतन लेखाओं के अनुसार राज्य कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने ₹ 7924.89 करोड़ का आर्वत प्राप्त किया। 30 सितम्बर 2014 तक अपनी अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने कुल ₹ 11.86 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

(कंडिकाएँ 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 एवं 1.6)

राज्य सा0क्षे0उ0 में निवेश

31 मार्च 2014 को, राज्य के 73 सा0क्षे0उ0 में ₹ 28,220.98 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था। 2013-14 के कुल निवेश का 83.39 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र में था। सरकार ने, 2013-14 के दौरान, ₹ 3884.56 करोड़ पूँजी, ऋण एवं अनुदानें/अर्थसाहाय्यों के लिए योगदान दिया।

(कंडिकाएँ 1.7,1.9 एवं 1.10)

सा0क्षे0उ0 का कार्य–निष्पादन

अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार, 33 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में से, 14 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 240.12 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 15 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 203.16 करोड़ की हानि वहन की। शेष चार सा0क्षे0उ0 में से दो सा0क्षे0उ0 ने अपने प्रथम लेखाओं को समर्पित किया जिसमें शून्य लाभ/हानि शामिल था एवं दो सा0क्षे0उ0 ने अभी तक अपने प्रथम लेखे अन्तिमीकृत नहीं किए थे। लाभ में मुख्य रूप से योगदान करने वालों में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 106.99 करोड़), बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (₹ 37.36 करोड़) एवं बिहार राज्य बिवरेजेज निगम लिमिटेड (₹ 39.28 करोड़) मुख्य थे। अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 74.26 करोड़), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 22.79 करोड़) एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 57.69 करोड़) ने अत्यधिक हानि वहन की थी।

(कंडिका 1.15)

लेखापरीक्षा ने सा0क्षे0उ0 के कार्य–निष्पादन में विविध त्रुटियों का प्रेक्षण किया। यह प्रतिवेदन यह इंगित करता है कि राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने ₹ 268.08 करोड़ की नियंत्रणीय हानि वहन की तथा ₹ 32.50 करोड़ का निष्फल निवेश किया।

(कंडिका 1.16)

लेखों की गुणवत्ता

सा0क्षे0उ0 के लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। वर्ष 2013–14 के दौरान प्राप्त किए गए सभी 32 लेखाओं पर, सांविधिक अंकेक्षक ने सशर्त प्रमाण–पत्र दिया। कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन असंतोषजनक था चूँकि 12 लेखाओं में लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धी 15 मामले पाए गए।

(कंडिका 1.29)

लेखों का बकाया एवं समापन

30 सितम्बर 2014 को 33 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में से 29 सा0क्षे0उ0 की लेखाएँ बकाए में थे। बकाया लेखाओं की अवधि एक से 23 वर्षों तक थी। यहाँ 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 थीं, जिनमें नौ सा0क्षे0उ0 समापन की प्रक्रिया में थी।

(कंडिकाएँ 1.20 एवं 1.21)

2. "बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की गतिविधियों" पर निष्पादन लेखापरीक्षा

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना नवम्बर 1980 में एक पूर्ण स्वामित्व सरकारी कम्पनी के रूप में हुआ था जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहन देना था। 31 मार्च 2014 तक कम्पनी के पास राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर स्थित 21 होटलें (10 स्व–प्रबन्धित) थी। कम्पनी के पास अपने होटलों से सम्बद्ध 13 रेस्तराँ (चार स्व–प्रबन्धित) भी था।

कम्पनी की विविध गतिविधियों से संबंधित लेखापरीक्षा परिणामों की परिचर्चा निम्नतः की गई है :

- कम्पनी, कोई दीर्घावधि/परिप्रेक्ष्य योजना/रोडमैप जिसमें आगामी वर्षों में प्राप्य लक्ष्यों अथवा मील के पत्थरों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया हो, के निर्माण में विफल रहा जिसके फलस्वरूप राज्य पर्यटन नीति के पाँच वर्षों के उपरान्त भी राज्य की पर्यटकीय संभावना को प्राप्त नहीं किया जा सका।

(कंडिका 2.8)

- कम्पनी की वित्त एवं लेखा–स्कंध का कार्य–निष्पादन सुव्यवस्थित नहीं था चूँकि बैंक शेषों के समाशोधन नहीं होने, परियोजना–वार बैंक खातों का संधारण नहीं होना, आर0ओ0सी0 के पास वार्षिक रिर्टन दायर नहीं करने के मामले थे।

(कंडिकाएँ 2.9.1, 2.9.2 एवं 2.9.4)

- कम्पनी द्वारा स्व–प्रबन्धित होटलों का लक्ष्यित अधिभोग 60 प्रतिशत पर निर्धारित की गई थी। केवल एक स्व–प्रबन्धित होटल एवं दो स्व–प्रबन्धित होटलों ने ही क्रमशः वर्ष 2011–12 और 2012–13 में 60 प्रतिशत का लक्ष्यित अधिभोग प्राप्त किया था। कमरों के किराया निर्धारण हेतु कम्पनी के पास कोई नीति नहीं थी।

(कंडिकाएँ 2.10.1 एवं 2.10.2)

- मूलभूत सुविधाओं का अभाव, मुख्य परिसम्पत्तियों का संधारण नहीं होना, मानव–शक्ति का अभाव एवं गुणवत्ता सेवाएँ प्रदान करने में गैर–पेशेवर तरीकों के फलस्वरूप होटलों के निम्न अधिभोग में फलित हुआ।

(कंडिका 2.10.1)

- कम्पनी की परिवहन इकाई की सेवाएँ 2009–14 की अवधि में संतोषजनक नहीं था। 2009–10, 2011–12 तथा 2013–14 की अवधि में परिवहन इकाई ने हानि वहन किया और 2010–11 एवं 2012–13 में क्रमशः मात्र ₹ 28 लाख और ₹ तीन लाख की आय अर्जित किया।

(कंडिका 2.12.1)

- परिवहन इकाई की विविध देनदारों की राशि 2010–11 से 2012–13 की अवधि में ₹ 3.42 करोड़ से बढ़कर ₹ 4.81 करोड़ हो गया था।

(कंडिका 2.12.2)

- क्रय की गई नई बसों का उपयोग परिकल्पित उद्देश्यों हेतु नहीं किया गया था। अनुबंध के अनुसार भुगतान जारी नहीं करने एवं बिना लागत–लाभ विश्लेषण किए, कार – भान के क्रय के फलस्वरूप ₹ 1.28 अवरुद्ध रहा।

(कंडिकाएँ 2.12.3 एवं 2.12.4)

- 83 परियोजनाओं के विरुद्ध, केवल 23 परियोजनाएँ ही पूर्ण की गई थी जिसमे से 12 परियोजनाएँ एक से 32 महिनों के परास में विलम्ब से पूर्ण हुई थीं।

(कंडिका 2.14)

- संरचनात्मक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब का मुख्य कारण अनियोजित निष्पादन वस्तुतः बिना वास्तविक स्थल निरीक्षण किए प्राक्कलन तैयार करना, निम्न अनुश्रवण, और कम्पनी के अभियंत्रण स्कंध में अभियन्ताओं का अभाव था।

(कंडिका 2.14)

3. "बिहार राज्य पथ परिवहन निगम" पर निष्पादन लेखापरीक्षा

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (निगम) जनता के लिए एक कुशल, पर्याप्त और किफायती पथ परिवहन उपलब्ध कराने हेतु पथ परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (अधिनियम) की धारा 3 के अन्तर्गत 1 मई 1959 को निगमित हुआ।

निगम की विभिन्न प्रकोष्ठों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नतः विमर्शित है :

- 31 मार्च 2014 को निगम की बेड़ा–शक्ति में 414 बसें थीं जिनमें से 31 मार्च 2014 को ऑन–रोड बसों की संख्या 95 थी। अपनी बसों के अतिरिक्त, निगम में बिना लोक निजी भागीदारी (लो0नि0भा0) योजना बनाए, एक लो0नि0भा0 योजना लागू की जिसके अन्तर्गत निजी संचालकों को कमीशन के आधार पर बसों के परिचालन की अनुमति दी गई थी।

(कंडिका 3.1)

- निगम द्वारा 2004–05 तक के लेखें को अन्तिम रूप दे दिया गया था। औपबंधिक खाते के अनुसार 31 मार्च 2014 को समाप्त पाँच वर्षों की अवधि में, निगम के ₹ 101.27 करोड़ की प्रदत्त पूँजी के विरुद्ध, निगम की संचित हानि ₹ 1395.97 करोड़ था।

(कंडिका 3.1)

- कम्पनी के पास कोई किराया नीति नहीं था किराया का निर्धारण मात्र हाई स्पीड डीजल के मूल्य में वृद्धि के आधार पर किया गया तथा अन्य इनपुट लागतों को ध्यान में नहीं रखा गया था। मात्र त्रुटिपूर्ण किराया नीति के कारण, निगम ₹ 8.63 करोड़ के संभाव्य राजस्व से वंचित रह गया।

(कंडिका 3.6.2)

- निधि की उपलब्धता के बावजूद निगम, सही आयु की बसों का बेड़ा–शक्ति, संधारित नहीं कर सका। परिणामस्वरूप 54 प्रतिशत से 77 प्रतिशत बसों का परिचालन नहीं हो सका तथा निगम को ₹ 165.30 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

(कंडिका 3.7.1)

- अखिल भारतीय औसत 93.52 प्रतिशत के विरुद्ध निगम का बेड़ा उपयोग 2009–10 में 35 प्रतिशत से 2013–14 में 23 प्रतिशत के बीच रहा जिसके परिणामस्वरूप निगम को ₹ 15.50 करोड़ की अंशदान हानि हुई।

(कंडिका 3.7.2)

- निगम का वाहन उत्पादकता 232 किलोमीटर (कि0मी0) से 205 कि0मी0 के मध्य रहा जो 374.8 कि0मी0 प्रतिदिन की अखिल भारतीय औसत तथा निगम के स्वयं की वाहन उत्पादकता लक्ष्य 280 कि0मी0 से, बहुत कम था। परिणामस्वरूप निगम को ₹ 25.16 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

(कंडिका 3.7.3)

- वर्ष 2009–14 की अवधि में 17 प्रतिशत से 34 प्रतिशत मार्गों पर बसों के परिचालन से प्राप्त राजस्व से परिवर्तनीय लागत की भरपाई नहीं हो पा रही थी। परिणामस्वरूप निगम को ₹ 1.09 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

(कंडिका 3.7.5)

- त्रुटिपूर्ण लो0नि0भा0 एकरारनामें, निगम की अपने वित्तीय हितों की रक्षा में विफलता एवं त्रुटिपूर्ण अनुश्रवण के कारण, निगम को ₹ 13.72 करोड़ की राजस्व की हानि हुई।

(कंडिकाएँ 3.8.1 तथा 3.8.2)

4. कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गए कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण, लोक उपक्रमों के प्रबन्धन की त्रुटियाँ, जिनके परिणामस्वरूप गम्भीर वित्तीय अनियमितताएँ हुईं, को मुख्य रूप से दर्शाती है। इसमें साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड की उच्च विभव विनिर्दिष्ट सेवाएँ उपभोक्ताओं (एच0टी0एस0एस0) के सम्बन्ध में विपत्रीकरण एवं बकायों के संग्रहण पर दीर्घ कंडिका भी सम्मिलित है। इंगित की गई अनियमितताएँ मुख्यतः निम्न प्रकार की हैं :

- नियमों, दिशा–निर्देशों, प्रक्रियायों, संविदाओं के नियमों एवं शर्तों के अनुपालन नहीं होने से आठ मामलों में ₹ 29.90 करोड़ की हानि/वसूल नहीं होना।

(कंडिकाएँ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.9 एवं 4.10)

- अपर्याप्त/त्रुटिपूर्ण अनुश्रवण प्रणाली के कारण एक मामले में ₹ 7.33 करोड़ की हानि।

(कंडिका 4.8)

- दोषपूर्ण/त्रुटिपूर्ण नियोजन के कारण चार मामलों में ₹ 12.06 करोड़ का निर्रथक व्यय/परिहार्य अधिव्यय।

(कंडिकाएँ 4.6, 4.11, 4.12 एवं 4.13)

दीर्घ कंडिका में शामिल कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का सारांश निम्न प्रकार है :

- साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, निर्माता के अनुसार प्रेरण भट्टी एवं उपकरणों की कुल क्षमता के आधार पर दो उच्च विभव विनिर्दिष्ट सेवाएँ (एच0टी0एस0एस0) उपभोक्ताओं के संविदा माँग की वृद्धि करने एवं तद्नुसार विपत्र करने में विफल रहा। इसके फलस्वरूप संविदा माँग का अल्प–निर्धारण हुआ जिसके फलस्वरूप कम्पनी को ₹ 3.33 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 4.1.5)

- कम्पनी 27 दिनों की निर्धारित समय सीमा में दो एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ताओं के संविदा माँग की वृद्धि में विफल रहा जिसके फलस्वरूप कम्पनी को ₹ 55.50 लाख राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

(कंडिका 4.1.6)

- कम्पनी तीन वर्षों से अधिक समय के व्यतीत होने के बावजूद एवं उच्च न्यायालय के आदेश के उल्लंघन में उपभोक्ता का मीटर उसकी इच्छा के अनुरूप प्रयोगशाला में जाँच कराने में विफल रहा जिसके फलस्वरूप विवादित विद्युत विपत्रों के मद में ₹ 3.56 करोड़ का राजस्व अवरुद्ध पड़ा रहा।

(कंडिका 4.1.9)

कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा कंडिकाओं के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का सारांश निम्न प्रकार है :

- त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं मास्टर सेवा अनुबन्ध (एम0एस0ए0) के प्रावधानों के अनुपालन में **बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड** की विफलता, परामर्शी को ₹ 3.56 करोड़ के अनियमित भुगतान, में परिणत हुआ। इसके अतिरिक्त, परामर्शी को अनुचित लाभ का विस्तार फलित हुआ।

(कंडिका 4.7)

- त्रुटिपूर्ण आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली एवं **बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड** द्वारा अपनी वित्तीय हितों की सुरक्षा में विफलता के फलस्वरूप टी0डी0एस0 की वापसी का दावा न करने के कारण कम्पनी को ₹ 7.33 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 4.8)

- लघु जल विद्युत परियोजनाओं के दोषपूर्ण नियोजन एवं कार्यान्वयन तथा तद्न्तर कार्य की समीक्षा नहीं करने के फलस्वरूप ₹ 7.28 करोड़ का व्यय दो वर्षों से अधिक निष्क्रिय पड़ा रहा। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड ऋण की अग्रेतर किस्त, **बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड** द्वारा मिथ्या व्यय प्रमाण पत्र समर्पित कर, आहरित किया गया।

(कंडिका 4.13)

- सरकारी परियोजनाओं की अप्रयुक्त एवं बैंक जमाओं में निवेशित निधि पर अर्जित ब्याज का **बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड** द्वारा अपनी आय के रूप में अनुचित विवेचना के फलस्वरूप ₹ 8.43 करोड़ के निगमित कर का परिहार्य भुगतान हुआ।

(कंडिका 4.10)

- दोषपूर्ण अधिप्राप्ति नियोजन एवं विद्यमान बाजार मूल्यों पर डेस्कटॉप कम्प्यूटरों एवं लैपटॉपों के क्रय में **बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड** की विफलता के फलस्वरूप ₹ 1.51 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय एवं सरकार को परिणामी हानि हुई।

(कंडिका 4.12)

- खाली पड़े जगह को उप–पट्टे पर देने में **बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड** की विफलता के फलस्वरूप ₹ 2.08 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ जिसके कारण सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के निर्माण के निहित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई।

(कंडिका 4.11)

- त्रुटिपूर्ण क्रय नियोजन एवं **बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड** द्वारा अपने वित्तीय हितों की रक्षा में विफलता के कारण न केवल आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ मिला बल्कि ₹ 1.19 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय में भी परिणत हुआ।

(कंडिका 4.6)

- निविदा के निष्पादन में अनियमितता के फलस्वरूप ₹ 1.28 करोड़ मूल्य के निम्न गुणवत्ता वाले पॉली कारबोनेट सील बिट की अधिप्राप्ति एवं **बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड** द्वारा आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ का विस्तार मिला।

(कंडिका 4.5)

अध्याय - I

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

अध्याय – I

1. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

परिचय

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगमें सम्मिलित हैं। जन–कल्याण को ध्यान में रखते हुए राज्य सा0क्षे0उ0 की स्थापना, व्यावसायिक गतिविधियों को संपादित करने के लिए, की जाती है। सितम्बर 2014 तक अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार, बिहार में राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने 2013–14 में ₹ 7,924.89 करोड़ का आवर्त प्राप्त किया। बिहार राज्य की सा0क्षे0उ0 की अधिकांश गतिविधियाँ विद्युत क्षेत्र में केन्द्रित हैं। उनके अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने कुल ₹ 11.86 करोड़ का लाभ अर्जित किया। 31 मार्च 2014 को उन्होंने 0.17 लाख[1] कर्मचारियों को नियोजित किया हुआ था।

1.2 31 मार्च 2014 को सा0क्षे0उ0 की कुल संख्या 73 थी जिनका विवरण तालिका संख्या – 1.1 में दर्शाया गया है। इनमें से कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी।

तालिका संख्या – 1.1

सा0क्षे0उ0 का प्रकार	कार्यशील सा0क्षे0उ0	अकार्यशील सा0क्षे0उ0[2]	योग
सरकारी कम्पनियाँ[3]	30	40	70
सांविधिक निगमें	3	–	3
योग	**33**	**40**	**73**

1.3 उपरोक्त 30 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में दो कम्पनियाँ यथा पीरपैंती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड एवं लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड सम्मिलित हैं जिनका समामेलन कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन क्रमशः 11 अप्रैल 2008 एवं 23 अप्रैल 2008 को हुआ था।

लेखापरीक्षा अधिदेश

1.4 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से अधिशासित है। धारा 617 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी वह है जिसकी प्रदत्त अंश पूँजी का कम–से–कम 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों के द्वारा धारित हो। सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सम्मिलित होती है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–बी के अनुसार ऐसी कम्पनी, जिसकी प्रदत्त अंश पूँजी का 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों, सरकारी कम्पनियों और सरकार/सरकारों द्वारा नियंत्रित निगमों द्वारा धारित हो, सरकारी कम्पनी मानी जाती हैं।

1.5 राज्य की सरकारी कम्पनियों (जैसा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है), के लेखों की लेखापरीक्षा सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अनुसार भारत के

[1] 41 सा0क्षे0उ0 के द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार।
[2] अकार्यशील सा0क्षे0उ0 वो हैं जिन्होंने अपने कार्य को बन्द कर दिया है।
[3] 619–बी कम्पनियाँ सहित।

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) द्वारा की जाती है। इन लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा भी, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अनुसार सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है।

1.6 सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से अधिशासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बि0रा0प0प0नि0) हेतु सी0ए0जी0 एकल लेखापरीक्षक है। बिहार राज्य भण्डारण निगम (बि0रा0भ0नि0) एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम (बि0रा0वि0नि0) की लेखापरीक्षा सन्दी लेखाकारों एवं सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है।

राज्य सा0क्षे0उ0 में निवेश

1.7 31 मार्च 2014 को, राज्य सा0क्षे0उ0 में ₹ 28,220.98 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था, जिसका विवरण तालिका संख्या–1.2 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या – 1.2

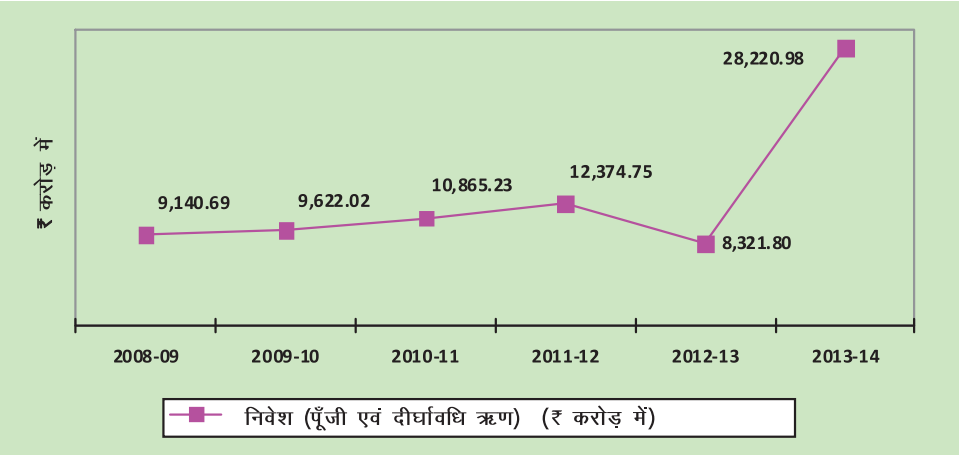
(₹ करोड़ में)

सा0क्षे0उ0 के प्रकार	सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगमें			कुल योग
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यशील सा0क्षे0उ0	17957.07	8573.10	26530.17	185.53	776.26	961.79	27491.96
अकार्यशील सा0क्षे0उ0	180.79	548.23	729.02	–	–	–	729.02
कुल	**18137.86**	**9121.33**	**27259.19**	**185.53**	**776.26**	**961.79**	**28220.98**

राज्य सा0क्षे0उ0 में सरकारी निवेश की स्थिति का संक्षिप्त विवरण ***परिशिष्ट–1.1*** में दिया गया है।

1.8 31 मार्च 2014 तक राजकीय सा0क्षे0उ0 में कुल निवेश का 97.42 प्रतिशत कार्यशील सा0क्षे0उ0 में तथा शेष 2.58 प्रतिशत अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में था। इस कुल निवेश का 64.93 प्रतिशत अंश पूँजी के लिये तथा 35.07 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण हेतु था। यह निवेश 2008–09 के ₹ 9,140.69 करोड़ से 208.74 प्रतिशत बढकर 2013–14 में ₹ 28,220.98 करोड़ हो गया, जैसा कि आरेखन संख्या – 1.1 में दर्शाया गया है।

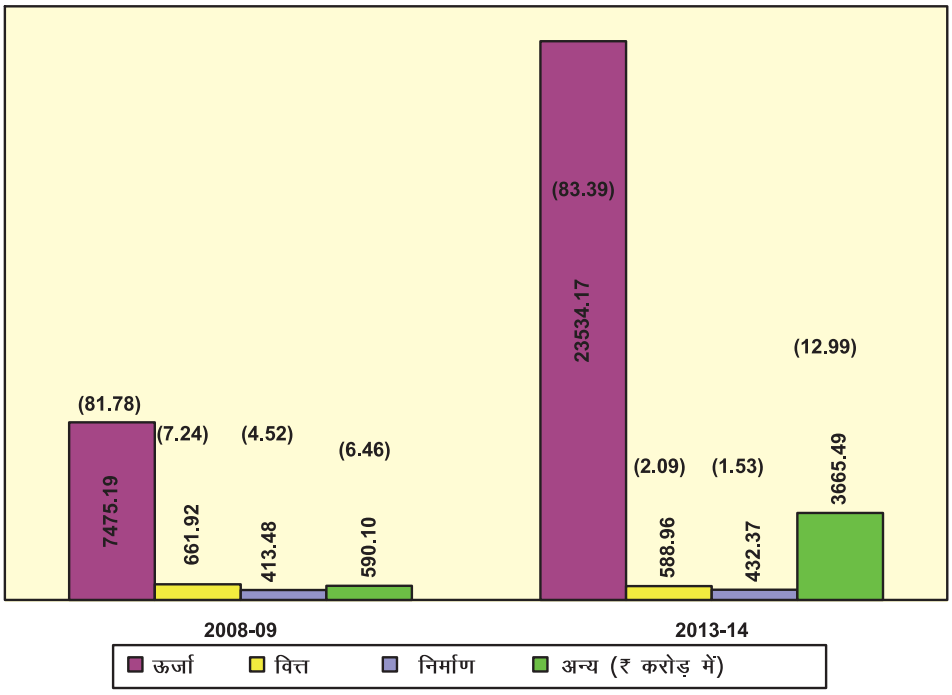
आरेखन संख्या – 1.1



1.9 31 मार्च 2009 तथा 31 मार्च 2014 को विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनकी प्रतिशतता आरेखन संख्या–1.2 में दी गयी हैं। विगत छः वर्षों में सा0क्षे0उ0 में निवेश का मुख्य प्रतिबल ऊर्जा क्षेत्र में था। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पाँच[4] कम्पनियों में विघटन के फलस्वरूप एवं राज्य सरकार से बजटीय सहायता प्राप्त होने के कारण वर्तमान वर्ष की अवधि में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश वर्ष 2008–09 के ₹ 7,475.19 करोड़ से 214.83 प्रतिशत बढकर 2013–14 में ₹ 23,534.17[5] करोड़ हो गया । 2008–09 की तुलना में 2013–14 में अन्य क्षेत्रों में निवेश में 181.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

आरेखन संख्या – 1.2

महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश (₹ करोड़ में)



(कोष्ठक में आँकड़े कुल निवेश का प्रतिशत दर्शाते हैं।)

बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/अर्थसाहाय्य, प्रत्याभूति एवं ऋण

1.10 राज्य सा0क्षे0उ0 के सम्बन्ध में पूँजी, ऋण, अनुदान/अर्थसाहाय्य में बजटीय बहिर्गमन का विवरण ***परिशिष्ट–1.2*** में दिया गया है। 2013–14 को समाप्त हुए तीन वर्षों का साराशींकृत विवरण तालिका संख्या – 1.3 में दर्शाया गया है।

[4] बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड।

[5] बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड (₹ 8923.96 करोड़), बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 2005.42 करोड़), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 2307.08 करोड़), नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 2170.84 करोड़) एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 2268.85 करोड़) में संवितरित ₹ 17676.15 करोड की अंश पूँजी सम्मिलित।

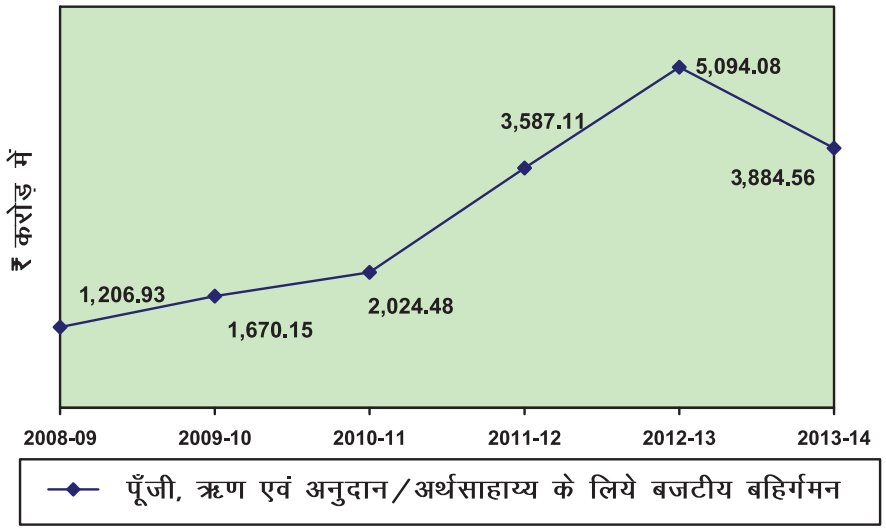
तालिका संख्या – 1.3

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	2011–12		2012–13		2013–14	
		सा0क्षे0उ0 की संख्या	राशि	सा0क्षे0उ0 की संख्या	राशि	सा0क्षे0उ0 की संख्या	राशि
1.	बजट से अंश पूँजी में बहिर्गमन	2	2.00	4	1,481.94	4	744.73
2.	बजट से दिये गये ऋण	4	1,464.87	4[6]	677.17[7]	4	1079.54
3.	प्राप्त अनुदान/ अर्थसाहाय्य	1	2,120.24	6[8]	2,934.97[9]	6	2060.29
4.	कुल बहिर्गमन[10]	6	3,587.11	11	5,094.08	11	3884.56
5.	अपलिखित ब्याज/ दांडिक ब्याज	–	–	–	–	–	–
6.	निर्गत प्रत्याभूतियाँ	–	–	–	–	5	2648.83
7.	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	1	3.47	2	73.06	5	2910.89

1.11 पूँजी, ऋण एवं अनुदान/अर्थसाहाय्य के लिए विगत छः वर्षों के बजटीय बहिर्गमन का विवरण आरेखन संख्या – 1.3 में दिया गया है :

आरेखन संख्या – 1.3



[6] इसमें तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सम्मिलित है।
[7] इसमें तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्राप्त ऋण सम्मिलित है।
[8] इसमें तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सम्मिलित है।
[9] इसमें तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्राप्त अर्थसाहाय्य सम्मिलित है।
[10] वर्ष के दौरान कुल बहिर्गमन, अंशों, ऋणों, एवं अनुदान/अर्थसाहाय्य के रुप में कम्पनियों (वास्तविक संख्या) को दिये गये बजटीय समर्थन को दर्शाता है।

राज्य सरकार द्वारा, अंश पूँजी, ऋणों एवं अनुदानों/अर्थसाहाय्य के रूप में 2008–09 से 2013–14 के वर्षों में बजटीय समर्थन बढ़ते हुए रुख को दर्शाता है। बजटीय समर्थन 2008–09 के ₹ 1206.93 करोड़ से बढ़कर 2013–14 में ₹ 3,884.56 करोड़ हो गया। वर्ष 2013–14 की अवधि में, ₹ 3,884.56 करोड़ में से, ऊर्जा क्षेत्र ने राज्य सरकार से कुल ₹ 2,867.02 करोड़ (राज्य सरकार से प्राप्त कुल बजटीय समर्थन का 73.80 प्रतिशत) का अर्थसाहाय्य प्राप्त किया। वर्ष के अंत में, पाँच[11] सा0क्षे0उ0 के मामले में ऋणों की प्रत्याभूतियों के मद में कुल ₹ 2910.89 करोड़ बकाया था। प्रत्याभूति कमीशन मद में, बिहार राज्य वित्त निगम के विरुद्ध वर्ष 1982–83 तक की अवधि से संबंधित ₹ 8.87 लाख एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैन्य आपूर्ति निगम लिमिटेड के विरुद्ध वर्ष 2013–14 की अवधि से संबंधित कुल ₹ 1.63 करोड़ बकाया थे।

वित्तीय लेखों के साथ समाशोधन

1.12 राज्य सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों के अनुसार अंश पूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूति के आँकड़े राज्य के वित्त लेखों में दिये गये आँकड़ों से मिलने चाहिए। यदि आँकड़े नहीं मिलते हैं तो सम्बन्धित सा0क्षे0उ0 एवं वित्त विभाग को अन्तर का समाशोधन किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में 31 मार्च 2014 की स्थिति का विवरण तालिका संख्या – 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या – 1.4

(₹ करोड़ में)

बकाया	वित्त लेखों[12] के अनुसार राशि	सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों के अनुसार राशि	अन्तर
अंश पूँजी	491.51	10164.99	9673.48
ऋण	4031.72	4691.99	660.27
प्रत्याभूतियाँ	789.23	2910.89	2121.66

1.13 महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा, जाँचोपरांत समाशोधन करने हेतु, राज्य के मुख्य सचिव एवं वित्त सचिव का ध्यान आकृष्ट किया गया (अक्टूबर 2011) तथा अद्यतन स्मारपत्र प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार को नवंबर 2014 में भेजा गया। तथापि, इस पर अभी तक (सितम्बर 2014) कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार तथा सा0क्षे0उ0 को समयबद्ध तरीके से अन्तरों का समाशोधन करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

सा0क्षे0उ0 का कार्य–निष्पादन

1.14 सभी सा0क्षे0उ0 के वित्तीय परिणाम ***परिशिष्ट–1.3*** में वर्णित हैं। सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम ***परिशिष्ट–1.4 एवं 1.5*** में क्रमशः वर्णित हैं।

1.15 अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार, 33 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में से, 14 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 240.12 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 15 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 203.16 करोड़ की हानि वहन की। शेष चार सा0क्षे0उ0 में से दो[13] सा0क्षे0उ0 ने

[11] बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैन्य आपूर्ति निगम लिमिटेड।

[12] ये सूचनाएँ उन 46 सा0क्षे0उ0 (73 सा0क्षे0उ0 में से) के सम्बन्ध मे हैं जिनका उल्लेख राज्य के वित्त लेखों मे किया गया है।

[13] बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड एवं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड।

अपने प्रथम लेखाओं को समर्पित किया जिसमें शून्य लाभ/हानि शामिल था एवं दो[14] सा0क्षे0उ0 ने अभी तक (सितम्बर 2014) अपने प्रथम लेखे अन्तिमीकृत नहीं किए थे। लाभ में योगदान करने वालों में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 106.99 करोड़), बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (₹ 37.36 करोड़) एवं बिहार राज्य बिवरेजेज निगम लिमिटेड (₹ 39.28 करोड़) मुख्य थे। अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 74.26 करोड़), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 22.79 करोड़) एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 57.69 करोड़) ने भारी हानि वहन की थी।

1.16 सी0ए0जी0 के विगत तीन वर्षो की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने ₹ 1,224.28 करोड़ की नियंत्रणीय हानि वहन की, तथा ₹ 55.79 करोड़ का निवेश निष्फलित रहा। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से वर्ष–वार विवरण तालिका संख्या 1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या – 1.5

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	योग
सी0ए0जी0 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार नियन्त्रणीय हानियाँ	852.42	103.78	268.08	1,224.28
निष्फलित निवेश	21.48	1.81	32.50	55.79

1.17 सी0ए0जी0 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित उपर्युक्त हानियाँ सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित है। वास्तविक नियन्त्रणीय हानियाँ इससे कहीं अधिक हो सकती हैं। उपर्युक्त तालिका सा0क्षे0उ0 के कार्यकलापों में प्रभावी प्रबन्धन तथा नियंत्रण एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता इंगित करती हैं।

1.18 राज्य सरकार ने निवेश की गयी राशि पर आय सुनिश्चित करने हेतु ऐसी कोई लाभांश नीति नहीं बनायी थी, जिसके अन्तर्गत सभी सा0क्षे0उ0 को न्यूनतम लाभांश देना हो। 14 सा0क्षे0उ0 ने अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 240.12 करोड़ का लाभ अर्जित किया। परन्तु 14 सा0क्षे0उ0 में से मात्र तीन कम्पनियों अर्थात, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार राज्य बिवरेजेज़ निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने क्रमशः ₹ 1.05 करोड़, ₹ 6.00 करोड़ एवं ₹ 0.50 करोड़ का लाभांश प्रस्तावित किया।

लेखाओं के अन्तिमीकरण के बकाये

1.19 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 तथा 619–बी के अनुसार कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखों का अन्तिमीकरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर करना होता है। इसी प्रकार सांविधिक निगमों के मामलों में, उनके लेखों का अन्तिमीकरण, लेखा परीक्षण तथा विधायिका के समक्ष प्रस्तुतिकरण उनसे सम्बन्धित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है। नीचे दी गयी तालिका संख्या–1.6 में कार्यशील सा0क्षे0उ0 द्वारा सितम्बर 2014 तक लेखों के अन्तिमीकरण के सम्बन्ध में की गयी प्रगति के विवरण को दर्शाता है।

[14] पीरपैंती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड एवं लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड।

तालिका संख्या – 1.6

क्रम संख्या	विवरण	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
1.	कार्यशील सा0क्षे0उ0 की संख्या	25	25	26	31[15]	33
2.	वर्ष के दौरान अन्तिमीकृत किये गये लेखों की संख्या	17	34	23	26	31
3.	बकाए लेखों की संख्या	213	186	191	196	199[16]
4.	प्रति सा0क्षे0उ0 का औसत बकाया (3/1)	8.52	7.44	7.35	6.32	6.03
5.	बकाए लेखों वाले कार्यशील सा0क्षे0उ0 की संख्या	25	23	25	29	29
6.	बकाए लेखों की सीमा (वर्ष)	1 से 21	1 से 21	1 से 22	1 से 23	1 से 23

1.20 30 सितम्बर 2014 को 33 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में से केवल चार[17] सा0क्षे0उ0 ने वर्ष 2013–14 के अपने लेखाओं को अन्तिमीकृत किया था एवं शेष 29 कार्यशील सा0क्षे0उ0 के विरुद्ध 199 लेखे बकाया थे। 29 कार्यशील कम्पनियों के लेखे एक से 23 वर्षों की अवधि के लिए बकाया में थे। यद्यपि सा0क्षे0उ0 के बकाये का औसत 2009–10 के 8.52 प्रति सा0क्षे0उ0 से घटकर 2013–14 में 6.03 प्रति सा0क्षे0उ0 हो गया, स्थिति दयनीय थी। लेखों के बकाये के कारण, लेखों की तैयारी/प्रमाणीकरण एवं वार्षिक आम सभा आयोजित करने में विलम्ब तथा मानव संसाधन की कमी थे।

1.21 उपरोक्त के अतिरिक्त, अकार्यशील सा0क्षे0उ0 के लेखों का अन्तिमीकरण भी बकाए में थे। 31 मार्च 2014 को 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में से नौ सा0क्षे0उ0 समापन की प्रक्रिया में थे। शेष 31 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में बकाए लेखों की सीमा 17 से 35 वर्षों तक था।

1.22 जैसा कि ***परिशिष्ट–1.6*** में दिया गया है, राज्य सरकार ने 32 सा0क्षे0उ0 में ₹ 5,982.80 करोड़ (अंश पूँजी : ₹ 689.56 करोड़, ऋण : ₹ 2,829.77 करोड़, अनुदान : ₹ 540.04 करोड़ तथा अन्य (अर्थसाहाय्य) : ₹ 1,923.43 करोड़) का निवेश उन वर्षों में किया था जिनके लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं हुआ था। अन्तिमीकृत लेखों तथा उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या किये गये निवेश एवं व्यय का लेखा उचित तरीके से किया गया था तथा जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था, उसकी प्राप्ति हुई थी कि नहीं। इस प्रकार सा0क्षे0उ0 में सरकार का निवेश राज्य की विधायिका की जाँच से वंचित रहा। साथ ही लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब का परिणाम कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखे तथा सार्वजनिक कोष के क्षरण का जोखिम भी हो सकता है।

[15] उक्त आँकडों में पाँच नयी ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियाँ सम्मिलित हैं जिनके व्यवसाय नवंबर 2012 से आरम्भ हुए।

[16] वर्ष 2012–2013 में कार्यशील सा0क्षे0उ0 की संख्या में तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को, इसके विघटन के फलस्वरूप पाँच नयी कम्पनियों में परिवर्तित होने से सम्मिलित नहीं होने के कारण, वर्ष 2012–2013 (30 सितंबर) के अंत में लेखाओं के अन्तिमीकरण का बकाया 197 के स्थान पर 196 लिया गया था।

[17] बिहार राज्य वित्त निगम, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड।

1.23 प्रशासकीय विभागों का यह दायित्व है कि वे इन इकाईयों के कार्यकलापों का निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनके लेखे निर्दिष्ट समय–सीमा में अन्तिमीकृत और अंगीकृत कर लिये गए हैं। महालेखाकार द्वारा बकाया लेखों की स्थिति की सूचना मुख्य सचिव तथा सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को दी गई (अक्टूबर 2014)। अपितु इस सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप इन सा0क्षे0उ0 के नेट वर्थ का मूल्यांकन लेखापरीक्षा में नहीं हो सका।

1.24 उपरोक्त बकायों की स्थिति के सम्बन्ध में यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को लेखों के बकाये के शीघ्र समापन एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार समय पर लेखों के अन्तिमीकरण हेतु प्रयास करना चाहिये।

अकार्यशील सा0क्षे0उ0 का समापन

1.25 31 मार्च 2014 को 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 (सभी कम्पनियाँ) थीं । इनमें से 31 मार्च 2014 को नौ सा0क्षे0उ0 समापन की प्रक्रिया के अंतर्गत थे। 2013–14 की अवधि में एक[18] अकार्यशील सा0क्षे0उ0 ने वेतन, मजदूरी, स्थापना व्यय, इत्यादि पर ₹ 8.07 करोड़ का व्यय किया।

1.26 31 मार्च 2014 को अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की बन्दी के चरण, तालिका संख्या – 1.7 में दिये गये हैं।

तालिका संख्या – 1.7

क्रम संख्या	विवरण	कम्पनियाँ	सांविधिक निगमें	योग
1.	अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की कुल संख्या	40	–	40
2.	उपरोक्त (1) में से :			
(अ)	न्यायालय द्वारा समापन (समापक नियुक्त किया गया था)	4[19]	–	4
(ब)	बन्द, अर्थात बन्द करने के आदेश/निर्देश निर्गत परन्तु समापन प्रक्रिया अभी प्रारम्भ नहीं/प्रगति में	5[20]	–	5

1.27 वर्ष 2013–14 के दौरान किसी सा0क्षे0उ0 का पूर्ण समापन नहीं हुआ था। जिन कम्पनियों ने न्यायालय आदेश द्वारा समापन के मार्ग को अपनाया वे 14 वर्षों के अधिक समय से समापन प्रक्रिया में हैं। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत ऐच्छिक समापन की प्रक्रिया ज्यादा त्वरित होता है तथा इसका धारण/अनुसरण प्रभावशाली तरीके से किया जाना चाहिए। यह अनुशंसा की जाती है कि, सरकार को, शेष 31 अकार्यशील सा0क्षे0उ0, जिनके अकार्यशील होने के बाद चालू रहने या ना रहने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, के समापन के सम्बन्ध में निर्णय लेना चाहिए।

[18] बिहार राज्य उद्योग विकास निगम लिमिटेड।

[19] कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड।

[20] बिहार स्टेट फार्मास्युटिकल एंड केमिकल्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड, बिहार स्टेट डेयरी कारपोरेशन लिमिटेड एवं बिहार स्टेट हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कम्पनी लिमिटेड।

लेखों पर टिप्पणियाँ तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा

1.28 वर्ष 2013–14[21] में 19[22] कार्यशील कम्पनियों ने अपने 28 लेखाओं को महालेखाकार को प्रेषित किया। इनमें से कम्पनियों के 16 लेखे अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चयनित किये गये। सी0ए0जी0 के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन तथा सी0ए0जी0 की अनुपूरक लेखापरीक्षा, लेखों के रख–रखाव की गुणवत्ता में वृहद् सुधार की आवश्यकता को इंगित करती हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सी0ए0जी0 की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक प्रभावों के विवरण तालिका संख्या – 1.8 में दिए गए हैं।

तालिका संख्या – 1.8

(राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2011–12		2012–13		2013–14	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	6	64.86	5	8.76	2	51.20
2.	हानि में वृद्धि	4	17.19	7	7.28	7	49.20
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	1	3.71	1	2.70	9	4914.22
4.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	4	357.95

1.29 वर्ष 2013–14 के दौरान 20[23] कम्पनियों द्वारा अन्तिमीकृत 32[24] लेखाओं पर सशर्त्त प्रमाणपत्र दिये गये। कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन असंतोषजनक था क्योंकि वर्ष के दौरान 10[25] कम्पनियों के 12 लेखाओं में लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धी 15 मामले पाये गये।

1.30 वर्ष 2013–14 में कम्पनियों के अन्तिमीकृत लेखाओं पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गयी हैं:–

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (2011–12)

कम्पनी द्वारा राज्य सरकार से विभिन्न परियोजनाओं के मद में प्राप्त निधि के अल्पकालिक जमा पर अर्जित ब्याज ₹ 26.39 करोड़ को अपनी अन्य आय मानते हुये लाभ–हानि खाता में लाभ के रूप में सम्मिलित किया गया जो कि लेखांकन मानक–9 (राजस्व) के विरुद्ध था। अर्जित ब्याज की राशि को चल दायित्वों के अन्तर्गत निधि में ही जमा किया जाना चाहिए था। यदि वर्ष 2011–12 में अर्जित ब्याज की राशि को राज्य सरकार की परियोजनाओं के मद में प्राप्त निधि में ही जमा दर्शाया जाता तब ₹ 24.15 करोड़ का शुद्ध लाभ, ₹ 2.24 करोड़ के शुद्ध हानि में परिवर्तित हो जाता।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (2011–12)

कम्पनी द्वारा राज्य सरकार से विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त निधि के अल्पकालिक जमा पर अर्जित ब्याज ₹ 22.80 करोड़ को अपनी अन्य आय मानते हुये

[21] अक्टूबर 2013 से सितम्बर 2014 तक।

[22] ***परिशिष्ट–1.3*** की क्रम संख्या अ4, अ6, अ7, अ8, अ9, अ10, अ12, अ13, अ14, अ16, अ17, अ18, अ19, अ20, अ21, अ22, अ23, अ26, एवं अ28।

[23] कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (19) एवं अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (1)।

[24] कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (28) एवं अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (4)।

[25] ***परिशिष्ट–1.3*** की क्रम संख्या अ4, अ6, अ9, अ10, अ12, अ13, अ14, अ17, अ18 एवं अ26।

अपने लाभ एवं हानि खाता में सम्मिलित किया गया जो कि लेखांकन मानक–9 (राजस्व) के विरुद्ध था।

राज्य सरकार से प्राप्त निधि पर अर्जित ब्याज की राशि को अपनी आय दर्शाने के फलस्वरूप ₹ 22.80 करोड़ से अन्य आय तथा लाभ का अधिप्रदर्शन एवं दायित्वों का अंतःप्रदर्शन हुआ।

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड (2012–13)

ऋणों एवं अग्रिम की राशि में, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के विघटन के फलस्वरूप कम्पनी को हस्तांतरित वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में स्त्रोत पर कटौती की गयी आयकर की राशि ₹ 12.87 करोड़ सम्मिलित था। क्योंकि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने उक्त अवधि के लिये आयकर रिटर्न दायर नहीं किया था, यह काल बाधित हो गया था तथा इस राशि की वसूली संदिग्ध थी। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान नहीं किये जाने के फलस्वरूप ऋणों एवं अग्रिम का अधिप्रदर्शन एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान तथा हानि का ₹ 12.87 करोड़ से अंतःप्रदर्शन हुआ।

1.31 इसी प्रकार, 2013–14[26] के दौरान दो कार्यशील सांविधिक निगमों ने अपने तीन[27] लेखाओं को महालेखाकार को अग्रसारित किया जो कि लेखापरीक्षा हेतु चयनित किए गए। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सी0ए0जी0 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखों के संधारण की गुणवत्ता में वृहद् सुधार की आवश्यकता इंगित करती हैं। सांविधिक अंकेक्षकों तथा सी0ए0जी0 की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक प्रभाव की विवरणी तालिका संख्या– 1.9 में दी गयी है।

तालिका संख्या– 1.9

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2011–12		2012–13		2013–14	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	0.33	1	0.19	1	3.75
2.	हानि में वृद्धि	1	1,888.94	शून्य	शून्य	1	0.64
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	शून्य	शून्य	1	2.70	1	4.05

1.32 वर्ष 2013–14 के दौरान अन्तिमीकृत किये गये एक सांविधिक निगम यथा बिहार राज्य भण्डारण निगम के लेखों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ निम्नवत् हैं :

बिहार राज्य भण्डारण निगम (2009–10)

भण्डारण निगम द्वारा मार्च 2010 तक के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम के सामूहिक गैच्युटी योजना के मद में ₹ 2.73 करोड़ के दायित्व के विरुद्ध केवल ₹ 7.50 लाख का प्रावधान किया गया। फलस्वरूप वर्ष 2009–10 में ₹ 2.65 करोड से लाभ का अधिप्रदर्शन एवं उतनी ही राशि से सामूहिक गैच्युटी योजना हेतु प्रावधान का अंतःप्रदर्शन हुआ।

1.33 सांविधिक अंकेक्षकों (सनदी लेखाकारों) को सी0ए0जी0 के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (अ) के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देशों के अन्तर्गत, उनके द्वारा लेखापरीक्षा की जाने वाली कम्पनियों में आन्तरिक नियन्त्रण/आन्तरिक

[26] अक्टूबर 2013 से सितम्बर 2014 तक।

[27] बिहार राज्य वित्त निगम (2012–13) (2013–14) एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (2004–05)।

लेखापरीक्षा के विभिन्न पक्षों पर विस्तृत प्रतिवेदन देना होता है तथा सुधार योग्य क्षेत्रों की पहचान करनी होती है। सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा 2012–13 के लिए 13 कम्पनियों[28] तथा 2013–14 के लिए 20 कम्पनियों[29] के सम्बन्ध में आन्तरिक लेखा परीक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण में सम्भव सुधार पर महत्वपूर्ण टिप्पणियों के निर्देशीसार का विवरण तालिका संख्या– 1.10 में दिया गया है।

तालिका संख्या– 1.10

क्रम संख्या	सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जिनमें अनुशंसाएँ की गयीं	*परिशिष्ट–1.2* में कम्पनियों की क्रम संख्या का संदर्भ
1.	भण्डार एवं पुर्जे की न्यूनतम/अधिकतम सीमा तय न करना	03	अ–9, अ–17, अ–19.
2.	कम्पनी के प्रकृति एवं व्यवसाय के आकार के अनुरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था का अभाव	20	अ–4, अ–6 अ–7, अ–8, अ–9, अ–10, अ–12, अ–13, अ–14, अ–16, अ–17, अ–18, अ–19, अ–20, अ–21, अ–22, अ–23, अ–26, अ–28, स–17।
3.	परिमाणात्मक विवरण, अवस्थिति, पहचान संख्या, प्राप्ति की तिथि, अचल सम्पत्तियों के ह्रासित मूल्य सहित अचल सम्पत्तियों से सम्बन्धित पूर्ण विवरण को दर्शाते हुए समुचित अभिलेखों का संधारण नहीं किया जाना।	15	अ–4, अ–7, अ–8, अ–9, अ–10, अ–14, अ–16, अ–17, अ–18, अ–19, अ–20, अ–21, अ–22, अ–26, स–17।

लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूली

1.34 2013–14 के दौरान औचित्य लेखापरीक्षा में ₹ 81.98 करोड़ रुपये की वसूली के मामले सा0क्षे0उ0 के प्रबंधन को इंगित किए गए थे, जिनमें से ₹ 14.21 करोड़ की वसूली के मामले सा0क्षे0उ0 द्वारा स्वीकार किये गये। वर्ष 2013–14 में, ₹ 3.11 करोड़ की राशि की वसूली की गयी।

पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

1.35 तालिका संख्या– 1.11 में सांविधिक निगमों के लेखे पर सी0ए0जी0 द्वारा निर्गत पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ0ले0प0प्र0) को सरकार द्वारा विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को दर्शाया गया है।

[28] ***परिशिष्ट–1.3*** की क्रम संख्या अ–1, अ–8, अ–10, अ–11, अ–12, अ–13, अ–16, अ–23, अ–25, अ–26, अ–28, स–4 एवं स–17।

[29] ***परिशिष्ट–1.3*** की क्रम संख्या अ–4, अ–6 अ–7, अ–8, अ–9, अ–10, अ–12, अ–13, अ–14, अ–16, अ–17, अ–18, अ–19, अ–20, अ–21, अ–22, अ–23, अ–26, अ–28 एवं स–17।

तालिका संख्या– 1.11

क्रम संख्या	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जहाँ तक पृ0ले0प0प्र0 विधायिका में प्रस्तुत की गई	वर्ष जिसका पृ0ले0प0प्र0 विधायिका के समक्ष नहीं प्रस्तुत की गई		
			पृ0ले0प0प्र0 का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	पृ0ले0प0प्र0 को विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के कारण
1.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	2007–08	2008–09 2009–10	28 फरवरी 2011 8 जनवरी 2014	पृ0ले0प0प्र0 को विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के कारण राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए।
2.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2010–11	2011–12 2012–13	23 मार्च 2013 20 मार्च 2014	
3.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	1973–74	1974–75 से 2002–03 (30) विवरण निम्नतः 1991–92 1992–93 1993–94 1994–95 1995–96 1996–97 1997–98 1998–99 1999–2000 2000–01 2001–02 2002–03 2003–04	 09 जून 1997 02 सितम्बर 1998 02 सितम्बर 1998 04 दिसम्बर 1998 18 अप्रैल 2000 19 मार्च 2004 19 अक्टूबर 2004 12 अप्रैल 2005 07 अक्टूबर 2005 24 सितम्बर 2007 26 अक्टूबर 2007 25 जनवरी 2010 20 मई 2014	

पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विलम्ब से प्रस्तुत करने से सांविधिक निगमों पर वैधानिक नियंत्रण कमजोर होता है एवं सांविधिक निगम की जवाबदेही कमजोर पड़ जाती है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने में विलम्ब के विषय को सी0ए0जी0 द्वारा मुख्यमंत्री, बिहार के ध्यान में दिसम्बर 2010 में लाया गया था। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण में कोई सुधार नहीं आया। महालेखाकार द्वारा इस विषय को प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, के ध्यान में (मई 2011) लाया गया तथा अद्यतन स्मार पत्र फरवरी 2014 में भेजा गया। सरकार को पृ0ले0प0प्र0 को तत्परता से विधायिका को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना

1.36 राज्य सरकार द्वारा सा0क्षे0उ0 के विनिवेश, निजीकरण एवं पुर्नसंरचना के लिए 2013–14 में कोई कदम नहीं उठाया गया। हालाँकि राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या–17 दिनांक 30 अक्टूबर 2012 द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का, ''बिहार राज्य विद्युत सुधार स्थानान्तरण योजना 2012'' के अंतर्गत पुनर्गठन कर पाँच कम्पनियों में विघटित किया। झारखण्ड राज्य की स्थापना के बाद, सभी सा0क्षे0उ0 की पुर्नसंरचना की जानी थी। 12 सा0क्षे0उ0 की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के साथ–साथ प्रबन्धन के बँटवारे का निर्णय सितम्बर 2005 में लिया गया था। तथापि, इसका क्रियान्वयन मात्र पाँच सा0क्षे0उ0[30] के सम्बन्ध में ही किया गया था (सितम्बर, 2014)।

[30] बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य भण्डारण निगम एवं बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड।

अध्याय - II

2. सरकारी कम्पनी से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय–II

सरकारी कम्पनी से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

2. बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की गतिविधियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

परिचय

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना नवम्बर 1980 में एक पूर्ण स्वामित्व सरकारी कम्पनी के रूप में हुई थी जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहन देना था।

कम्पनी, वर्त्तमान में, पर्यटन संरचनाओं के निर्माण, होटल/खान–पान सेवाएँ, परिवहन सेवाएँ, राजगीर में रज्जुमार्ग का संचालन, होटलें, मार्गीय सुविधाएँ, कैफेटेरिया आदि को पट्टे पर देना, मोटर–नौकायन का परिचालन एवं गोलघर, पटना में प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन में संलग्न है।

31 मार्च 2014 तक कम्पनी के पास राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर स्थित 21 होटलें (10 स्व–प्रबन्धित) थीं। कम्पनी के पास अपने होटलों से सम्बद्ध 13 रेस्तराँ (चार स्व–प्रबन्धित) भी थे।

31 मार्च 2013 को कम्पनी का प्राधिकृत और प्रदत्त पूँजी ₹ पाँच करोड़ था जो राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व में था और ₹ 12.10 करोड़ की संचय एवं आधिक्य था। कम्पनी का लाभ 2009–10 से 2012–13 की अवधि में ₹ 1.07 करोड़ और ₹ 2.08 करोड़ के परास में था।

राज्य पर्यटन नीति

राज्य पर्यटन नीति (एस0टी0पी0) 2009 का कार्यान्वयन मुख्य रूप से ''पर्यटन प्रोत्साहन एवं विकास परिषद्'' की स्थापना पर निर्भर था। परिषद् का कार्य, पर्यटन उद्योग के सभी हितधारकों के मध्य समक्रमण एवं समन्वय स्थापित करने, हेतु था। तथापि, राज्य सरकार ने कथित नीति के अस्तित्व के पाँच वर्षों के उपरांत भी, नीति में यथा परिकल्पित, कथित परिषद् की स्थापना में विफल रहा।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार, पर्यटकों के बीच सुरक्षा की भावना का आभास कराने हेतु, विशेष पर्यटन सुरक्षा बल की स्थापना करने में भी विफल रहा। अग्रेतर, कम्पनी, कोई दीर्घावधि/परिप्रेक्ष्य योजना/रोडमैप, जिसमें आगामी वर्षों में प्राप्य लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया हो, के निर्माण में विफल रहा। इस प्रकार, राज्य सरकार और कम्पनी की निष्क्रियता के फलस्वरूप राज्य पर्यटन नीति केवल औपचारिकता मात्र रह गई थी।

वित्त एवं लेखा स्कंध

ससमय बैंक समाशोधन विवरणी तैयार करने के द्वारा बैंक बकायों एवं रोकड़ बकायों पर समुचित नियंत्रण नहीं होने के फलस्वरूप कम्पनी को ₹ 1.30 करोड़ की हानि हुई। कम्पनी के पास अपना कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कंध नहीं था। कम्पनी का आन्तरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों के फर्मों द्वारा की जाती थी, जो मात्र लेखाओं के संकलन तक ही सीमित था।

होटलों का कार्य–निष्पादन

कम्पनी द्वारा स्व–प्रबन्धित होटलों का लक्ष्यित अधिभोग 60 प्रतिशत पर निर्धारित (नवम्बर 1992) किया गया था। वर्ष 2011–12 और 2012–13 में क्रमशः एक स्व–प्रबन्धित होटल और दो स्व–प्रबन्धित होटलों ने ही केवल 60 प्रतिशत के लक्ष्यित अधिभोग को प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, यद्यपि कम्पनी को अपने होटलों के कमरों के टैरिफ के मद में उधार देने की अनुमति नहीं थी, तथापि 31 मार्च 2013 तक इसके 10 होटलों के सम्बन्ध में अनधिकृत रूप से प्रदान की गई उधार के मद में ₹ 56.47 लाख की राशि वसूलनीय थी। कम्पनी के पास अपने कमरों के किराया के निर्धारण हेतु कोई नीति नहीं था।

परिवहन सेवाएँ

कम्पनी की परिवहन सेवाओं का कार्य–निष्पादन 2009–14 की अवधि में संतोषजनक नहीं था। कम्पनी ने वर्ष 2009–10, 2011–12, एवं 2013–14 की अवधि में हानि वहन किया तथा वर्ष 2010–11 और 2012–13 में क्रमशः मात्र ₹ 28 लाख और ₹ तीन लाख का लाभ अर्जित किया। परिवहन इकाई की कुल बकाएदार, वर्ष 2010–11 से 2012–13 के अवधि में ₹ 3.42 करोड़ से बढ़कर ₹ 4.81 करोड़ हो गए थे। क्रय की गई नई बसों का परिचालन परिकल्पित उद्देश्यों हेतु नहीं किया गया था। अनुबन्ध के आधार पर भुगतान जारी नहीं करने तथा बिना कोई लागत–लाभ विश्लेषण किए कार–भान क्रय करने के फलस्वरूप ₹ 1.26 करोड़ का निधि अवरुद्ध पड़ा रहा।

ट्रैवेल–ट्रेड एवं रज्जुमार्ग

प्राक्कलन को तैयार किए बिना निविदा के अन्तिमीकरण करने के फलस्वरूप परिचालन एवं रख–रखाव भार के मद में कम्पनी को ₹ 12 लाख का अधिव्यय करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, कम्पनी की निष्क्रियता के फलस्वरूप सफल बोलीदाता को प्रसारण अधिकार नहीं दिया जा सका जिसके कारण ₹ 33.96 लाख के राजस्व का हानि हुई।

संरचनात्मक विकास परियोजनाएँ

2009–14 की अवधि में प्राप्त किए गए 83 परियोजनाएँ के मद में प्राप्त निधियों से मात्र 23 परियोजनाएँ ही पूर्ण की गई थीं जिनमें से 12 परियोजनाएँ एक से 32 महीने के परास में विलम्ब से पूर्ण किए गए थे। संरचनात्मक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के मुख्य कारण गैर–योजनाबद्ध कार्यान्वयन वस्तुतः वास्तविक स्थल–सर्वेक्षण किए बिना प्राक्कलन का निर्माण, निम्न अनुश्रवण और कम्पनी के अभियन्त्रण शाखा में अभियन्ताओं का अभाव था।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली

ईकाइयों की प्रगति की समीक्षा हेतु मासिक बैठकें नियमित अन्तराल पर आहूत नहीं की जा रही थीं जो कि उच्च प्रबन्धन के स्तर पर अनुश्रवण और पर्यवेक्षण के अभाव को इंगित करता था। कम्पनी की सम्पतियों के भौतिक सत्यापन कराने हेतु कोई तन्त्र मौजूद नहीं था।

निष्कर्ष

कम्पनी, दीर्घावधि/परिप्रेक्ष्य योजना/रोड मैप जिसमें आगामी वर्षों में प्राप्य लक्ष्यों अथवा मील के पत्थरों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया हो, को तैयार करने में विफल रहा जिसके फलस्वरुप राज्य पर्यटन नीति को पाँच वर्षो तक लागू करने के बावजूद राज्य की पर्यटकीय संभाव्यता अप्रयुक्त रह गई, कम्पनी का वित्त एवं लेखा स्कंध का कार्य–निष्पादन सुव्यवस्थित नहीं था, मूलभूत सुविधाओं का अभाव, मुख्य सम्पत्तियों का रख–रखाव नहीं होना, मानव–शक्ति का अभाव एवं उत्तम सेवाओं को प्रदान करने में गैर–पेशेवर तरीकों के फलस्वरुप कम्पनी की होटलों से पर्यटकों का अलगाव हुआ था। कम्पनी ने अपनी नई बेड़ों का उपयोग, यथा परिकल्पित उद्देश्यों हेतु, नहीं किया था जिसके फलस्वरूप निधि अवरुद्ध पड़ा रहा।

निकृष्ट नियोजन, संरचनात्मक परियोजनाओं के कार्यन्वयन में पर्याप्त अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के अभाव के फलस्वरूप अत्यधिक विलम्ब तथा पर्यटकीय सुविधाओं की अनुपलब्धता में फलित हुआ।

परिचय

2.1 बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना नवम्बर 1980 में एक पूर्ण स्वायत्त सरकारी कम्पनी के रूप में की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को आवासीय सुविधाएँ प्रदान करना, पर्यटकों को परिवहन एवं खान–पान सुविधा प्रदान करना और पर्यटकों के रुचि के अनुरूप स्थलों को विकसित करते हुए, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना था। कम्पनी वर्त्तमान में पर्यटकीय आधारभूत संरचनाओं के निर्माण, राजगीर में रज्जुमार्ग का संचालन, सम्पत्तियों वस्तुतः होटलों, मार्गीय सुविधायें, अल्पाहार–गृह आदि को पट्टे पर देना, मोटर–नौकायन का परिचालन तथा गोलघर, पटना में प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन आदि में सम्मिलित है।

कम्पनी की प्रशासनिक विभाग होने के कारण, पर्यटन विभाग (डी0ओ0टी0), बिहार सरकार (जी0ओ0बी0), बिहार राज्य में विभिन्न पर्यटकीय आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु विभिन्न परियोजनाएँ स्वीकृत करती है और उनके निष्पादन हेतु कम्पनी को सुपुर्द करती है। डी0टी0ओ0, कम्पनी को अनुदान के रूप में बजटीय सहायता भी प्रदान करती है और उसके एवज में उपयोगिता प्रमाण–पत्र माँगती है।

31 मार्च 2014 तक राज्य–भर में विभिन्न स्थानों पर स्थित, कम्पनी के पास 21 होटलें (10 स्व–प्रबन्धित, सात पट्टे पर, तीन नवीकरण के अन्तर्गत तथा एक वन एवं पर्यावरण विभाग, (जी0ओ0बी0) के पास थी। कम्पनी के पास अपने होटलों से सम्बन्धित 13 रेस्तराँ (चार स्व–प्रबन्धित, आठ पट्टे पर और एक नीवकरण के अन्तर्गत) भी था। इसके अतिरिक्त कम्पनी की अन्य सम्पत्तियों में मार्गीय सुविधाएँ, राजगीर में रज्जुमार्ग, परिवहन सुविधाएँ, 266 अन्य सम्पत्तियाँ जिनमें मुख्य रूप से समविष्ट कैफेटेरिया, छोटी दुकानें,

मोटर नौकायान, गोलघर, पटना में प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन, इत्यादि सम्मिलित था। कम्पनी की गतिविधियों के पाँच मुख्य खण्ड वस्तुतः आवासीय सुविधा, खान–पान सेवा, परिवहन, रज्जुमार्ग तथा अन्य थे।

संगठनात्मक ढाँचा

2.2 कम्पनी का प्रबन्धन, निदेशक मण्डल (बोर्ड), में निहित था। 31 मार्च 2014 तक बोर्ड में कुल छः निदेशक थे जिसमें दो संव्यावसायिक और एक बिहार सरकार द्वारा जनता में से नामित थे। प्रधान सचिव, डी0ओ0टी0 कम्पनी के बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक कम्पनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं जिन्हें कम्पनी के दैनिक कार्यो में महाप्रबन्धक, उप–महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उप–महाप्रबन्धक (प्रशासन), मुख्य अभियन्ता तथा एक कार्यपालक अभियन्ता द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

पूँजी संरचना

2.3 31 मार्च 2013[1] तक कम्पनी की अधिकृत एवं प्रदत्त पूँजी पाँच करोड़ थी जो कि राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व में था (***परिशिष्ट– 2.1***)। 2009–10 से 2012–13 के अवधि के दौरान कम्पनी ने लाभ अर्जित किया था जिसका परास ₹ 1.07 करोड़ से ₹ 2.08 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के पास ₹ 12.10 करोड़ का संचय एवं आधिक्य था (₹ 0.58 करोड़ का अर्थसाहाय्य तथा ₹ 11.52 करोड़ का सामान्य संचित निधि)।

कम्पनी की गतिविधियों पर एक पूर्णरूपेण समीक्षा की गई थी, जो पिछली बार भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), बिहार सरकार के वर्ष 2008–09 के प्रतिवेदन में प्रस्तुत की गई थी। इसके पूर्व कम्पनी के होटलों के कमरों के अधिभोग एवं खान–पान सेवा पर एक खण्डात्मक समीक्षा तथा कम्पनी की गतिविधियों पर एक पूर्णरूपेण समीक्षा की गई थी जो कि क्रमशः वर्ष 1998–99 तथा 2003–04 में प्रस्तुत की गई थी। उपर्युक्त समीक्षाओं पर लोक उपक्रम समिति द्वारा विचार–विमर्श अभी तक (नवम्बर 2014) होना शेष है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.4 कम्पनी की निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि :

- राज्य पर्यटन नीति (एस0टी0पी0) को लागू करने हेतु कम्पनी ने व्यूह–रचनात्मक योजना/कार्य योजना बनाई थी या बिहार सरकार के साथ समझौता–ज्ञापन (एम0ओ0यू0) पर हस्ताक्षर किया था;
- कम्पनी की होटलों एवं रेस्तराओं का संचालन मितव्ययिता एवं दक्षतापूर्वक किया जा रहा था;
- कम्पनी की परिवहन इकाई एवं रज्जुमार्ग सेवा का लाभ–पूर्वक प्रबन्धन हो रहा था;
- आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु भारत सरकार (जी0ओ0आई0)/जी0ओ0बी0 से प्राप्त निधि का उपयोग मितव्ययितापूर्ण, दक्षतापूर्ण एवं प्रभावी ढ़ंग से किया गया था; एवं

[1] वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 की लेखाएँ औपबन्धिक हैं। वर्ष 2013–14 हेतु लेखाएँ कम्पनी द्वारा तैयार नहीं की गई थी।

- कम्पनी का आन्तरिक नियन्त्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त एवं प्रभावी था।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

2.5 लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति के आकलन हेतु निम्नांकित लेखापरीक्षा मापदण्ड अपनाये गये थे :

- राज्य पर्यटन नीति (एस0टी0पी0), वस्तुतः बिहार पर्यटन नीति–2009;
- प्रायोजित योजनाओं हेतु पर्यटन विभाग (डी0ओ0टी0), जी0ओ0आई0/जी0ओ0बी0 के द्वारा निर्गत मार्गदर्शिकाएँ तथा निर्देशें;
- पर्यटन के विकास हेतु सरकार द्वारा बनाई गई नीतियाँ एवं समय–समय पर निर्गत प्रासंगिक नियमें एवं विनियमनें;
- कम्पनी और सरकार द्वारा हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0;
- अपनी इकाईयों/होटलों हेतु कम्पनी द्वारा निर्धारित कमरों से सम्बन्धित अधिभोग;
- कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं अन्य प्रयोज्य अधिनियमों की प्रावधानों एवं मेमोरैण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन;
- दरों के निर्धारण का आधार; तथा
- कम्पनी की विपणन नीति।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति

2.6 कम्पनी की यह निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2014 से जुलाई 2014 की अवधि के दौरान सम्पन्न की गई थी और इसमें 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए पाँच वर्षो हेतु कम्पनी के पूर्णरूपेण कार्य–निष्पादन को शामिल किया गया था जिसमें बिहार पर्यटन नीति–2009 का कार्यान्वयन, इकाईयों का परिचालन कार्य–निष्पादन, दर निर्धारण, खान–पान सेवाएँ, परिवहन सेवाएँ, सम्पत्तियों को पट्टे पर देना और आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु गतिविधियाँ, इत्यादि सम्मिलित था।

इस कार्य हेतु कम्पनी की मुख्यालय तथा 10[2] स्व–प्रबन्धित होटलों में से चार[3] होटलों एवं राजगीर में रज्जुमार्ग सेवाएँ में संधारित अभिलेखों की जाँच की गई थी। स्व–प्रबन्धित होटलों के प्रतिदर्श का चयन, निष्पादन लेखापरीक्षा के अन्तर्गत अवधि के दौरान, राजस्व उपार्जन के आधार पर, क्रमरहित प्रतिदर्श पद्धति अपना कर की गई थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को सरकार और प्रबन्धन को अवगत कराने हेतु, 10 अप्रैल 2014 को प्रवेश सम्मेलन आहूत किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा कार्यपद्धति का जो मिश्रण अपनाया गया था, उसमें मुख्यालय और इकाई स्तर पर कम्पनी के अभिलेखों की जाँच, बोर्ड बैठकों की कार्यसूची और कार्यवाही

[2] (i) होटल तथागत विहार, राजगीर; (ii) होटल सिदार्थ विहार, बोधगया; (iii) होटल लिच्छवी विहार, मुजफ्फरपुर और (iv) होटल कौटिल्य विहार, पटना।

[3] (i) होटल कौटिल्य विहार, पटना; (ii) होटल लिच्छवी विहार, मुजफ्फरपुर; (iii) होटल सिद्धार्थ विहार, बोधगया; (iv) होटल बुद्ध विहार, बोधगया; (v) होटल सुजाता विहार, बोधगया; (vi) होटल तथागत विहार, राजगीर; (vii) होटल अजातशत्रु विहार, राजगीर; (viii) होटल कैमूर विहार, मोहनियाँ; (xi) होटल सिंगहेश्वर विहार, मधेपुरा और (x) होटल रेणू विहार, पूर्णियाँ।

विवरणी की जाँच, राज्य की पर्यटन नीति के साथ–साथ केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए मार्गदर्शिकाएँ और/अथवा निर्देशें, सूचना हेतु जारी की गई लेखापरीक्षा पृच्छा तथा प्रबन्धन के साथ विचार–विमर्श शामिल था। लेखापरीक्षा निष्कर्ष को सरकार और प्रबन्धन को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2014) और उनपर परिचर्चा 4 सितम्बर 2014 को समापन सम्मेलन में सम्पन्न हुई जिसमें कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक और अन्य अधिकारियों तथा सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अन्तिमीकण में प्रबन्धन/सरकार द्वारा दिए गए मंतव्यों को ध्यान में रखा गया था।

लेखापरीक्षा परिणामें

2.7 लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

राज्य पर्यटन नीति एवं इसका कार्यान्वयन

2.8 बिहार सरकार के राज्य पर्यटन नीति अर्थात् बिहार पर्यटन नीति–2009 की अधिसूचना जुलाई 2009 में जारी की गई। कथित नीति का, अन्य उद्देश्यों के अलावा, मुख्य उद्देश्य पर्यटन को राज्य की प्राथमिकता में स्थापित करना, पर्यटन विकास हेतु मुख्य प्रेरक के रूप में घरेलू पर्यटन पर मुख्य एकाग्रता, बिहार का सांस्कृतिक, धार्मिक और "कल्याण पर्यटन" के रूप में प्रसार करना तथा उन्नत सामाजिक एवं आर्थिक हितों हेतु उद्योग की दक्षता को सुधारना था।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि :

- राज्य पर्यटन का कार्यान्वयन मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा "पर्यटन" प्रोत्साहन एवं विकास परिषद् के स्थापना पर निर्भर था। परिषद् का कार्य पर्यटन उद्योग के सभी हितधारकों के मध्य समक्रमण एवं समन्वय स्थापित करने हेतु था। तथापि, राज्य सरकार ने कथित नीति के अस्तित्व के पाँच वर्षों के उपरांत भी, कथित परिषद् की स्थापना में विफल रहा।

- राज्य सरकार, पर्यटकों के बीच सुरक्षा भावना का आभास करने हेतु, विशेष पर्यटन सुरक्षा बल की स्थापना करने में भी विफल रहा।

- नीति में परिभाषित भूमिका की निर्वहन के लिए कम्पनी को उत्तरदायी बनाने हेतु राज्य सरकार को कम्पनी के साथ समझौता–पत्रकों (एम0ओ0यू0) पर हस्ताक्षर करना चाहिए था। तथापि, इस सन्दर्भ में, राज्य सरकार कम्पनी के साथ कोई एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर करने में विफल रहा।

- कम्पनी, कोई दीर्घावधि/परिप्रेक्ष्य योजना/रोडमैप, जिसमें आगामी वर्षों में प्राप्य लक्ष्यों अथवा मील के पत्थरों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया हो, के निर्माण में विफल रहा।

राज्य सरकार के साथ–साथ कम्पनी ने समापन सम्मेलन में लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकारते (सितम्बर 2014) हुए कहा कि नवीन राज्य पर्यटन नीति–2014 का निर्माण प्रक्रियाधीन था।

अनुशंसा : हमलोग यह अनुशंसा करते हैं कि नीति में परिभाषित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु डी0ओ0टी0 के सहयोग से एक दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य योजना/रोड मैप जिसमें लक्ष्यों एवं/अथवा मील के पत्थरों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया हो, तैयार करना चाहिए।

वित्त एवं लेखा स्कन्ध

2.9 कम्पनी का वित्त एवं लेखा स्कन्ध मुख्य रूप से लेखाओं को तैयार करने, उनके बजट, नियम पुस्तिका, परियोजना–वार बैंक लेखों बनाने और समाशोधन करने हेतु उपायों सशक्त करने, आन्तरिक लेखापरीक्षा करने, इत्यादि के लिए उत्तरदायी है।

बैंक शेषों के समाशोधन नहीं करने के कारण हानि

2.9.1 रोकड़ पंजी के अनुसार अपनी बैंक शेषों को बैंकों की शेषों से समाशोधन करने में कम्पनी विफल रहा। कम्पनी के खाता–बही शेषों की बैंक शेषों से तुलना में ₹1.30 करोड़ का कमी दर्शित हुआ जिसका विवरण ***परिशिष्ट–2.2*** में दर्शित है। पासबुक/बैंक विवरणियाँ कम्पनी के पास नहीं था तथा शेषों से संबन्धित अभिलेखों की अनुपलब्धता भी बैंकों द्वारा सूचित किया गया। वांछित विवरणी के अभाव में, ये कमियाँ, कम्पनी के लेखें में मिथ्या सम्पति के रूप में लेखांकित की जा रही थी। इस तरह, बैंक बकायों एवं रोकड़ बकायों का ससमय बैंक समाशोधन विवरणी तैयार करने के द्वारा समुचित नियंत्रण नहीं होने के फलस्वरूप कम्पनी को ₹1.30 करोड़ की हानि हुई।

प्रबन्धन ने अपने जवाब (सितम्बर 2014) में तथ्य एवं आँकड़ें की स्वीकारोक्ति की।

परियोजना–वार बैंक लेखों को तैयार नहीं करना

2.9.2 यद्यपि निधियों के विचलन पर नियंत्रण रखने, परियोजना–वार बैंक खातों का संधारण एवं प्रत्येक परियोजनाओं पर जमा एवं अर्जित ब्याज के अभिलेखों की संधारण हेतु, कम्पनी द्वारा निर्णय (जून 2008) लिया गया था, तथापि कम्पनी अपनी संरचनात्मक परियोजनाओं के सन्दर्भ में परियोजना–वार बैंक खातों का संधारण करने में विफल रहा।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2014) कि परियोजना–वार बैंक खातों के संधारण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी चूँकि कम्पनी, उपलब्ध निधि को चिह्नित करने हेतु, परियोजना–वार सह–खाता का संधारण करती थी। जवाब मान्य नहीं है चूँकि यह कम्पनी के अपने ही निर्णय के विरोधाभास में है।

बजट को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं करना

2.9.3 निदेशक (बोर्ड) के समक्ष बजट समय से प्रस्तुत नहीं किया गया था। प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2014) कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत् बोर्ड के समक्ष, बजट प्रस्तुत करना, अनिवार्य नहीं है। जवाब सही प्रतीत नहीं होता है चूँकि बजट, नियोजन का अंग है और कम्पनी की आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की उप–वाक्य 66 (24) के अनुसार नियोजन बोर्ड की विशेष शक्तियों, के अन्तर्गत आता है।

आर0ओ0सी0 के पास वार्षिक रिटर्न दायर नहीं करना

2.9.4 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 159 के अन्तर्गत कम्पनी को, कम्पनी के रजिस्ट्रार (आर0ओ0सी0) के यहाँ वार्षिक रिटर्न[4] दाखिला करना आवश्यक था। तथापि, कम्पनी ने वर्ष 2007–08 के उपरान्त आर0ओ0सी0 के यहाँ वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में विफल रहा जिसके कारण से कम्पनी का नाम, कम्पनी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित चूककर्त्ता कम्पनियों की सूची में, सम्मिलित किया गया।

[4] तुलन–पत्र एवं लाभ हानि खाते

लम्बित बकायों का वसूली नहीं होना

2.9.5 31 मार्च 2013 तक कम्पनी की कुल विविध देनदारी ₹ 6.08 करोड़ की थी जिसमें ₹ 73.63 लाख की राशि विगत चार वर्षों से अधिक समय से वसूलनीय थी। साथ ही, उपर्युक्त वर्णित देनदारियों की ₹ 6.08 करोड़ की कुल राशि में से 2010–11 से 2012–13 की अवधि के दौरान कम्पनी की परिवहन इकाई द्वारा किराए पर ली गई गाड़ियों के किराए के मद में ₹ 4.81 करोड़ की बहुतायत राशि सम्मिलित था। 2009–10 से 2012–13 की अवधि के दौरान ₹ 3.83 करोड़[5] तक का कार्यशील पूँजी अवरुद्ध रहा।

लेखा नियम–पुस्तिका, संचालन नियम–पुस्तिका नहीं बनाना

2.9.6 कम्पनी ने, अपनी निगमन के 34 वर्षों के व्यतीत होने के उपरान्त भी लेखा नियम–पुस्तिका, अधिप्राप्ति नियम–पुस्तिका, संचालन नियम–पुस्तिका इत्यादि, तैयार नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के पास अपनी कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कंध नहीं था। कम्पनी की आन्तरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों के फर्मों द्वारा की जाती है। आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य–क्षेत्र लेखाओं के संकलन, बैंक लेखाओं का समाशोधन करना इत्यादि तक ही सीमित था और इसमें कम्पनी द्वारा किए गए व्यय/किए जाने वाले व्ययों के तकनीकी एवं वित्तीय औचित्य की जाँच सम्मिलित नहीं था।

अनुशंसा : हमलोग यह अनुशंसा करते हैं कि कम्पनी को, अपनी वित्त एवं लेखा स्कंध की कार्यशैली में सुधार लाने की आवश्यकता है जैसे कि ससमय बैंक समाशोधन विवरणी तैयार करना, परियोजना–वार बैंक लेखा बनाना, ससमय लेखों का अन्तिमीकरण करना और कम्पनी के कार्य–निष्पादन का नियमित रूप से अनुश्रवण और पर्यवेक्षण करना।

होटलों का कार्य–निष्पादन

2.10 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए अन्तिम पाँच वर्ष में राज्य में आए पर्यटकों का विवरण एवं साथ ही साथ पर्यटकों द्वारा कम्पनी की आवासीय सुविधाओं के उपयोग से संबंधित विवरण ***परिशिष्ट–2.3*** में दी गई है।

परिशिष्ट–2.3 से यह देखा जा सकता है कि 2009–10 से 2013–14 की अवधि में पर्यटकों के आगमन में 37.38 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद पर्यटकों द्वारा कम्पनी की आवासीय सुविधाओं के उपभोग करने की प्रतिशतता 2010–11 में 0.24 प्रतिशत से प्रबल रूप से गिरकर 2013–14 में 0.13 प्रतिशत हो गई थी। कम्पनी के आवासीय सुविधाओं के उपभोग में गिरावट के कारणों पर विमर्श अलग से कंडिका 2.11.1 में की गई है।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकारते (सितम्बर 2014) हुए कहा कि सेवाओं एवं अन्य सुविधाओं में सुधार की प्रक्रिया शुरू की जा रही थी।

[5] यह अवधि के दौरान लम्बित औसत बकायों को इंगित करता है।

होटलों का संचालन

2.10.1 2009–14 की अवधि के दौरान संचालित की गई होटलों की संख्या तथा इन होटलों द्वारा प्राप्त अधिभोग की प्रतिशतता को इंगित करने वाली कार्य–निष्पादन विवरणी निम्न तालिका में दी गई है :

तलिका सं0 – 2.1

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12 (औपबंधिक)	2012-13 (औपबंधिक)	2013-14 (औपबंधिक)
स्व–प्रबन्धित होटलों की संख्या (विवरण *परिशिष्ट–2.4* में दिया गया है।)	13	14	14	14	10
रूम डेज की संख्या	66065	73265	73265	73265	55380
शय्यों की संख्या (कमरों में)	362	402	402	402	304
डॉरमिटरी शय्यों की संख्या	197	197	197	197	159
अधिभोग (प्रतिशत में)	**35.87**	**35.30**	**35.61**	**34.21**	**31.80**

(स्रोत : कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि रूम डेज की संख्या 2009–10 में 66065 से घटकर 2013–14 में 55380 हो गया जिसका मुख्य कारण निजी संचालकों को चार होटलें[6] पट्टे पर देना था।

हमने अग्रेतर प्रेक्षित किया कि :

- कम्पनी द्वारा स्व–प्रबन्धित होटलों का लक्ष्यित अधिभोग[7] 60 प्रतिशत पर निर्धारित (नवम्बर 1992) किया गया था, जबकि वर्ष 2011–12 और 2012–13 में क्रमशः एक[8] स्व–प्रबन्धित होटल और दो[9] स्व–प्रबन्धित होटलों ने ही केवल 60 प्रतिशत के लक्ष्यित अधिभोग को प्राप्त किया था। कम्पनी ने अपने स्व–प्रबन्धित होटलों के संबंध में अपने लक्ष्यित अधिभोग (60 प्रतिशत) की समीक्षा कभी भी नहीं की थी;

कम्पनी की शीर्ष होटल द्वारा प्राप्त अधिभोग काफी कम था

- कम्पनी के शीर्ष होटल अर्थात् होटल कौटिल्य विहार, पटना का अधिभोग प्रतिशत 2009–14 के अवधि में बहुत कम था और यह क्रमशः वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में 19.15 प्रतिशत तथा 15.10 प्रतिशत कम था;
- यद्यपि कम्पनी की इकाईयों/होटलों को अपने कमरों के दर के संदर्भ में उधार देने की अनुमति नहीं थी, तथापि 31 मार्च 2013 तक कम्पनी द्वारा अपने 10 होटलों में अनधिकृत रूप से प्रदान की गई उधार के मद में ₹ 56.47 लाख की राशि वसूलनीय थी।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2014) कि अग्रेतर लंबित बकाए की प्राप्ति हेतु प्रयास किया जा रहा है। कम्पनी ने अग्रेतर कहा कि कम्पनी ने नीति बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया था जिसमें उन सरकारी विभागों/संस्थाओं को

[6] होटल गौतम विहार, राजगीर; होटल विश्वामित्र विहार, बक्सर; होटल कोशी विहार, सहरसा एवं होटल शेरशाह विहार, सासाराम।

[7] कम्पनी की निदेशक मंडल ने 1992 में 60 प्रतिशत का अधिभोग लक्ष्य निर्धारित किया था।

[8] होटल कैमूर विहार, मोहनियाँ।

[9] होटल सिद्धार्थ विहार, बोधगया एवं होटल कैमूर विहार, मोहनियाँ।

सुविधाएँ प्रदान करना बंद किया जाएगा जो कि नियमित रूप से अपने लंबित बकायों का भुगतान करने में चूक कर रहे थे।

संयुक्त जाँच द्वारा नमूना जाँच के क्रम में कम्पनी के चार स्व–प्रबन्धित होटलों[10] में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई थीं जिनके कारण कम्पनी के होटलों के निम्न अधिभोग में फलित हुआ।

- मूलभूत सुख–सुविधाओं का अभाव, वस्तुतः होटलों का अच्छा वातावरण, एक होटल को छोड़कर अन्य में लिफ्ट सुविधा का न होना, ए0सी0 कमरों में विद्युत का पूर्णरूपेण बैक–अप नहीं होना (सभी चार होटलों में), परिवहन सुविधाओं का अभाव (एक होटल को छोड़कर), अतिथियों के शिकायती/प्रतिक्रिया पंजी का संधारण नहीं करना (एक होटल को छोड़कर), इत्यादि (***परिशिष्ट – 2.5***)।

- योग्य मानव–शक्ति का अभाव और/अथवा मानकों के अनुसार, पर्यवेक्षीय कर्मचारी को केन्द्र या राज्य सरकार के संस्था से होटल प्रबंधन में डिग्री/डिपलोमा का प्रमाण–पत्र होनी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त, होटल के स्वागत–कक्ष के कर्मचारी को अंग्रेजी भाषा की जानकारी होना चाहिए था। यह प्रेक्षित किया गया कि बोधगया के टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में नियमित[11] प्रबंधक नहीं था। पटना में स्थित होटल के प्रबंधक के पास आवश्यक योग्यता प्रमाण–पत्र नहीं था, प्रत्येक चार कमरों हेतु दो परिचारकों के मानक के विरुद्ध अपर्याप्त एवं/अथवा परिचारकों की/अथवा अव्यवहारिक नियोजन, होटल तथागत विहार – 45 कमरों पर तीन परिचारक, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, बोधगया – 13 कमरों और 75 डॉरमेटरी शय्यों पर पाँच परिचारक, होटल कौटिल्य विहार – 35 कमरों और 24 डॉरमेटरी शय्यों पर आठ परिचारक और होटल लिच्छवी विहार – 16 कमरों पर दो परिचारक प्रेक्षित किया गया था एवं होटल तथागत विहार तथा बोघगया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, बोधगया में नियमित हाउस कीपर का अभाव;

- पर्यटकों को गुणवत्ता सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी द्वारा निम्न–स्तरीय अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण : मानकों के अनुसार, होटलों के संचालन सुनिश्चित करने हेतु, कम्पनी ने आवधिक जाँच हेतु तीन दलों की स्थापना (मार्च 2010) की थी। हालांकि, इन दलों द्वारा समर्पित की गई जाँच प्रतिवेदन, अभिलेखों में नहीं पाया गया। आवधिक समीक्षा बैठकों अथवा कमरों का परित्याग करते समय अतिथियों द्वारा दर्ज प्रतिक्रियाओं का कमरों से मिलान करने के माध्यम द्वारा, शिकायतों की प्राप्ति व उनपर सुधारात्मक कार्रवाई करने की प्रणाली का अनुश्रवण नहीं किया था,

- कम्पनी के होटलों के प्रसार हेतु कम्पनी द्वारा विपणन/विज्ञापन अभियान का अभाव था 2009–14 की अवधि में विज्ञापन एवं प्रसार के मद में कम्पनी द्वारा किया गया व्यय काफी कम था और यह कुल नकद् व्यय के 0.47 प्रतिशत एवं 1.11 प्रतिशत के परास में था। अतिथ्य और सेवा प्रदत्ता होने के कारण कम्पनी का यह दायित्व था कि वह राज्य में पर्यटन के प्रसार और मजबूती प्रदान करने हेतु अपने बजट का महत्वपूर्ण आवंटन विज्ञापन और प्रसार के मद में करना था, तथा

- इसके अतिरिक्त, कम्पनी के पास अतिथियों की प्रतिक्रिया/शिकायत के आधार पर अपने होटलों को श्रेणीकृत करने का कोई तंत्र नहीं था। पर्यटकों को अपने होटलों की ओर आकर्षित करने हेतु यात्रा–अभिकर्त्ता और/अथवा यात्रा संचालकों के साथ कोई संबंध नहीं था।

[10] होटल सिद्धार्थ विहार, बोध गया; होटल लिच्छवी विहार, मुजफ्फरपुर; होटल कौटिल्या विहार, पटना एवं होटल तथागत विहार, राजगीर।

[11] रिसेप्शनिस्ट प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा था।

प्रबंधन ने अपने जवाब में कहा कि (सितम्बर 2014) कम्पनी के होटलों का उपभोग मुख्य रूप से पर्यटकों के आगमन पर निर्भर करता है और कम्पनी की होटलों में ठहरने का निर्णय अतिथियों के विवेक पर होता है। जवाब विश्वसनीय नहीं है क्योंकि 2009–14 की अवधि में राज्य में पर्यटकों के आगमन में भारी वृद्धि हुई थी जैसा कि कंडिका 2.11 में पहले से वर्णित है। साथ ही, कम्पनी का जवाब कम्पनी के होटलों में व्याप्त कमियों के बारे में मौन था जो कि मुख्य रूप से कम्पनी के अधिभोग को प्रभावित करता था।

किराया निर्धारण

2.10.2 कमरों के किराया निर्धारण हेतु कम्पनी के पास कोई नीति नहीं थी। विद्यमान बाजार प्रवाह और/अथवा मौजूदा सेवाओं को बेहतर बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किराया–दर को नियमित अवधि में, समीक्षा करने का तंत्र नहीं था। लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि दरों का निर्धारण होटल प्रबंधकों के अनुशंसाओं/प्रस्तावों पर की जाती थी, जब कभी भी कम्पनी के मुख्यालय से नई दरें समर्पित करने हेतु निदेश दिया जाता था। यद्यपि होटल प्रबंधकों की अनुशंसाएँ बजार के सर्वेक्षण पर आधारित होता था, तथापि वह बिना लागत–लाभ विश्लेषण किए हुए होता था।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2014) की भविष्य में दरों का निर्धारण करते समय लागत–लाभ विश्लेषण किया जाएगा।

खान–पान सेवाओं का कार्य–निष्पादन

2.11 खान–पान सेवाएँ प्रदान करने हेतु कम्पनी के पास अपने होटलों के साथ जुड़ा हुआ 13 रेस्तराँ (9 पट्टे पर) था जिसमें चार स्व–प्रबन्धित था। कम्पनी के साथ जुड़े हुए दो[12] स्व–प्रबन्धित खान–पान सेवाएँ/रेस्तराओं की समीक्षा में यह उद्घटित हुआ कि :

- होटल लिच्छवी विहार, मुजफ्फरपुर के रेस्तराँ के लाभ में ₹ 0.87 लाख से ₹ 2.29 लाख की वृद्धि 2009–13 के अवधि में पाई गई। हालांकि, कथित रेस्तराँ के लाभ में तेजी से 50 प्रतिशत की कमी पाई गई और यह वर्ष 2013–14 मे ₹ 1.14 लाख हो गया;

- होटल तथागत विहार, राजगीर के रेस्तराँ का लाभ 2009–10 में ₹ 7.26 लाख से बढ़कर 2012–13 में ₹ 15.55 लाख हो गया था। तथापि, कथित रेस्तराँ के लाभ में तेजी से 24.63 प्रतिशत की गिरावट आई और यह वर्ष 2013–14 में ₹ 11.72 लाख हो गया।

कथित रेस्तराँओं के लाभ में भारी गिरावट का मुख्य कारण कम्पनी के होटलों का निम्न अधिभोग, निम्नस्तरीय सेवा एवं आतिथ्य था जो मुख्यतः प्रशिक्षित मानव–शक्ति के अभाव, चालू व्यय (पी0ओ0एल0/खाद्य सामग्रियों) के मूल्य में वृद्धि, इत्यादि कारणों से था।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2014) कि राजस्व में कमी का कारण अप्रशिक्षित कर्मचारियों का नियोजन था एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों की अनुरक्षण हेतु प्रयास, प्रक्रियाधीन था।

[12] रेस्तराँ लिच्छवी विहार, मुजफ्फरपुर तथा रेस्तराँ तथागत विहार, मुजफ्फरपुर।

अनुशंसा : हमलोग यह अनुशंसा करते हैं कि पर्यटकों को गुणवत्ता सेवाएँ प्रदान करने हेतु कम्पनी को अपने होटलों के प्रबन्धन में पेशेवर रुख अपनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अपने होटलों के दर निर्धारण हेतु कम्पनी को एक उचित दर नीति तैयार करनी चाहिए।

परिवहन सेवाएँ

2.12 पटना में स्थित कम्पनी की एक परिवहन इकाई है जो पर्यटकों को स्थल–भ्रमण हेतु एवं अपने नियमित ग्राहकों को भी किराए पर परिवहन सेवा प्रदान करती है। इस उद्देश्य हेतु कम्पनी अपने वाहनों को प्रदान करने के अतिरिक्त तीसरी पार्टियों से कमीशन के आधार पर वाहन, किराया पर, लेती है। कम्पनी अपना कमीशन काटने के उपरान्त विद्यमान किराया दर के आधार पर निजी संचालकों को किराया का भुगतान करती है। उसके उपरान्त कम्पनी अपने ग्राहकों को विपत्र जारी करती है। 31 मार्च 2014 को कम्पनी की बेड़ा–शक्ति में 11 बसें, दो कार–भान एवं 26 छोटे वाहन थे। 2009–14 की अवधि के दौरान मात्र परिवहन इकाई की आय कम्पनी की कुल आय का 23.36 प्रतिशत से 31.47 प्रतिशत था।

2.12.1 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए पिछले पाँच वर्षों के लिए परिवहन इकाई के परिचालन निष्पादन को निम्नतः दर्शाया गया है :

तालिका संख्या – 2.2

(राशि : ₹ करोड में)

वर्ष	वास्तविक आय	व्यय		कुल	लाभ / हानि	लाभ / (हानि) की प्रतिशतता
		परिचालन	ह्रास			
2009-10	2.80	2.18	1.39	3.57	(0.77)	(27.50)
2010-11	3.61	2.49	0.84	3.33	0.28	7.76
2011-12	3.15	2.76	0.50	3.26	(0.11)	(3.49)
2012-13	3.21	2.59	0.59	3.18	0.03	0.93
2013-14	3.28	2.88	1.20	4.08	(0.80)	(24.39)

(स्रोत : कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कम्पनी की परिवहन इकाई की सेवाएँ 2009–14 की अवधि में संतोषजनक नहीं था। 2009–10, 2011–12 तथा 2013–14 की अवधि में परिवहन इकाई घाटे में रहा और वर्ष 2010–11 एवं 2012–13 में क्रमशः मात्र ₹ 28 लाख और ₹ तीन लाख की आय अर्जित किया। परिवहन सेवाओं के निम्न निष्पादन के मुख्य कारण थे :

- 2009–10 में पटना–पूर्णियाँ मार्ग में वोल्वो बसों के नहीं चलाए जाने के मद में बेड़ा–शक्ति का कम उपयोग तथा दिसम्बर 2013 से वोल्वो बसों के नियमित संचालन को बन्द कर देना,
- 2013–14 में चालू किए गए चार इसुजु बसों का निम्न उपयोग किया जाना,
- नौ वर्षों के उपरान्त फरवरी 2012 में टैरिफ दरों का अनायास संशोधन तथा इनपुट लागत की वृद्धि के सापेक्ष अपने वाहनों के किराए के संदर्भ में किराए की आवधिक समीक्षा हेतु कोई तंत्र विकसित करने में कम्पनी की विफलता।

सेवा प्राप्तकर्त्ताओं से बकाए भाड़े की वसूली नहीं होना

2.12.2 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए पाँच वर्षों में किराया के मद में सेवा प्राप्तकर्त्ताओं यथा सरकारी विभागों/संस्थाओं से लंबित किराया शुल्क की स्थिति निम्नतः दर्शायी गई है :

तालिका संख्या – 2.3

(राशिः ₹ करोड़ में)

अवधि	प्रारंभिक शेष	वर्ष हेतु निर्गत विपत्र	वर्ष के दौरान विपत्र के मद में प्राप्त राशि	शेष	पिछले वर्ष के अंत शेष के सापेक्ष विविध देनदारों की वृद्धि (प्रतिशत में)
2009-10	2.76	2.29	2.39	2.66	-4
2010-11	2.66	2.24	1.48	3.42	29
2011-12	3.42	3.33	2.31	4.44	30
2012-13	4.44	3.45	3.08	4.81	8
2013-14	4.81	3.43	4.24	4.00	-17

(स्रोत : कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

2012–13 में विभिन्न देनदारों की कुल राशि ₹ 4.81 करोड़ तक संचित हो गई थी

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि परिवहन इकाई की विविध देनदारों की राशि 2010–11 से 2012–13 की अवधि में ₹ 3.42 करोड़ से बढ़कर ₹ 4.81 करोड़ हो गई थी। कथित अवधि में देनदारों की वृद्धि आठ प्रतिशत और 30 प्रतिशत के परास में थी। तथापि, बाद में वर्ष 2013–14 में विविध देनदारों से वसूली में सुधार हुआ था।

हमलोगो ने प्रेक्षित किया कि कम्पनी के पास न तो कोई ऋण नीति थी और न ही अपने देनदारों को ऋण प्रदान करने हेतु कोई योजना थी। ऋण नीति के अभाव में विभिन्न विभाग/संस्था को दी गई ऋण पर कोई नियंत्रण नहीं था जिसके फलस्वरूप 31 मार्च 2014 तक ₹ चार करोड़ की कार्यशील पूँजी अवरूद्ध रही और उसपर अनुवर्त्ती ब्याज की भी हानि हुई।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2014) कि उपर्युक्त बकायों का लगभग 99 प्रतिशत सरकारी विभागों से वसूलनीय था। कम्पनी ने अग्रेतर कहा कि वह इन सरकारी विभागों/संस्थाओं को परिवहन सेवाएँ बंद करने की नीति बनाने की प्रक्रिया आरम्भ कर रही है जो लंबित बकायों के भुगतान में निरंतर चूक कर रहे है।

अनुशंसा : हमलोग यह अनुशंसा करते हैं कि बाह्य पार्टियों को किराए पर वाहन प्रदान करने के संदर्भ में कम्पनी को एक ऋण नीति तैयार करना चाहिए। कम्पनी को वैसी पार्टियाँ, जो लंबित बकायों के भुगतान में निरंतर चूक कर रहे हैं, को किराए पर वाहन प्रदान कराना बंद कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कम्पनी की परिवहन इकाई को लंबित बकायों की वसूली हेतु आक्रामक रूप से अनुसरण करना चाहिए।

परिवहन इकाई की नमूना जाँच के दौरान निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई :

लक्जरी बसों के क्रय पर निष्फल व्यय

2.12.3 पटना–बोधगया मार्ग पर पर्यटकों को नियमित बस सेवा प्रदान करने तथा ₹ 4.67 लाख प्रति माह नकद् प्रवाह की संभाव्यता हेतु बुद्धिस्ट सर्किट पर यात्रा एवं भ्रमण अभिकर्त्ताओं की माँगों की पूर्ति हेतु कम्पनी ने चार लक्जरी बसों के क्रय हेतु

योजना (मार्च 2002) बनाई। कम्पनी के निदेशक मंडल ने उच्च श्रेणी के चार वातानुकूलित बसों के क्रय के प्रस्ताव का अनुमोदन (मार्च 2013) किया। तद्नुसार ₹ 1.52 करोड़[13] की लागत पर चार एस0एम0एल0 इसुजु बसों का क्रय (जून 2013) किया गया।

निहित उद्देश्यों से क्रय की गई नई बसों के संचालन में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप ₹ 1.52 करोड़ का निष्फल निवेश हुआ

हमलोगों ने प्रेक्षित किया, कि यथा परिकल्पित, क्रय की गई बसों को न तो निर्धारित पटना–बोधगया मार्ग पर चलाया गया और न ही बुद्धिस्ट सर्किट पर इसके संचालन के लिए यात्रा अभिकर्त्ताओं के माँग की पूर्ति हेतु, उपयोग किया गया था। नौ महिनों की अवधि में चार बसें हेतु निर्धारित 3.24 लाख कि0मी0 के विरुद्ध कथित अवधि में ये बसें कुल 0.37 लाख कि0मी0 ही चलाई गई थी चूँकि ये बसे निजी पार्टियों को चार्टर आधार पर उपलब्ध कराई जा रही थी। परिकल्पित उद्देश्यों हेतु बसों के अल्प परिचालन से कम्पनी ₹1.43 करोड़[14] की राजस्व अर्जित करने के अवसर से चूक गया एवं ₹ 1.52 करोड़ के निवेश के उद्देश्य की भी प्राप्ति नहीं हो सकी।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा (सितम्बर 2014) कि बसों के सम्पोषित संचालन हेतु अधिक विकल्पों की तलाश की जा रही है।

कार–भान एवं डबल–डेकर बसों की क्रय पर निधि का अवरूद्ध होना

2.12.4 कम्पनी ने ₹ 1.61 करोड़[15] की लागत पर तीन डबल डेकर बसों के क्रय हेतु फैब्रिकेटर को क्रयादेश (नवम्बर 2012) दिया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने राज्य में पर्यटन के प्रसार हेतु ₹ 51 लाख की लागत पर दो कार–भान/लग्जरी–भान का क्रय (मार्च 2013) किया। हमलोगो ने प्रेक्षित किया कि :

- डबल–डेकर बसों की आपूर्ति मार्च 2013 तक होनी थी। कम्पनी ने फैब्रिकेटर को ₹ 74.56 लाख (नवम्बर तथा दिसम्बर 2012) का भुगतान किया। अनुबंध के अनुसार फैब्रिकेटर को चेसिस और निर्माण की कुल लागत के 70 प्रतिशत का भुगतान बसों की आपूर्ति के पूर्व करना था। हालांकि, कम्पनी ने फैब्रिकेटर को ₹ 74.56 लाख का भुगतान किया था जो कि केवल 47 प्रतिशत था। इसके फलस्वरूप कम्पनी को अभी तक (सितम्बर 2014) एक भी बस की आपूर्ति नहीं की गई थी और कथित फैब्रिकेटर को पूर्व में भुगतान की गई ₹ 74.56 लाख अवरूद्ध हो गई। इसके अतिरिक्त, फैब्रिकेटर द्वारा एस0एम0एल0 इसुजु निर्माताओं से प्राप्त चेसिस और इंजन पर वारंटी जो केवल 12 महिनों की अवधि हेतु थी, दिसम्बर 2013 में ही समाप्त हो गया था।

अनुबंध के आधार पर डबल–डेकर बसों हेतु भुगतान जारी नहीं करने एवं बिना लागत–लाभ विश्लेषण के कार–भानों के क्रय के फलस्वरूप ₹ 1.26 करोड़ अवरुद्ध हो गया

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2014) कि स्थानीय पर्यटन के विकास हेतु तीन बसों का क्रयादेश दिया गया था। हाँलाकि प्रबन्धन का जवाब उक्त बसों के अभी तक (सितम्बर 2014) सुपुर्द नहीं होने और फैब्रिकेटर पास कम्पनी की निधि अवरूद्ध होने के संबंध में मूक था।

- कार–भान का क्रय बिना किसी लागत लाभ विश्लेषण और/अथवा उनके सम्भाव्य उपयोगिता के आधार पर किया गया था जैसा कि उसके निम्न आरक्षण की संख्या से स्पष्ट था चूँकि जुलाई 2014 तक 16 महीनें की अवधि में केवल 14 आरक्षण हुआ था और उस मद में मात्र ₹ चार लाख की राजस्व अर्जित की गई थी। ये कार–भान अभी तक (सितम्बर 2014) कम्पनी के परिसर में निष्क्रय पड़ी हुई थी।

[13] प्रति बस ₹ 38 लाख की दर से चार बसें।

[14] छः माह में एक बस से संभाव्य आय= ₹ 27,89,500। नौ महिनों हेतु संभाव्य आय : ₹ 27,89,500 * 4 बसें*9/6 महिनें – नौ महिनें में चार बसों द्वारा अर्जित वास्तविक आय (₹ 24,16,940) = ₹ 1,43,20,060.

[15] डबल–डेकर : ₹ 53.67 लाख *3= ₹ 1.61 करोड़

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2014) कि कम्पनी की पर्यटकों का ध्यानाकर्षण/बिहार में पर्यटन की प्रसार की दूरदर्शिता हेतु कार–भान का क्रय किया गया था। हालांकि, प्रबंधन का जवाब इन लग्जरी–भानों की निम्न उपयोगिता पर मूक था।

निजी संचालकों को अनुचित लाभ

2.12.5 लोक निजी भागीदारी माध्यम के तहत् कम्पनी ने बस सेवाओं के संचालन हेतु निविदा आमंत्रित (जुलाई 2011) की। निविदा के अन्तिमिकरण के उपरान्त कम्पनी ने सात मार्गों[16] पर ₹ 15000 प्रति बस प्रति माह के दर पर कम्पनी के चिन्ह पर लाईसेन्स के अन्तर्गत बसों के संचालन हेतु कार्यादेश (मई 2012) निर्गत किया।

अनुबंध करने में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप ₹ 12.72 लाख की लाईसेन्स फीस अवसूलनीय रही

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने निजी संचालकों के साथ अनुबंध नहीं किया था और संचालक को कम्पनी के चिन्ह के अन्तर्गत बसों के संचालन हेतु अनुमति प्रदान की थी। संचालक मई 2012 से ही लगातार मासिक किराया देने में चूक कर रहा था। उसी दौरान कम्पनी ने यह भी पाया (अक्टूबर 2012) कि लाईसेन्सी द्वारा अनधिकृत रूप से कम्पनी की मार्गों पर अपनी बसों का परिचालन किया जा रहा था। कम्पनी ने फिर भी कार्यादेश को रद्द नहीं किया और लाईसेन्सी को अगस्त 2013 तक बसें चलाने दिया। कम्पनी ने अन्ततः सितम्बर 2013 में कार्यादेश रद्द कर दिया। सितम्बर 2013 तक निजी संचालक से ₹ 12.72 लाख की लाईसेन्स फीस वसूलनीय था जो अभी तक (नवम्बर 2014) वसूला नहीं जा सका है।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2014) कि कम्पनी ने संचालक के साथ अपने चिन्ह के उपयोग करने हेतु अनुबंध किया था और संचालक के यहाँ बकायों की वसूली प्रक्रियाधीन है। जवाब सही नहीं प्रतीत होता है क्योंकि प्रबन्धन ने अनुबंध की प्रति उपलब्ध नहीं कराई थी।

अनुशंसा : कम्पनी को निहित उद्देश्यों वस्तुतः स्थानीय पर्यटन के विकास के लिए अपनी वाहनों के उपयोग हेतु प्रयास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, लोक निजी भागीदारी माध्यम के अन्तर्गत, बसों के परिचालन हेतु, कम्पनी को प्रयत्न करना चाहिए।

ट्रैवेल–ट्रेड एवं रज्जुमार्ग

2.13 कम्पनी के पास मुख्यालय कार्यालय में एक ट्रैवेल–ट्रेड एवं रज्जुमार्ग स्कंध है जो व्यापार मेला, महोत्सव, टूर पैकेज के आयोजन एवं राजगीर में स्थित रज्जुमार्ग के कार्य–निष्पादन की अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी हैं। कथित स्कंध की लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई :

कम्प्युटरीकृत टिकटिंग तंत्र के रख–रखाव पर अधिक व्यय

2.13.1 कम्पनी ने अपने राजगीर स्थित रज्जुमार्ग के लिए कप्युटरीकृत टिकटिंग प्रणाली स्थापित करने का निर्णय (सितम्बर 2012) लिया। निविदा के अन्तिमिकरण के उपरान्त कथित प्रणाली को स्थापित किया गया और मई 2013 से उसका संचालन किया जाने लगा। टिकटिंग प्रणाली स्थापित करने का लागत ₹ 31.50 लाख था और संचालन एवं रख–रखाव शुल्क ₹ 2.20 लाख प्रति माह था।

[16] (i) पटना–वैशाली–केशरिया–कुशीनगर–पटना (ii) बोधगया–पटना–सिलीगुड़ी–जयगाँव–पटना (iii) पटना – भागलपुर – पटना (iv) पटना – रक्सौल – पटना (v) पटना – वाराणसी – पटना (vi) पटना–गया–कोलकता–गया एवं (vii) कोलकता–बोधगया–पटना।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि प्रबन्धन ने कम्प्युटरीकृत टिकटिंग प्रणाली को स्थापित करने हेतु मार्गदर्शिका[17] के अन्तर्गत वांछित प्राक्कलन तैयार नहीं किया था। निविदा को उच्च दर पर प्रदान कर दिया था। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि कथित प्रणाली की संचालन के एक वर्ष के उपरान्त पूर्व में ₹ 2.20 लाख प्रतिमाह उद्धृत दर के विरुद्ध प्रबन्धन ने संवेदक से पुनः वार्ता कर संचालन एवं रखरखाव शुल्क को घटाकर ₹ 1.20 लाख प्रतिमाह कर दिया था और इस प्रकार कम्पनी ने रख–रखाव लागत के मद में 12 लाख का अधिक भुगतान किया।

इस प्रकार, प्राक्कलन को बनाए बिना निविदा के अन्तिमिकरण के फलस्वरूप कम्पनी ने 12 लाख का अधिक व्यय किया।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2014) कि निविदा आमंत्रित की गई थी और उसके आधार पर एल0 – 1 बोलीदाता का चयन किया गया था। जवाब सही प्रतीत नहीं होता है क्योंकि निविदा का अन्तिमिकरण, बिना प्राक्कलन तैयार किए, किया गया था जिसके कारण कम्पनी सर्वोत्तम मितव्यय सौदा प्राप्त नहीं कर सकी जिसकी सम्पुष्टि इस तथ्य से होती है कि प्रबन्धन को संवेदक से पुनः दर वार्ता करना पड़ा।

कम्पनी की अकार्यशीलता के कारण राजस्व की हानि : ₹33.96 लाख

2.13.2 पटना में स्थित गंगा घाट पर ''गंगा महा–आरती'' हेतु एक वर्ष का सीधा–प्रसारण का अधिकार प्रदान करने के लिए कम्पनी ने निविदा आमंत्रित (जुलाई 2011) किया। इसके प्रत्युत्तर में कम्पनी ने तीन दरें प्राप्त की। निविदा समिति ने सफल दर कर्त्ताओं को ₹ 2.83 लाख प्रति माह के लाईसेन्स शुल्क पर सीधा–प्रसारण अधिकार प्रदान करने की अनुशंसा (अक्टूबर 2011) की।

डी0टी0ओ0 के निर्देश पर कम्पनी की अकार्यशीलता के फलस्वरूप ₹ 33.96 लाख के राजस्व की हानि हुई

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि कम्पनी ने प्रसारण अधिकार देने से संबंधित विषय को पर्यटन विभाग (डी0ओ0टी0) को भेज दिया। डी0ओ0टी0 ने निर्देश दिया कि बक्सर से भागलपुर तक होने वाली गंगा महा–आरती में सभी संभाव्य घाटों को चिह्नित करें और प्रसारण से संबंधित एक समेकित प्रस्ताव अनुमोदन हेतु समर्पित करें। हाँलाकि , कम्पनी इस संबंध में कोई कार्रवाई करने में विफल रही। इस प्रकार डी0ओ0टी0 के निर्देश पर कम्पनी की अकार्यशीलता के फलस्वरूप पटना में स्थित गाँधी घाट पर गंगा महा–आरती के सीधा–प्रसारण के अधिकार जिसके लिए निविदा समिति ने सफल दरकर्त्ता की अनुशंसा की थी, के संदर्भ में ₹ 33.96[18] लाख के राजस्व अर्जित करने के अवसर से चूक गया।

प्रबन्धन ने समापन सम्मेलन (सितम्बर 2014) में लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया।

संरचनात्मक विकास परियोजनाएँ

2.14 कम्पनी डी0टी0ओ0 की केन्द्रीय अभिकरण होने के नाते डी0टी0ओ0 के संरचनात्मक सुविधाओं के विकास (वस्तुतः होटलों, मार्गीय सुविधाएँ, टूरिस्ट कॉम्पलेक्स, इत्यादि) हेतु निधि प्राप्त करती है जिससे राज्य में पर्यटन के प्रसार एवं सूचना केन्द्रों को प्रोत्साहन मिल सके। 2009–10 से 2013–14 की अवधि में, डी0टी0ओ0 में विभिन्न अभिकरणों यथा जिला अधिकारियों, पर्यटन निदेशालय, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, सी0पी0डब्ल्यू0डी0, इत्यादि को

[17] सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, दूर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत (दिसम्बर 2011)।

[18] (₹ 2.83 लाख*12 महीनें)

राज्य में पर्यटन के संरचनात्मक विकास हेतु ₹ 273.10 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी। हाँलाकि कम्पनी द्वारा परियोजनाओं के निम्न निष्पादन के आधार पर डी0टी0ओ0 ने कम्पनी को राज्य में पर्यटक सुविधाओं के विकास हेतु कुल स्वीकृत राशि का केवल 35.23 प्रतिशत (₹ 96.21 करोड़) ही स्वीकृत किया।

कम्पनी ने ₹ 96.21 करोड की स्वीकृत निधि के विरुद्ध 83 परियोजनाओं के निर्माण/नवीकरण/विकास हेतु ₹ 78.72 करोड़ की राशि प्राप्त की।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि :

83 परियोजनाओं मे से केवल 23 परियोजनाएँ ही पूर्ण की जा सकी जिसमें 12 परियोजनाएँ एक से 32 महीनें के विलम्ब से पूर्ण किया गया था

- 83 परियोजनाओं के विरुद्ध, केवल 23 परियोजनाएँ, जिसकी कुल लागत ₹15.48 करोड़ थी, ही पूर्ण की गई थी और इसमें से 12 परियोजनाएँ जिनकी लागत ₹ 6.46 करोड़ थी, एक से 32 महिनों के परास में विलम्ब से पूर्ण हुई थी;
- 17 परियोजनाएँ जिनकी लागत ₹ 8.41 करोड़ थी, उनका कार्य, निधि प्राप्ति के 11 से 59 महीनें व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी स्थल की अनुपलब्धता, रूप–रेखा में संशोधन तथा निविदा के रद्द हो जाने इत्यादि कारणों से आरम्भ नहीं हो सका था;
- 43 परियोजनाएँ, जिनकी लागत ₹ 54.83 करोड़ थी, का कार्य, निर्माण के विभिन्न चरणों में था। हाँलाकि, इन परियोजनाओं का निष्पादन प्रगति बहुत ही धीमा था।
- संरचनात्मक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब का मुख्य कारण अनियोजित निष्पादन वस्तुतः बिना वास्तविक स्थल निरीक्षण किए प्राक्कलन तैयार करना, प्राक्कलन में महत्वपूर्ण मद को शामिल नहीं करना, निम्न अनुश्रवण, डी0टी0ओ0 एवं अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के साथ समन्वय की कमी और कम्पनी के अभियंत्रण स्कंध में अभियंताओं का अभाव था। 2009–10 से 2012–13 की अवधि में उपर्युक्त वर्णित परियोजनाओं पर प्राप्त निधि की उपयोगिता मात्र 37.69 प्रतिशत थी।

 प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार (सितम्बर 2014) किया।
- कम्पनी ने अनुबंध के जोखिम एवं लागत उपवाक्य के प्रावधानों के विरुद्ध दो परियोजनाओं वस्तुतः होटल कर्ण विहार, मुंगेर एवं सम्मेलन कक्ष, बक्सर जिसे संवेदक की चूक के कारण निरस्त कर दिया गया था, के मद में ₹ 32.84[19] लाख का किया गया अधिव्यय, चूककर्त्ता संवेदकों, से वसूलने में विफल रहा।

 प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार (सितम्बर 2014) किया।

2.14.1 लेखापरीक्षा की नमूना जाँच में निम्नलिखित पाँच प्रमुख अपूर्ण परियोजनाएँ जिनकी लागत ₹11.40 करोड़ थी उद्घाटित हुई, जिसे अपनी निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण हो जाना था। तथापि, ये परियोजनाएँ अत्यधिक विलम्ब में थी और ये अभी तक (नवम्बर 2014) अपूर्ण थे।

होटल जानकी विहार, सीतामढ़ी : कम्पनी ने होटल जानकी विहार, सीतामढ़ी के पुनर्निर्माण का कार्य मई 2011 में लिया था। परियोजना में होटल के सम्पूर्ण ढ़ाँचा को तोड़ना और नई भवन के निर्माण करने के साथ–साथ मिट्टी भराई द्वारा स्थल विकास, पहुँच पथ का निर्माण सहित शामिल था। इस उद्देश्य हेतु डी0ओ0टी0 ने, मई 2010 और जनवरी 2013 में दो किस्तों में कम्पनी को ₹ 1.84 करोड़ उपलब्ध कराया था। अनुबंध के अनुसार पूर्ण होने की निर्धारित तिथि मई 2012 थी। तथापि, धीमी प्रगति के कारण कथित परियोजना अभी तक (नवम्बर 2014) अपूर्ण था।

[19] ₹ 45.36 लाख – ₹ 12.52 लाख (कटौती) = ₹ 32.84 लाख।

होटल बुद्ध विहार, बोधगया में कमरों का निर्माण : डी0टीओ0 ने, होटल बुद्ध विहार को, सितारा होटल में उन्नयन हेतु, अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए ₹ 6.21 करोड़ की राशि स्वीकृत (2006–07) किया। स्वीकृत राशि में से कम्पनी ने मार्च 2013 तक ₹ 3 करोड़ की राशि प्राप्त की। अनुबंध के अनुसार कथित कार्य दिसम्बर 2013 पूर्ण होना था। तथापि, आरेखन की पुनर्रीक्षण के कारण कथित परियोजना अभी तक (नवम्बर 2014) पूर्ण होना शेष था।

मुण्डेश्वरी मन्दिर, कैमूर में पर्यटकीय सुविधाओं का विकास : परियोजना में, जिसकी लागत ₹ 3.47 करोड़ थी, पर्यटन सूचना केन्द्र, कैफेटेरिया का निर्माण और मुण्डेश्वरी मंदिर के समीप अन्य सुविधाओं का विकास शामिल था। परियोजना जुलाई 2011 तक 30 महीनों में पूर्ण की जानी थी। हाँलाकि, परियोजना के स्थल में परिवर्तन के कारण, परियोजना 41 महीने से विलंबित हो गया।

वीरपुर, सुपौल में मार्गीय सुविधा : इसमें पर्यटकों को, मार्च 2012 को समाप्त हुए 18 महीनों में ₹1.60 करोड़ की लागत पर मार्गीय सुविधा उपलब्ध कराना था। तद्नुसार दिसम्बर 2009 में, कम्पनी को निधि उपलब्ध कराई गई। हालांकि दिसम्बर 2009 की निविदा के विरुद्ध, सितम्बर 2010 में ही कार्य प्रदान किया गया। इस प्रकार निविदा के अन्तिमिकरण और कार्य प्रदान करने में विलम्ब हुआ। मार्गीय सुविधाओं का निर्माण अभी तक (नवम्बर 2014) अपूर्ण था।

टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, बोधगया में तरणताल : बोधगया आनेवाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए, डी0टीओ0 ने टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, बोधगया में तरणताल के निर्माण हेतु ₹1.49 करोड़ की राशि स्वीकृत (2008–09) किया। परियोजना के अन्तर्गत कपड़े बदलने हेतु कमरा एवं बाउन्ड्री सहित एक तरणताल का निर्माण करना था। कम्पनी ने मार्च 2010 में संवेदक को कार्यादेश प्रदान किया। अनुबंध के अनुसार कार्य जून 2011 तक पूर्ण करना था। तथापि, कार्य की धीमी प्रगति के कारण परियोजना का निर्माण अभी तक (नवम्बर 2014) अपूर्ण था।

उपर्युक्त वर्णित परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब के कारण कम्पनी पर्यटकीय सुविधाओं की ससमय उपलब्धता सुनिश्चित कराने में विफल रहा।

अनुशंसा : हमलोग यह अनुशंसा करते है कि कम्पनी को, प्रक्रियात्मक विलम्ब को टालने एवं निविदा के अन्तिमिकरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के द्वारा, संरचनात्मक परियोजनाओं के निष्पादन में सुधार लाने का प्रयत्न करना चाहिए।

मायासरोवर का अनुरक्षण/रख–रखाव नहीं होना

2.14.2 मायासरोवर, पर्यटक आकर्षन का एक केन्द्र है, जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, बोधगया में स्थित है और उसमे तालाब, खुली हवा में थियेटर, उद्यान और पार्क है तथा इसका विकास केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के0लो0नि0वि0) द्वारा किया गया था। इस परियोजना के विकास पर ₹ 1.50 करोड़ की राशि व्यय की गई थी जिसमें तालाब, खुली हवा में थियेटर, उद्यान और पार्क शामिल था। राज्य सरकार की केन्द्रीय अभिकरण होने के कारण, कोई भी सम्पत्ति जो कि विभाग द्वारा बनाया जाता है, उसे कम्पनी को अग्रेतर रख–रखाव और संचालन हेतु सौंप दिया जाता है। तद्नुसार, मायासरोवर, कम्पनी को सौंप (मई 2007) दिया गया था।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि :

- कम्पनी ने, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मायासरोवर में पैडल बोटों का संचालन ₹ 1.55 लाख प्रति वर्ष जिसमें 10, 20, 30, 40 प्रतिशत प्रति वर्ष पाँच वर्षों तक वृद्धि होनी थी, को पट्टे (सितम्बर 2009) पर दे दिया था। तथापि, पैडल बोटों का संचालन लेस्सी (पट्टेदार) द्वारा बन्द (जनवरी 2013) कर दिया था;

- मायासरोवर का, प्रबन्धकीय दल के साथ की गई संयुक्त जाँच से यह उद्घाटित हुआ कि उपर्युक्त सम्पत्ति का रख–रखाव उचित ढ़ंग से नहीं किया जा रहा था और यह बहुत ही दयनीय स्थिति में था। तालाब में पानी का स्तर बहुत नीचे था और दुर्गन्धयुक्त था तथा धोबी के द्वारा कपड़ों की धुलाई के लिए प्रयोग हो रहा था। खुली हवा की थियेटर में नियमित रूप से घास की कटाई नहीं की जा रही थी और यह लम्बी घासों से भरा पड़ा था;

- मायासरोवर का रख–रखाव नहीं होने के कारण कम्पनी इस स्थिति में नहीं था कि वह पैडल बोटों को पट्टे पर देने हेतु नई निविदा जारी कर सके जिसके फलस्वरूप कम्पनी को प्रतिवर्ष ₹ दो लाख के राजस्व की हानि हो रही थी। इसके अतिरिक्त ₹ 1.70 लाख की लागत पर क्रय की गई पैडल बोटों, लम्बी अवधि तक उपयोग नहीं होने के कारण, अनुपयोगी हो गया।

रख–रखाव और अनुश्रवण के अभाव में ₹1.50 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया

इस प्रकार अपनी मूल सम्पत्ति की रख–रखाव एवं संधारण में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप इसके विकास पर ₹ 1.50 करोड़ का किया गया व्यय निष्फल हो गया। इसके अतिरिक्त, पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र के रूप में, मायासरोवर के विकास का निहित उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हो सका।

प्रबन्धन ने समापन सम्मेलन में तथ्यों को स्वीकार (सितम्बर 2014) किया।

अनुशंसा : हमलोग यह अनुशंसा करते है कि कम्पनी को अपनी सम्पत्तियों के समुचित संधारण हेतु सही प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

आन्तरिक नियंत्रण

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

2.15 आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली, प्रबन्धन का एक साधन है, जिसके प्रयोग से यथोचित आश्वासन प्राप्त होता है कि प्रबन्धन के उद्देश्यों की प्राप्ति कुशलतापूर्वक, दक्षतापूर्वक एवं श्रेणीबद्ध तरीके से की जा रही थी। कम्पनी, जो सेवान्मुखी क्षेत्र से संबंधित है, के लिए संचालन हेतु, सेवा मानकों एवं लक्ष्यों हेतु लिखित मानदण्ड़ों का होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, स्थापित मानकों/मानदण्डों के विरुद्ध कम्पनी की कार्य–निष्पादन को प्रतिवेदित करने हेतु एक समुचित प्रबन्धन सूचना प्रणाली होना चाहिए। संस्था में विद्यमान आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली से उद्घाटित हुआ कि :

- कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का औसत कार्यकाल निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि में केवल एक वर्ष का था जिसके कारण, स्पष्ट रूप से परिभाषित प्राप्य लक्ष्य एवं उद्देश्य सहित कोई दीर्घावधि/परिप्रेक्ष्य योजना, तैयार नहीं किया जा सका;

- इकाईयों की प्रगति की समीक्षा हेतु नियमित अन्तराल पर मासिक बैठकें आहूत नहीं की जा रहीं थी क्योंकि वित्तीय वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 में क्रमशः केवल सात, छः एवं तीन बैठकें आहूत की गई थी। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2013–14 में मात्र तीन बैठकें आहूत की गई थी। यह शीर्ष प्रबन्धन द्वारा अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के अभाव को इंगित करता था।

- कम्पनी की परिसम्पत्तियों के आवधिक भौतिक सत्यापन हेतु कोई प्रणाली प्रचलन में नहीं था।

निष्कर्ष

- **कम्पनी, दीर्घावधि/परिप्रेक्ष्य योजना/रोडमैप जिमें आगामी वर्षों में प्राप्य लक्ष्यों अथवा मील के पत्थरों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया हो, के निर्माण में विफल रहा जिसके फलस्वरूप राज्य पर्यटन नीति के पाँच वर्षों तक लागू रहने के बावजूद राज्य की पर्यटकीय संभाव्यता अप्रयुक्त रह गया।**

- **कम्पनी के वित्त एवं लेखा स्कंध का कार्य–निष्पादन सुव्यवस्थित नहीं था चूँकि बैंक शेषों के समाशोधन नहीं करने के कारण हानि, परियोजना–वार बैंक का संधारण नहीं होना, आर0ओ0सी0 के पास वार्षिक रिर्टन दायर नहीं करना इत्यादि के कई मामले थे।**

- **मूलभूत सुविधाओं का अभाव, मुख्य सम्पत्तियों का रख–रखाव नहीं होना, मानव–शक्ति का अभाव एवं उत्तम सेवाओं प्रदान करने हेतु गैर–पेशेवर तरीके को अपनाने के फलस्वरूप कम्पनी की होटलों से पर्यटकों का अलगाव हुआ था।**

- **कम्पनी ने अपनी नई बेड़ों का उपयोग परिकल्पित उद्देश्यों हेतु नहीं किया जिसके फलस्वरूप निधि अवरूद्ध पड़ा रहा।**

- **निकृष्ट नियोजन, संरचनात्मक परियोजनाओं के कार्यन्वयन में पर्याप्त अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के अभाव के फलस्वरूप अत्यधिक विलम्ब एवं पर्यटकीय सुविधाओं की अनुलपब्धता में फलित हुआ।**

अध्याय - III

3. सांविधिक निगम से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय – III
सांविधिक निगम से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

3. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

परिचय

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम जनता के लिए एक कुशल पर्याप्त और किफायती पथ परिवहन उपलब्ध कराने हेतु पथ परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (अधिनियम) की धारा 3 के अन्तर्गत 1 मई 1959 को निगमित हुई। निगम के पास 31 मार्च 2014 को कुल 414 बसों में से 95 बसें सड़क पर चलने योग्य थीं। निगम द्वारा, अपनी बसों के अतिरिक्त, बिना किसी लोक निजी भागीदारी (लो0नि0भा0) हेतु योजना बनाए, लोक निजी भागीदारी योजना लागू की गई जिसके अन्तर्गत निजी संचालकों को कमीशन के आधार पर संचालन करना था।

वित्तीय कार्य–निष्पादन

निगम द्वारा वर्ष 2004–05 तक के अंतिम लेखे बनाए गए थे। निगम के अंतरिम खातों के अनुसार 31 मार्च 2014 को ₹ 101.27 करोड़ प्रदत्त पूँजी के विरुद्ध निगम की कुल संचित हानि ₹ 1395.57 करोड़ थी।

राज्य सरकार पर निगम के कर्मचारियों का बकाया वेतन भुगतान का दायित्व था। राज्य सरकार द्वारा बकाया वेतन भुगतान हेतु राशि की प्रतिपूर्ति कराने के बजाय ₹ 458.77 करोड़ का ऋण 15.50 प्रतिशत ब्याज दर पर निगम को उपलब्ध कराया गया। निगम द्वारा भी इस दायित्व को स्वीकार कर इस ऋण पर ब्याज हेतु ₹ 251.43 करोड़ का परिहार्य प्रावधान किया गया।

किराया नीति के न होने तथा सभी इनपुट को किराया निर्धारण में शामिल किए बिना किराया निर्धारण के कारण निगम को ₹ 8.63 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

परिचालन कार्य–निष्पादन

निगम द्वारा निधि की उपलब्धता के बावजूद सही उम्र के बेड़ा शक्ति को बनाए नहीं रखा गया। परिणामस्वरूप 54 प्रतिशत से 77 प्रतिशत बसों का परिचालन नहीं हो सका तथा निगम को ₹ 165.30 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

अखिल भारतीय औसत 93.52 प्रतिशत के विरुद्ध, निगम द्वारा अपने बेड़े का उपयोग 2009–10 में 35 प्रतिशत से लेकर वर्ष 2013–14 में 23 प्रतिशत तक किया गया जिसके परिणामस्वरूप निगम को ₹ 15.50 करोड़ की योगदान हानि हुई।

निगम की वाहन उत्पादकता, अखिल भारतीय औसत 374.18 कि0मी0 प्रतिदिन तथा निगम के स्वयं के लक्ष्य 280 कि0मी0 प्रतिदिन की अपेक्षा , बहुत कम अर्थात् 232 कि0मी0 से 205 कि0मी0 प्रतिदिन था। परिणामस्वरूप निगम को ₹ 25.16 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

त्रुटिपूर्ण मार्ग योजना के कारण वर्ष 2009–14 के दौरान 17 प्रतिशत से 34 प्रतिशत मार्गों पर बसों के परिचालन से प्राप्त राजस्व से परिवर्तनीय लागत भी पूरा नहीं हो सका। फलस्वरूप निगम को ₹ 1.09 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

निगम द्वारा हासिल प्रतिलीटर कि0मी0 अखिल भारतीय औसत प्रतिलीटर कि0मी0 5.06 से 5.16 की तुलना में बहुत कम था। इसके फलस्वरूप ₹ 11.51 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

निगम ने मृत कि0मी0 का मिथ्या प्रदर्शन कर ₹ 2.49 करोड़ का अधिक व्यय किया।

लो0नि0भा0 योजना

निगम द्वारा लोक निजी भागीदारी योजना के तहत् लोक निजी भागीदारी नीति बनाए बिना बसों का संचालन प्रारम्भ किया गया।

निगम राज्य से प्राप्त होने वाली ₹ 9.37 करोड़ की अर्थ–साहाय्य की राशि के दोषी संचालकों के विरुद्ध ₹ 21.06 करोड़ के बकाया राशि से समायोजन को सुनिश्चित करने तथा प्राप्त करने में विफल रही।

अंतर्राज्यीय बसों के संचालन के मामलों में खेपों के लिए कम कमीशन की राशि भारित करने के कारण निगम को ₹ 1.35 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

कमीशन की माँग करने से संबंधित लो0नि0भा0 योजना अनुबन्ध के लागू नहीं होने से निगम को ₹ 1.01 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

निगम के निजी परिचालकों द्वारा बसों के अनधिकृत परिचालन को रोकने में विफल रहने से इसे ₹ 1.02 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

लो0नि0भा0 एकरारनामों में न्यूनतम वाहन उत्पादकता उपवाक्य को सम्मिलित न करने तथा बसों के परिचालन के खराब अनुश्रवण के कारण निगम को ₹ 61 लाख की राजस्व हानि हुई।

आन्तरिक नियंत्रण

निगम में प्रचलित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम0आई0एस0) दोषपूर्ण थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा होने के बावजूद 31 मार्च 2014 तक पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई नियमित लेखापरीक्षा नहीं कराया गया था।

निष्कर्ष

किराया नीति के अभाव तथा किराया निर्धारण में दोष होने के कारण निगम को ₹ 8.63 करोड़ राजस्व की हानि हुई।

निगम, निधि की उपलब्धता के बावजूद, अपने पुराने बसों के बेड़े को मजबूत करने में विफल रहा और इस प्रकार जनता को अच्छी तरह से समन्वित परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के अपने उद्देश्य में विफल रहा। इससे निगम का परिचालन प्रदर्शन प्रभावित हुआ था।

दोषपूर्ण लोक निजी भागीदारी संविदा तथा खराब अनुश्रवण के कारण निगम को ₹ 13.72 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

निगम में प्रचलित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली दोषपूर्ण थी।

परिचय

3.1 बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (निगम) 1 मई 1959 को बिहार सरकार द्वारा पथ परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (अधिनियम) की धारा 3 के अन्तर्गत एक पूर्ण स्वामित्व वाली निगम के रूप में निगमित हुई। निगम को कुशल, पर्याप्त, किफायती, उचित और समन्वित पथ परिवहन प्रदान किए जाने का अधिदेश प्राप्त है। निगम, बिहार सरकार के परिवहन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन है। 31 मार्च 2014 को निगम के बेड़े में 414 बसें थीं। 414 बसों में से ऑन–रोड बसों की संख्या जो 2009–10 में 145 थी, 2013–14 में घटकर 95 हो गई। न तो राज्य सरकार ने और न निगम ने ही लोक निजी भागीदारी की नीति बनाई। फिर भी निगम ने लोक निजी भागीदारी योजना को लागू किया। इस योजना के अन्तर्गत निगम, निजी संचालकों को निगम के नाम निर्गत कर, कमीशन के आधार पर, संसूचित मार्ग पर अपनी बसों के संचालन की अनुमति देती है। इस प्रकार लोक निजी भागीदारी योजना के अन्तर्गत निगम द्वारा सिर्फ अपने रोड परमिट के उपयोग का अधिकार निजी संचालकों को दे दिया था।

अधिनियम की धारा 38(1) के अनुसार यदि राज्य सरकार इस मत की है कि सरकार द्वारा स्थापित निगम अधिनियम द्वारा प्रदिष्ट कर्त्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ है, तो राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमति से अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के लिए निगम को अपने अधीन कर सकती है। अधिनियम की धारा 38(1) का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निगम के बोर्ड को समाप्त कर दिया था और अक्टूबर 1999 में प्रशासक की नियुक्ति चार वर्षों के लिए की जिसकी अवधि 11 अक्टूबर 2003 को समाप्त हो गई। दिनांक 12 अक्टूबर 2003 से 31 मार्च 2014 के लिए उपर्युक्त अधिग्रहण का विस्तार किया गया। वर्ष 2009–14 की अवधि में प्रशासक की नियुक्ति की गई जो अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्यरत रहे।

निगम द्वारा 2004–05 तक के लेखे को अन्तिम रूप दे दिया गया था तथा वर्ष 2005–06 से लेखे बकाए में थे। निगम के अद्यतन अन्तिम लेखा के अनुसार ₹ 101.27 करोड़ की चुकता पूँजी के विरुद्ध निगम की संचित हानि ₹ 841 करोड़ थी। औपबंधिक खाते के अनुसार 31 मार्च 2014 को समाप्त पाँच वर्षों की अवधि में निगम को ₹ 385.61 करोड़ की हानि हुई तथा दिनांक 31 मार्च 2014 को संचित हानि बढ़कर ₹ 1395.57 करोड़ हो गई जिससे निगम की ₹ 101.27 करोड़ की चुकता पुँजी का पूर्ण क्षरण हो गया था। निगम की वित्तीय स्थिति तथा कार्यकारी परिणाम ***परिशिष्ट – 3.1*** में दिया गया है।

संगठनात्मक संरचना

3.2 निगम का प्रबंधन प्रशासक में निहित है जिन्हें मुख्यालय स्तर पर प्रशासन–प्रमुख, संचालन–प्रमुख, सतर्कता–प्रमुख, लेखा–प्रमुख, क्रय एवं भंडार प्रमुख, मुख्य यांत्रिक अभियंता, सात प्रमंडलीय प्रबंधकों, 17 प्रतिष्ठान अधीक्षकों तथा वाह्य दलों के दो कार्य प्रबंधकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। संगठनात्मक संरचना ***परिशिष्ट – 3.2*** में दी गई है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

3.3 निष्पादन लेखापरीक्षा इन उद्देश्यों के आकलन करने के लिए किए गए थे कि :

- क्या निगम अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने, दावा प्रस्तुत करने तथा उनका उपयोग करने में सक्षम था;
- निगम द्वारा आवश्यक बेड़े की क्षमता को बनाए रखा गया और उसका कुशल और किफायती ढ़ंग से उपयोग किया गया;
- लोक निजी भागीदारी एकरारनामे पूर्ण रूप से निगम के हितों को रक्षा प्रदान करती थी तथा इनकी कंडिकाओं को उचित रूप से लागू किए गए थे;
- निगम में प्रचलित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता तथा संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रबंधन का अनुश्रवण व्याप्त था।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

3.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए अपनाए गए मापदण्ड थे :

- राज्य पथ परिवहन उपक्रमों के संघ द्वारा निर्धारित किए गए प्रदर्शन मानकें तथा परिचालन मानकें;
- प्रबंधन द्वारा निर्धारित भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य/मानदण्ड;
- निर्माता विनिर्देशों, बसों की आयु से संबंधित मानदण्ड, निवारक रख–रखाव सूची, इंधन दक्षता मानदण्ड, इत्यादि;
- भारत सरकार तथा राज्य सरकार के निर्देशों तथा अन्य प्रासंगिक नियम और विनिमय;
- निगम द्वारा बसों के परिचालन से संबंधित अपनाई गई प्रक्रिया, टैरिफ संग्रहण, इत्यादि; तथा
- परिवहन गतिविधियों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश।

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा क्रियापद्धति

3.5 निगम की गतिविधियों की इससे पूर्व समीक्षा की गई थी जिसे 31 मार्च 2006 तथा 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्षों के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के बिहार सरकार (वाणिज्यिक) प्रतिवेदन में शामिल किया गया तथा जिसपर लोक उपक्रम समिति द्वारा अभी विवेचना होना है (नवम्बर 2014)।

वर्त्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा जो 25 फरवरी 2014 से 5 जुलाई 2014 के मध्य की गई, में 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए विगत पाँच वर्षों की निगम की कुल कार्य प्रदर्शन को सम्मिलित किया गया। इस निष्पादन लेखापरीक्षा में मुख्य रूप से परिचालन क्षमता किराया नीति सहित वित्तीय प्रबंधन, सामाजिक दायित्वों की पूर्ति प्रबंधन सूचना प्रणाली पर विचार किया गया है। यदृच्छिक नमूना के आधार पर विस्तृत जाँच हेतु सात[1]

[1] गया, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, छपरा, पूर्णियाँ तथा दरभंगा।

प्रमंडलों में से चार[2] प्रमंडलों (इन प्रमंडलों के 13 प्रतिष्ठान सहित), केन्द्रीय कर्मशाला तथा निगम के मुख्यालय को चुना गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों से प्रबंधन तथा सरकार को अवगत कराते हुए दिनांक 19 फरवरी 2014 को प्रवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया। लेखापरीक्षा के निष्कर्ष से सरकार/प्रबंधन को अवगत (जुलाई 2014) कराया गया। समापन सम्मेलन का आयोजन दिनांक 28 अगस्त 2014 को किया गया जिसमें अतिरिक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार सरकार तथा निगम के प्रशासक द्वारा भाग लिया गया। निगम का जवाब शामिल किया गया है। सरकार का जवाब अप्राप्त था। सरकार द्वारा समापन सम्मेलन में व्यक्त किए गए विचार को उचित रूप से शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा क्रिया–विधि में लेखापरीक्षा मापदण्ड के संदर्भ में लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु मुख्य रूप से प्रबंधन को लेखापरीक्षा की स्पष्ट जानकारी, लेखापरीक्षित इकाई के साथ विचार–विमर्श, मुख्यालय तथा चयनित इकाईयों में अभिलेखों की जाँच, उपलब्ध मानदण्डों के संदर्भ में आँकड़े का विश्लेषण, लेखापरीक्षा आपत्तियों को उठाना, प्रबंधन के साथ लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विचार विमर्श तथा सरकार/निगम को निर्गत प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन उनकी टिप्पणी हेतु निर्गत करना शामिल किया गया।

लेखापरीक्षा परिणामें

वित्तीय कार्य–निष्पादन

3.6 निगम द्वारा वर्ष 2004–05 तक अन्तिम खाते बनाए जा चुके थे तथा वर्ष 2005–06 से लेखे बकाए में थे। वित्तीय स्थिति और निगम के कार्यकारी परिणाम सार तालिका सं0 – 3.1 तथा 3.2 में दिया गया है :

वित्तीय स्थिति तथा कार्यकारी परिणाम

तालिका संख्या – 3.1

वित्तीय स्थिति **(औपबंधिक आँकड़े : ₹ करोड़ में)**

विवरण	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
पूँजी	101.27	101.27	101.27	101.27	101.27
ऋण एवं निधि	306.03	427.37	556.72	556.72	556.72
व्यापार बकाए तथा अन्य चालू देयताएँ	1212.23	922.53	711.77	746.18	834.58
कुल	**1619.53**	**1451.17**	**1369.76**	**1404.17**	**1492.57**
शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ	37.00	32.00	27.00	22.00	17.00
चालू सम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	495.90	325.39	149.75	88.00	80.00
संचित हानि	1086.63	1093.78	1193.01	1294.17	1395.57
कुल	**1619.53**	**1451.17**	**1369.76**	**1404.17**	**1492.57**

[2] गया, पटना, मुजफ्फरपुर तथा भागलपुर।

तालिका संख्या – 3.2

कार्यकारी परिणाम **(औपबंधिक आँकड़े : ₹ करोड़ में)**

विवरण	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
कुल राजस्व	22.23	19.56	31.38	26.00	21.06
परिचालन राजस्व	19.50	19.56	21.03	18.00	13.13
कुल व्यय	85.72	39.89	130.61	127.16	122.46
परिचालन व्यय	49.54	36.93	40.98	29.46	25.76
परिचालन लाभ/हानि	–30.04	–17.37	–19.95	–11.46	–12.63
वर्ष हेतु लाभ/हानि	–63.49	–20.33	–99.23	–101.16	–101.40

(स्रोत : निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि निगम वर्ष 2009–14 के दौरान अपना परिचालन लागत वसूल करने में समर्थ नहीं था तथा निगम द्वारा उठाई गई हानि वर्ष 2009–10 में ₹ 63.49 करोड़ से बढ़कर 2013–14 में ₹ 101.40 करोड़ हो गया।

निगम वार्षिक योजना/वार्षिक बजट बनाने में विफल रहा जो वित्तीय नियंत्रण तथा वांछित सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु आवश्यक था। इसके अतिरिक्त पथ परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 32 के उल्लंघन में निगम द्वारा 2009–14 के दौरान विगत पाँच वर्षों में बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया।

परिहार्य दायित्व का अनुचित सृजन

3.6.1 ***परिशिष्ट 3.1*** मे देखा जा सकता है कि वर्ष 2009–14 की अवधि की कुल हानि ₹ 385.61 करोड़ का मुख्य कारण उल्लेखित अवधि में राज्य सरकार के ऋण के विरुद्ध ₹ 251.43 करोड़ के ब्याज का प्रावधान था।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 12.08.2008 के अपने आदेश में बिहार सरकार तथा झारखण्ड सरकार को बकाया वेतन राशि के भुगतान के संबंध में आदेश पारित किया जो निम्नवत् है :

(क) बिहार सरकार एवं झारखण्ड सरकार कर्मचारियों के बकाया वेतन की राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि झारखण्ड सरकार ने कुल ₹ 96.65 करोड़ का भुगतान (नवम्बर 2009 से मार्च 2010) किया। बिहार सरकार ने, वेतन के भुगतान के दायित्व के निर्वहन करने के बजाय, निगम को ₹ 458.77 करोड़ ऋण 15.50[3] *प्रतिशत* ब्याज की दर पर दिया। परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने अपने दायित्व का स्थानान्तरण निगम को कर दिया। निगम ने भी अपनी बिगड़ती वित्तीय स्थिति की अवहेलना तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अवमानना करते हुए मामले को राज्य सरकार के समक्ष नहीं रखा तथा सरकार से ऋण के दायित्व को स्वीकार कर लिया। इस ऋण के विरुद्ध कुल ब्याज 31 मार्च 2014 को समाप्त विगत पाँच वर्षों में बढ़कर ₹ 251.43[4] करोड़ हो गया जिसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया था (नवम्बर 2014)।

[3] 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज तथा अदायगी में चूक होने की स्थिति में 2.5 प्रतिशत का दांडिक ब्याज। निगम द्वारा उपर्युक्त ब्याज की अदायगी में चूक हुई थी।

[4] ब्याज जो कि मूल राशि ₹ 458.77 करोड़ के विरुद्ध औपबंधिक खाता में दर्शाया गया।

(ख) उपर्युक्त के अतिरिक्त, बिहार एवं झारखण्ड की राज्य सरकार ने जुलाई 2004 से फरवरी 2009 की अवधि के विरुद्ध निगम द्वारा अपने कर्मचारियों को अदा की गई ₹ 77.47 करोड़ की 65 व 35 के अनुपात में भरपाई की।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि झारखण्ड सरकार द्वारा उनके हिस्से का ₹ 27.12 करोड़ की राशि (फरवरी 2012) निगम को दे दी गई। परन्तु बिहार सरकार ने अपने हिस्से की ₹ 50.35 करोड़ की राशि निगम को अदा नहीं की। निगम द्वारा भी राज्य सरकार से राशि वापसी हेतु कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।

निगम तथा राज्य सरकार ने समापन सम्मेलन (अगस्त 2014) में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि ₹ 50.35 करोड़ की प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

निगम की किराया नीति

3.6.2 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 67 के अन्तर्गत राज्य में स्टेज कैरेज परिचालन के मामले में किराया निर्धारित करने तथा उसके सावधिक संशोधन की शक्ति राज्य सरकार में निहित है। राज्य सरकार द्वारा निगम को स्वस्थ्य व्यापार सिद्धांत के आधार पर अपने स्तर से किराया तय करने का अधिकार प्रदत्त (1998) किया गया था। यह अवलोकित किया गया कि वर्ष 2009–10 से 2013–14 की अवधि में निगम में 20 मई 2009, 11 अक्टूबर 2010 तथा 9 अक्टूबर 2012 के प्रभाव से तीन बार किराया पुनरीक्षित किया।

किराया नीति में कमी तथा त्रुटिपूर्ण किराया निर्धारण के कारण निगम को ₹ 8.63 करोड़ के राजस्व की हानि हुई

प्रत्येक किराया पुनरीक्षण में मात्र हाई स्पीड डीजल (एच0एस0डी0) के मूल्य को सम्मिलित किया गया तथा अन्य इनपुट लागत यथा टायर स्पेयर्स, ल्युब्रिकेन्ट्स, ह्रास, कर इत्यादि को छोड़ दिया गया। अन्य इनपुट लागतों पर विचार किए बिना निगम के द्वारा असफल किराया निर्धारण करने के फलस्वरूप निगम को ***परिशिष्ट–3.3*** में यथा वर्णित ₹ 8.63 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

निगम ने कहा (सितम्बर 2014) कि बिहार सरकार के परिवहन विभाग की अधिसूचना के आधार पर निगम की बसों का किराया निर्धारित किया गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा निगम को किराया निर्धारण का अधिकार पूर्व प्रदत्त (1998) था और निगम ने परिणामस्वरूप उसके बाद कई अवसरों[5] पर किराया पुनरीक्षित किया था।

अनुशंसा : हम अनुशंसा करते हैं कि निगम को स्वयं के पुनरुत्थान करने तथा अपने वित्तीय साधनों का विस्तार करने के लिए अपनी वित्तीय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त का अवलोकन तथा राज्य सरकार के साथ ऋण को पूँजी/अनुदान में परिवर्तित करने का मामला और/या अन्य वित्तीय सहायता का मामला उठाना चाहिए।

संचालन कार्य–निष्पादन

3.7 निगम के 31 मार्च 2014 को समाप्त विगत पाँच वर्षों में निगम के संचालन कार्य–निष्पादन को तालिका संख्या–3.3 में दर्शाया गया है। निगम के संचालन कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन ए0एस0आर0टी0यु0/निगम द्वारा वाहनों की आयु संरचना, बेड़ा उपयोग, वाहन उत्पादकता, लोड फैक्टर, इंधन खपत, मृत कि0मी0, मरम्मत और संसाधन इत्यादि के संबंध में निर्धारित विभिन्न संचालन मापदण्डों के आधार पर किया गया।

[5] निगम ने 2009–14 की अवधि में स्वविवेक से तीन बार किराया का पुनरीक्षण किया था।

तालिका संख्या – 3.3

क्रम सं0	विवरण[6]	2009 –10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
1	वर्ष के अन्त में वाहनों की कुल संख्या	414	414	414	414	414
2	ऑन रोड वाहनों की संख्या	145	171	170	129	95
3	वाहनों के उपयोग की प्रतिशतता (प्रतिशत में)	35	41	41	31	23
4	वर्ष के अन्त में कर्मचारियों की संख्या	2036	1765	1516	1204	920
5	कर्मचारी वाहन अनुपात (4÷2)	14.04	10.32	8.92	9.33	9.68
6	वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गों की संख्या	163	131	132	108	111
7	मार्ग कि0मी0	32218	23916	22476	20164	22376
8	प्रचालित कि0मी0(लाख में)					
	सकल	126.46	143.78	145.18	108.57	75.37
	प्रभावी	122.48	138.35	136.94	100.65	70.91
	मृत	3.98	5.43	8.24	7.92	4.46
9	सकल कि0मी0 से मृत कि0मी0 की प्रतिशतता	3.15	3.78	5.68	7.29	5.92
10	प्रति वर्ष प्रतिदिन पूरे किए गए औसत कि0मी0	232	222	221	214	205
11	प्रति कि0मी0 औसत राजस्व[7] (₹)	15.92	14.14	15.36	17.89	18.52
12	प्रचालन प्रतिष्ठानों की संख्या	17	17	17	17	17
13	प्रति दस हजार कि0मी0 पर ब्रेक डाउन की औसत संख्या	0.03	0.026	0.221	0.36	0.39
14	प्रति लाख कि0मी0 दुर्घटनाओं की औसत संख्या	0.04	0.076	0.013	0.10	0.07
15	यात्री किलोमीटर प्रचालित (करोड़ में)	1.22	1.38	1.37	1.01	0.71
16	अधिभोग अनुपात (लोड फैक्टर)	65	64	64	69	76

(स्रोत : आँकड़े निगम के द्वारा प्रदत्त)

इस संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष उत्तरवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं :

बेड़ा शक्ति और इसकी आयु संरचना

3.7.1 राज्य पथ परिवहन संघ (ए0एस0आर0टी0यु0) ने निर्धारित किया (सितम्बर 1997) था कि एक बस की वांछनीय आयु आठ वर्ष अथवा पाँच लाख किलोमीटर, जो पहले हो, होगी। निगम की 414 बसों की बेड़ा शक्ति थी। वर्ष 2005–06 के बाद बेड़ा शक्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई और निगम 2009–14 की अवधि में सही आयु की बसों के निर्धारित मानक को प्राप्त नहीं कर सका। निगम को सही आयु की बसों के निर्धारित मानक को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त 414 बसों के क्रय करने की आवश्यकता थी

[6] भाड़े की बसों को छोड़कर।

[7] प्रचालन राजस्व/ट्रैफिक राजस्व ÷ प्रभावी प्रचालित किलोमीटर।

जिसकी कीमत लगभग ₹ 75.45 करोड़[8] थी। हमने अवलोकित किया कि बस के क्रय के लिए ₹ 34.45 करोड़ के विशिष्ट/अतिरिक्त कोषों की उपलब्धता एवं निगम के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (अगस्त 2008) के आलोक में 2004–07 की अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की राशि ₹ 50.35 करोड़ प्रतिभूति के रूप में बिहार सरकार से प्राप्य थी, निगम उपलब्ध कोष के विवेकपूर्ण उपयोग और बिहार सरकार से प्राप्य राशि वसूल करने में विफल रहा। बसों का विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट–3.4*** में दिया गया है।

अधिक आयु की बसों के प्रतिस्थापन न होने से निगम को राजस्व की हानि हुई

परिशिष्ट से यह प्रकट होता है कि अधिक आयु के कारण बसें लगातार ऑफ रोड रहीं तथा 54 प्रतिशत से 77 प्रतिशत बसों का परिचालन नहीं हो सका। सड़कों पर अधिक आयु की बसों के नहीं चलने के कारण निगम को 2009–14 की अवधि में ₹ 165.30 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

सरकार ने समापन सम्मेलन (अगस्त 2014) में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया।

अनुशंसा : हम अनुशंसा करते हैं कि निगम को वित्तीय संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के द्वारा नई बसों का क्रय कर अधिक आयु वाले बसों का प्रतिस्थापन करना चाहिए।

बेड़ा उपयोग

3.7.2 बेड़ा उपयोग, निगम द्वारा धारित कुल बसों में संचालन योग्य बसों के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है। धारित बसों और उनके उपयोग का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :

तलिका संख्या – 3.4

क्रम सं0	विवरण[9]	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
1	वर्ष के आरम्भ में कुल बसों की संख्या	414	414	414	414	414
2	सड़क पर औसत वाहनों की संख्या	145	171	170	129	95
3	बेड़ा उपयोग का लक्ष्य (कुल बेड़ा का 71 प्रतिशत)	294	294	294	294	294
4	उपयोग में कमी (3–2) (बसों की संख्या)	149	123	124	165	199
5	वाहन उत्पादकता (प्रतिदिन प्रति बस किलोमीटर)	232	222	221	214	205
6	कम वाहन उपयोगिता* के कारण हानि (₹ करोड़ में)	5.87	2.04	2.26	3.33	2.00

(स्रोत : आँकड़े निगम के द्वारा प्रदत्त)

[8] अतिरिक्त 414 बसों के क्रय लागत की गणना ₹ 14 लाख से ₹ 23 लाख प्रति बस के आधार पर की गई है।

[9] भाड़े की बसों को छोड़कर।

* कम बेड़ा उपयोग से हानि = (लक्ष्यित बेड़ा उपयोग–उपयोग में लाया गया बेड़ा) * वाहन उत्पादकता * 365 * अंशदान।

निगम 71 प्रतिशत उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा तथा इसे ₹ 15.50 करोड़ के अंशदान की हानि हुई

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि अखिल भारतीय औसत[10] 93.52 प्रतिशत के विरुद्ध निगम का बेड़ा उपयोग 2009–10 में 35 प्रतिशत से 2013–14 में 23 प्रतिशत के बीच रहा। निगम का बेड़ा उपयोग निगम द्वारा निर्धारित स्वयं के मापदण्ड 71 प्रतिशत से भी नीचे था। कम बेड़ा उपयोग के कारण मुख्य रूप से चालक/कन्डक्टर की कमी, ब्रेकडाउन, टायरों की कमी, इंजन की खराबी की पूर्ण जाँच न होना इत्यादि थे और निगम के द्वारा नियंत्रणीय थे। इसके बावजूद वाहन उपयोग में वृद्धि करने के लिए निगम चालकों/कन्डक्टरों की भर्ती का प्रयत्न करने में, स्पेयर के क्रय करने में तथा संधारण तालिका का पालन करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप निगम ने कम बेड़ा उपयोग के कारण ₹ 15.50 करोड़ की अंशदान हानि वहन किया।

निगम ने कहा (सितम्बर 2014) कि बेड़ा उपयोग की कम प्रतिशत का कारण बेड़े में 193 बसों का शामिल होना था जो बेड़े से पृथक होने की प्रक्रिया में थे। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यदक्षता परीक्षण के पूर्ण होने के बाद, जून 2014 में, निगम ने चिह्नित बसों के पृथक् होने की प्रक्रिया की कार्यवाही प्रारम्भ की थी और अभीतक (नवम्बर 2014) बसों के पृथक् होने की घोषणा किया जाना है।

वाहन उत्पादकता

3.7.3 वाहन उत्पादकता का आशय एक वर्ष में प्रति बस प्रतिदिन चालित औसत किलोमीटर से है। 31 मार्च 2014 तक पाँच वर्षों हेतु निगम के वाहन उत्पादकता निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका संख्या – 3.5

क्रम सं0	विवरण	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
1	सड़क पर वाहनों की औसत संख्या	145	171	170	129	95
2	वाहन उत्पादकता (प्रतिदिन प्रतिबस चलित किलोमीटर)	232	222	221	214	205
3	वाहन उत्पादकता (निगम का मापदण्ड)	280	280	280	280	280
4	प्रति किलोमीटर ट्रैफिक आय (₹ में)	15.92	14.14	15.36	17.88	18.52
5	कम वाहन उत्पादकता के कारण राजस्व की हानि[11]	4.04	5.12	5.62	5.56	4.82

(स्रोत : आँकड़े निगम के द्वारा प्रदत्त)

निगम 280 किलोमीटर प्रति दिन के अपने वाहन उत्पादकता लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका तथा ₹ 25.16 करोड़ के राजस्व हानि का वहन किया

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि निगम का वाहन उत्पादकता 2009–10 में 232 से घटकर 2013–14 में 205 हो गया। अखिल भारतीय औसत 374.18 किलोमीटर प्रतिदिन के विरुद्ध निगम का वाहन उत्पादकता 2009–10 से 2013–14 कि अवधि के दौरान बहुत ही कम रहा। इसके अतिरिक्त निगम का स्वयं के वाहन उत्पादकता लक्ष्य 280 किलोमीटर प्रतिदिन प्राप्त करने में विफल रहने के कारण निगम को ₹ 25.16 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

[10] वर्ष 2009–13 के लिए अखिल भारतीय औसत ए0एस0आर0टी0यु0 के प्रतिवेदन पर आधारित था।

[11] कम वाहन उत्पादकता के कारण राजस्व हानि = (निगम का स्वयं का 280 प्रति किलोमीटर का लक्ष्य – निगम का प्रभावी किलोमीटर) * राजस्व प्रति किलोमीटर * 365 * ऑन रोड बसें।

वाहन उत्पादकता में कमी के कारण सभी मार्गों का चलायमान नहीं होना, मार्ग नियोजन की कमी और निर्धारित किलोमीटर में कमी, इत्यादि (यथा कंडिका 3.7.4 एवं 3.7.5 में वर्णित) थे। वाहन उत्पादकता में सुधार के लिए निगम के द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए।

लोड फैक्टर/अधिभोग अनुपात

3.7.4 किसी परिवहन उपक्रम की क्षमता उपयोग का मापन लोड फैक्टर से किया जाता है जो सीट क्षमता के सापेक्ष परिवहित यात्रियों के प्रतिशत को दर्शाता है। मार्गों के समुचित अध्ययन के पश्चात्, संचालन सूची निर्धारित किया जाता है और लोड फैक्टर में सुधार हेतु इसकी सामयिक समीक्षा की भी आवश्यकता होती है। निम्न तालिका 2009–10 से 2013–14 की अवधि में लोड फैक्टर तथा कम अधिभोग/लोड फैक्टर के कारण वहन किए गए हानि को दर्शाता है :

तालिका संख्या – 3.6

क्रम सं0	विवरण	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
1	लोड फैक्टर (प्रतिशत)	65	64	64	69	76
2	ट्रैफिक राजस्व (₹ करोड़ में)	19.50	19.56	21.03	18.00	13.13
3	मानक 80 प्रतिशत लोड फैक्टर पर ट्रैफिक राजस्व (₹ करोड़ में)	24.00	24.45	26.28	20.87	13.82
4	कम अधिभोग/लोड फैक्टर के कारण राजस्व हानि (₹ करोड़ में)	4.50	4.89	5.25	2.87	0.69

(स्रोत : आँकड़े निगम के द्वारा प्रदत्त)

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि निगम का लोड फैक्टर 2010–11 में 64 प्रतिशत से 2013–14 में 76 प्रतिशत के विस्तार में रहा जो कि निगम द्वारा बैठक क्षमता के 80[12] प्रतिशत मानक लोड फैक्टर से कम था। परिणामस्वरूप निगम स्वयं के मानक लोड फैक्टर के 80 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा।

निगम द्वारा कम लोड फैक्टर के मुख्य कारण, यथा निगम द्वारा विश्लेषित, थे – उसी मार्ग पर बसों के चलाने की राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुमति, बेटिकट यात्रियों के कारण यात्रि राजस्व की हानि, अलाभकारी मार्गों पर बसों का परिचालन, अदक्ष कर्मचारियों के द्वारा अपर्याप्त मरम्मत/संधारण के कारण बार–बार बसों का ब्रेक डाउन होना, अधि आयु बस, इत्यादि। बसों के गिरते हुए लोड फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए निगम द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए।

निगम स्वयं हेतु निर्धारित 80 प्रतिशत के अधिभोग लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका

निगम ने कहा (सितम्बर 2014) कि अधि आयु बेड़े और कुछ कम लाभकारी मार्गों के बावजूद निगम बसों के अधिकतम बैठक क्षमता को बनाए रखने हेतु प्रयास कर रहा था। निगम का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह 80 प्रतिशत के अपने अधिभोग लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा।

[12] अपनी बसों के किराया निर्धारण हेतु निगम द्वारा अपनाए गए 80 प्रतिशत लोड फैक्टर के लक्ष्य के आधार पर।

मार्ग नियोजन

3.7.5 चूँकि निगम के पास सभी मार्गों पर चलायमान पर्याप्त संख्या में बसें नहीं थीं, निगम के लिए आवश्यक था कि वह उच्च लोड फैक्टर प्राप्त करने के लिए समुचित मार्ग नियोजन करता। हमने अवलोकन किया कि लोड फैक्टर में सुधार एवं निगम के राजस्व में विस्तार हेतु एक सुदृढ़ मार्ग योजना विकसित करने में निगम विफल रहा। संचालित सारणी एवं लाभदायकता का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका संख्या – 3.7

वर्ष	कुल सारणी की सं0	परिवर्तनीय लागत नहीं प्राप्त करने वाली सारणी	परिवर्तनीय लागत नहीं प्राप्त करने वाली सारणी की सं0	परिवर्तनीय लागत नहीं प्राप्त करने वाली सारणी के कारण राजस्व हानि (₹ लाख में)
2009–10	184 (100)	152 (83)	32 (17)	7.83
2010–11	195 (100)	165 (85)	30 (15)	11.11
2011–12	159 (100)	138 (87)	21 (13)	6.48
2012–13	129 (100)	90 (70)	39 (30)	40.48
2013–14	97 (100)	64 (66)	33 (34)	42.89
			कुल	**108.79**

(स्रोत : आँकड़े निगम के द्वारा प्रदत्त एवं कोष्ठक के अंक प्रतिशत को दर्शाते हैं।)

मार्ग योजना के अभाव में निगम को ₹ 1.09 करोड़ की राजस्व हानि हुई

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि परिवर्तनीय लागत नहीं प्राप्त करने वाले मार्गों की प्रतिशतता 2009–10 में 17 प्रतिशत से बढ़कर 2013–14 में 34 प्रतिशत हो गई। मार्ग योजना के अभाव में निगम को ₹ 1.09 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

निगम ने कहा (सितम्बर 2014) कि बसें वर्त्तमान परमिटों के अनुसार मार्गों पर चलायमान थे एवं इसे बुद्धि संगत बनाए रखने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वाहनों को समग्र मार्ग नियोजन के द्वारा लाभकारी मार्गों पर प्रयोग किया जा सकता था।

3.7.6 निगम के 11 प्रतिष्ठानों के संचालन की समीक्षा दर्शाता है कि निर्धारित किलोमीटर का पूर्णरूपेण संचालन, मुख्य रूप से प्राप्त संख्या में बसों की अनुपलब्धता, कर्मियों की कमी, ब्रेकडाउन, दुर्घटनाएँ, टायर की कमी, इत्यादि के कारण नहीं हो सका था जैसा कि ***परिशिष्ट–3.5*** में दर्शाया गया है।

अभिसूचित किलोमीटर के रद्द किए जाने से निगम को ₹ 15.04 करोड़ की अंशदान हानि हुई

परिशिष्ट–3.5 यह दर्शाती है कि अचलायमान किलोमीटर के 86 से 90 प्रतिशत के लिए मुख्य रूप से जवाबदेह थे बसों और कर्मियों के कमी के कारण सारणीयों को रद्द किया जाना। निगम की बसें चलने योग्य नहीं थीं। निगम बेड़ा क्षमता से इन बसों को हटाने और इन्हें नई बसों से प्रतिस्थापित करने की योजना विकसित करने में असफल रहा। इसके अतिरिक्त, निगम आवश्यक कर्मियों की व्यवस्था करने में भी असफल रहा। इस प्रकार निगम की ओर से नियोजन की कमी के परिणामस्वरूप निगम को ₹ 15.04 करोड़ की अंशदान की हानि हुई।

मानव–शक्ति लागत

3.7.7 मानव–शक्ति, लागत का एक महत्वपूर्ण तत्व है और 2009–14 की अवधि में निगम की कुल व्यय का अकेले 17.84 प्रतिशत था। निगम के कुल लागत से मानव–शक्ति लागत का प्रतिशत वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में क्रमशः 29.98 प्रतिशत एवं 46.15 प्रतिशत तक बढ़ा हुआ था। आनेवाले वर्षों में मानव–शक्ति लागत में तीव्रता से कमी आई जिसका मुख्य कारण कर्मचारी आवर्त्त तथा 2011–12 और उसके बाद के वर्षों में सरकार से प्राप्त ऋण के विरुद्ध ब्याज का लेखांकन था। मानव–शक्ति लागत को नियंत्रण में रखने के लिए, निगम को उच्च मानव–शक्ति उत्पादकता को प्राप्त करने हेतु आदर्श मानव–शक्ति के उपयोग की आवश्यकता थी। मानव–शक्ति, इनकी लागत और दक्षता से संबंधित विवरण ***परिशिष्ट – 3.6*** में दर्शाया गया है।

निगम का मानव–शक्ति उत्पादकता अखिल भारतीय औसत से बहुत कम था

यह स्पष्ट है कि मार्च 2014 को समाप्त विगत पाँच वर्षों में मानव–शक्ति उत्पादकता 16.48 किलोमीटर से 24.75 कि0मी0 के विस्तार में था जो कि 2009–13 की अवधि में अखिल भारतीय मानव–शक्ति उत्पादकता[13] औसत 65.56 कि0मी0 से बहुत कम था। साथ ही 2009–14 की अवधि में प्रतिवर्ष मानव–शक्ति अखिल भारतीय औसत 5.71 की तुलना में मानव–शक्ति प्रति बस मूल रूप से अधिक था तथा 8.92 से 14.04 के मध्य था।

निगम ने कहा (सितम्बर 2014) कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में बसों की अधिआयु एवं अचलायमान बसों की प्रतिशतता में वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति कि0मी0 कम रहा। जवाब पुष्टि करता है कि नई बसों के शामिल करने में विफल रहने के फलस्वरूप मानव–शक्ति उत्पादकता कम रहा।

इंधन लागत

3.7.8 इंधन लागत एक महत्वपूर्ण लागत तत्व है, तथा 2009–14 के दौरान कुल खर्च का औसतन 12.53 प्रतिशत था। एक पथ परिवहन उपक्रम द्वारा इंधन लागत के ऊपर नियंत्रण सीधे लाभ को प्रभावित करता है। निगम द्वारा निर्धारित इंधन खपत का लक्ष्य, वास्तविक खपत, प्रति लीटर वाहन चालन (कि0मी0 प्रति लीटर), अखिल भारत औसत तथा अनुमानित अतिरिक्त खपत ***परिशिष्ट – 3.7*** में दिया गया है।

इंधन की अधिक खपत के कारण निगम ने ₹ 11.51 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया

परिशिष्ट – 3.7 से स्पष्ट है कि निगम का कि0मी0 प्रति लीटर इंधन खपत के लिए निर्धारित सीमा अखिल भारत की औसत कि0मी0 प्रति लीटर (5.06 से 5.16) तथा उत्तर प्रदेश पथ परिवहन निगम का कि0मी0 प्रति लीटर (4.92 से 5.33) से बहुत कम था। पुनः दिए गए सकल लाख कि0मी0 के लिए इंधन की खपत अखिल भारत मानक औसत खपत लाख कि0ली0 से अधिक था जिसके कारण ₹ 11.51 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। अधिक इंधन खपत के मुख्य कारण पुराने बस, बसों का तुच्छ संधारण, इत्यादि थे।

निगम ने कहा (सितम्बर 2014) कि राज्य के सम्पर्क मार्ग की स्थिति खराब होने के कारण कि0मी0 प्रति लीटर कम रहा। निगम का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि निगम की बसें मुख्यतः राष्ट्रीय राज्य मार्ग या राज्य मार्ग पर चलाए जा रहे थे तथा सम्पर्क मार्ग पर नहीं।

[13] राज्य पथ परिवहन उपक्रमों के संघ द्वारा वर्ष 2009–2013 हेतु निर्धारित मानव–शक्ति उत्पादकता के आधार पर औसत मानव–शक्ति उत्पादकता की गणना की गई है।

मृत किलोमीटर के अवास्तविक प्रदर्शन के कारण ₹ 2.49 करोड़ की हानि

3.7.9 सकल कि0मी0 और सवारी ले जाने में प्रभावी कि0मी0 का अन्तर मृत कि0मी0 कहलाता है और इस प्रकार यह बस द्वारा प्रतिष्ठान/कार्यशाला से बस स्टैंड की तय की गई दूरी, अपरिहार्य कारणों से लम्बे रास्ते से जाने के कारण तय की गई अधिक दूरी, रास्ते में हुए ब्रेक डाउन के कारण स्थल से कार्यशाला की तय की गई दूरी होती है जिसके लिए निगम को कोई राजस्व की प्राप्ति नहीं होती है। निगम ने मृत कि0मी0 के लिए दो प्रतिशत का मानक निर्धारित किया था। निगम के 2009–14 की अवधि में सकल कि0मी0, प्रभावी कि0मी0, मृत कि0मी0, इंधन खपत एवं प्राप्त प्रति लीटर कि0मी0 का विवरण नीचे तालिका में वर्णित है :

तालिका संख्या – 3.8

विवरणी	वर्ष					
	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	कुल
वास्तविक सकल कि0मी0 (लाख कि0मी0 में)	126.46	143.78	145.18	108.57	75.37	599.36
प्रभावी कि0मी0 (लाख कि0मी0 में)	122.48	138.35	136.94	100.65	70.91	569.33
मृत कि0मी0 (लाख कि0मी0 में)	3.98	5.43	8.24	7.92	4.46	30.03
सकल कि0मी0 में मृत कि0मी0 का अंश (प्रतिशत में)	3.15	3.78	5.68	7.29	5.92	5.01

(स्रोत : आँकड़े निगम के द्वारा प्रदत्त)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि निगम द्वारा तय कि0मी0 के दो प्रतिशत के मानक के विरुद्ध वास्तविक मृत कि0मी0 2009–14 के दौरान 3.15 प्रतिशत से 7.29 प्रतिशत के मध्य रहा। जहाँ मृत कि0मी0 का प्रतिशत पाँच प्रमण्डलों[14] में मानक के अन्दर था वहीं यह भागलपुर प्रमण्डल में थोड़ा अधिक (3.06 से 3.65 प्रतिशत) था। परन्तु मुजफ्फरपुर प्रमण्डल में मृत कि0मी0 असामान्य रूप से अधिक था तथा 6.47 प्रतिशत से 18.47 प्रतिशत के बीच था।

मुजफ्फरपुर प्रमण्डल के अभिलेख अर्थात् फॉर्म बी0 पंजी जिसमें संचालन आँकड़े प्रतिष्ठान स्तर पर संकलित की जाती है, की जाँच में देखा गया कि :

- मृत कि0मी0 के कारण, यदि कोई है, संबंधित पंजी में प्रविष्ट नहीं की गई;
- चालक द्वारा लम्बी दूरी से वाहन ले जाने का कारण, यदि कोई था, भी दर्ज नहीं किया गया;
- प्रमण्डल के मोतिहारी प्रतिष्ठान में प्रतिष्ठान अधीक्षक के बदलाव होने पर (अप्रैल 2013) मृत कि0मी0 में प्रबलता से कमी आ गई;

[14] पटना, गया, छपरा, दरभंगा तथा पूर्णियाँ।

- पटना से मुजफ्फरपुर मार्ग के लिए मुजफ्फरपुर प्रतिष्ठान द्वारा दर्शाए गए सकल कि0मी0 जो 194 से 202 कि0मी0 के बीच था, दूसरे प्रतिष्ठान द्वारा इसी मार्ग के लिए दर्शाए जा रहे कि0मी0 (166 कि0मी0) से अधिक था।

मृत कि0मी0 के अवास्तविक प्रदर्शन के कारण निगम ने ₹ 2.49 करोड़ का अधिक व्यय किया

हमने अवलोकित किया कि ''फॉर्म बी0'' में मृत कि0मी0 का प्रदर्शन बिना किसी औचित्य के किया गया। गबन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता तथा इसकी जाँच होनी चाहिए। इस प्रकार वर्ष 2009–14 की अवधि में मृत कि0मी0 के मद में मुजफ्फरपुर प्रमण्डल द्वारा ₹ 2.49 करोड़ का अधिक व्यय किया गया।

निगम द्वारा कहा गया (अगस्त 2014) कि लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में इस मामले की जाँच की जा रही है। उचित कार्रवाई की जाएगी।

स्क्रैप की ब्रिक्री से प्राप्तियाँ

3.7.10 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की बिहार सरकार (वाणिज्यिक) प्रतिवेदन, बिहार सरकार की कंडिका 3.20.5 में उल्लेख किया गया था कि उच्चतम न्यायालय के आदेश से गठित एक समिति द्वारा प्रस्तुत पुनरुत्थान योजना (1996) के अनुसार पुराने बसों तथा स्क्रैप की बिक्री से निगम को ₹ 12 करोड़ की आय होनी थी। इस प्रकार से प्राप्त राशि का उपयोग 133 नई बसों के क्रय के लिए किया जाना था।

निगम उपलब्ध ₹ 11.17 करोड़ की राशि का उपयोग 48 नई बसें क्रय करने के लिए नहीं कर सका

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि निगम के द्वारा 746 बसों का वर्ष 2009–12 की अवधि में निपटान कर ₹ 11.17 करोड़ की राशि प्राप्त की गई। पुराने बसों के निपटान से प्राप्त ₹ आठ करोड़ की राशि को बैंक में दो से पाँच वर्षों के लिए सावधि जमा में रखा गया था। निगम इस राशि से 48 नई बसों के क्रय करने में असफल रहा जिससे निगम के वर्ष 2009–14 की अवधि में 414 नई बसें खरीदने का बोझ कम होता जैसा कि कंडिका 3.7.1 में उल्लेखित है।

निगम ने कहा (सितम्बर 2014) कि बसों के क्रय की प्रक्रिया आरम्भ हो गई है।

अनुशंसा : हमलोग अनुशंसा करते हैं कि परिचालन प्रदर्शन में सुधार करने हेतु निगम को बेड़ा उपयोगिता को बेहतर बनाना चाहिए, वाहन उत्पादकता के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, उचित मार्ग नियोजन से बसों का परिचालन करना चाहिए, इंधन लागत तथा प्रभावी अनुश्रवण व पर्यवेक्षण द्वारा मानव–शक्ति लागत को कम करना चाहिए।

लोक निजी भागीदारी योजना

3.8 राजस्व की वृद्धि तथा निगम के अधिसूचित मार्गों पर निजी संचालकों द्वारा किए जाने वाले अवैध संचालन को रोकने हेतु निगम द्वारा अधिसूचित मार्गों पर लोक निजी भागीदारी योजना के तहत् बसों का संचालन (निगम की अपनी बसों को सम्मिलित करते हुए) दिसम्बर 2009 में एक निश्चित कमीशन के आधार पर लागू किया गया। इस प्रकार इस योजना में निजी तथा निगम की बसों का संचालन निजी संचालकों द्वारा किया जाना सम्मिलित था।

बिना लोक निजी भागीदारी नीति के निगम ने लोक निजी भागीदारी योजना लागू की

निजी बसों का संचालकों द्वारा संचालन

3.8.1 लोक निजी भागीदारी योजना के अन्तर्गत निजी संचालकों के बसों हेतु परमिट निगम के द्वारा निगम के नाम प्राप्त किया जाना था। परमिट की प्राप्ति में किसी प्रकार की प्रतियोगिता नही थी तथा सभी संचालक जिनके द्वारा टेंडर पेपर के साथ प्रतिभूति

राशि तथा बसों के स्वामित्व से संबंधित कागजात जमा किया गया उन्हें एकरारनामा कर इस योजना के तहत् बस संचालन की अनुमति दे दी गई। इस प्रकार निगम द्वारा अपना रोड परमिट के उपयोग की अनुमति दी गई। 31 मार्च 2014 को इस योजना के अन्तर्गत 435 बसें संचालन में थीं।

निगम तथा निजी संचालकों के बीच किए गए 180 एकरारनामों में से 97 की नमूना जाँच में तीन मुख्य कमियाँ यथा अपूर्ण एकरारनामें, एकरारनामों की धाराओं का पालन नहीं किया जाना और अनुश्रवण में कमियाँ पाई गईं जो नीचे वर्णित हैं :

निगम ने राज्य सरकार से ₹ 9.37 करोड़ के अर्थ–साहाय्य का मामला नहीं उठाया

- एकरारनामों के अनुसार, संचालकों से कमीशन की राशि अग्रिम के रूप में प्राप्त किया जाना था। परन्तु निगम द्वारा एकरारनामा की इस शर्त का पालन नहीं किए जाने के कारण निगम दोषी संचालकों से 21.06 करोड़ की राशि वसूल नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त निगम ₹ 9.37 करोड़ की अर्थ–साहाय्य राज्य सरकार से प्राप्त करने में विफल रहा जिसके फलस्वरूप दोषी संचालकों के विरुद्ध बकाए की राशि से इस राशि का समायोजन नहीं किया जा सका।

निगम ने कहा (सितम्बर 2014) कि बकाए के वसूली हेतु अलग–अलग न्यायालय में सर्टिफिकेट वाद किया गया है। निजी बसों का अर्थ–साहाय्य देने से संबंधित कोई भी सरकारी अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि निगम द्वारा मात्र ₹ 1.56 करोड़ की वसूली के लिए अब तक (नवम्बर 2014) सर्टिफिकेट वाद दायर किए गए थे। जहाँ तक अर्थ–साहाय्य का मामला है राज्य सरकार के अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि लोक निजी भागीदारी योजना के तहत् अर्थ–साहाय्य देने का प्रावधान किया गया था।

कमीशन कम भारित करने से ₹ 1.35 करोड़ की राजस्व हानि हुई

- एकरारनामें के अनुसार रोड परमिट में यथा उल्लेखित, कमीशन की राशि प्रत्येक परमिट के लिए भारित करना था। परन्तु निगम द्वारा झारखण्ड से वापसी से संबंधित खेपों के लिए ₹ 1.35 करोड़ के कमीशन की राशि भारित नहीं की गई।

कमीशन को अल्प भारित करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.01 करोड़ की राजस्व हानि हुई

- एकरारनामा के अनुसार कमीशन की राशि बसों की कुल बैठक क्षमता के लिए प्रारंभ से अंत तक कुल लाभ पर भारित किया जाना था। अर्थात यात्री से वसूले जा रहे किराए के अनुसार कमीशन की राशि भारित किया जाना था। परन्तु निगम द्वारा संचालकों के विरुद्ध उनके द्वारा यात्री से वसूले जा रहे भाड़े से कम भाड़े पर कमीशन की राशि भारित की गई जिसके फलस्वरूप निगम को ₹ 1.01 करोड़ की हानि हुई।

निगम ने बसों के अनधिकृत संचालन को नहीं रोका जिससे इसे ₹ 1.02 करोड़ राजस्व की हानि हुई

- पटना–मधुबनी मार्ग पर निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए बस की परमिट के विरुद्ध अनधिकृत रूप से तीन बसें चलाई जा रही थीं। इसी प्रकार पटना–जोगबनी मार्ग पर एक बस बिना किसी परमिट के अनधिकृत रूप से चलाई जा रही थी। निगम द्वारा मेसर्स गिरीश इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, हैदराबाद के इस अवैध संचालन[15] को रोका नहीं जा सका जिसके फलस्वरूप निगम को ₹ 1.02 करोड़ की हानि हुई ।

निगम की बसों का निजी संचालकों द्वारा संचालन

3.8.2 मानव–शक्ति की कमी, पुरानी बसों की संचालन तथा बिना टिकट यात्रा के कारण राजस्व हानि आदि से निपटने के लिए निगम द्वारा अपनी बसों का निजी

[15] वैध परमिट के बिना बसों का संचालन।

संचालकों द्वारा संचालन हेतु दो योजनाएँ यथा साझेदारी योजना[16] तथा प्रति प्रभावी कि0मी0 आय (आई0पी0ई0के0एम0)[17] योजना लागू की गई।

निगम ₹ 36 लाख की बकाया राशि को वसूलने में विफल रहा

- निगम, सितम्बर 2012 से जनवरी 2014 की अवधि का, तीन प्रमंडलों[18] से संबंधित 12 निजी संचालकों से ₹ 36 लाख कि राशि वसूल करने में असफल रहा। संचालकों द्वारा बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। अतः बकाए की राशि की वसूली की संभावना कम है।

त्रुटिपूर्ण एकरारनामा के कारण निगम को ₹ 61 लाख की राजस्व हानि हुई

- प्रति प्रभावी कि0मी0 आय योजना के लिए किया गया लोक निजी भागीदारी एकरारनामा त्रुटिपूर्ण था क्योंकि इसमें निजी संचालकों द्वारा संचालन का न्यूनतम कि0मी0 का प्रावधान नहीं किया गया था। लोक निजी भागीदारी एकरारनामा में न्यूनतम वाहन उत्पादकता कंडिका समाहित नहीं किए जाने के कारण तथा इस योजना का निगम द्वारा तुच्छ अनुश्रवण के कारण निगम को ₹ 61 लाख की हानि हुई जिसकी गणना वर्ष 2009–10 से वर्ष 2013–14 के अवधि के दौरान निजी संचालक द्वारा निगम के वास्तविक उत्पादकता को प्राप्त करने में विफल रहने से हुई क्षति के आधार पर की गई है।

निगम द्वारा कहा गया (सितम्बर 2014) कि वाहनों के पुराना होने के कारण इनका संचालन मानक के अनुसार नहीं किया जा सका। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि निगम द्वारा वाहन की क्षमता से सम्बन्धित लक्ष्य एकरारनामा में समाहित नहीं किया गया था।

अनुशंसा : हमलोग अनुशंसा करते हैं कि लोक निजी भागीदारी योजना के अन्तर्गत बसों के संचालन में वित्तीय हित सुनिश्चित करने हेतु निगम को एकरारनामा का मानक प्रारूप बनाने, लोक निजी भागीदारी एकरारनामें की कंडिकाओं का पालन करने और उचित अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण द्वारा राजस्व की हानि को रोकने का प्रयास करना चाहिए।

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली तथा शीर्ष प्रबंधन द्वारा अनुश्रवण

3.9 आन्तरिक नियंत्रण एक प्रबंधन का साधन है जिसका प्रयोग न्यायोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए किया जाता है कि प्रबंधन उद्देश्यों की प्राप्ति सक्षम, प्रभावी तथा सुव्यवस्थित तरीके से हो रहा है। पथ परिवहन निगम जैसी संस्थाओं के लिए लिखित संचालन मानदण्ड, सेवा मानक तथा लक्ष्य होना चाहिए। इसके अलावा लक्ष्य और मानदण्डों की उपलब्धि पर प्रतिवेदन हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली होनी चाहिए जिससे निर्धारित मानकों से विचलन, यदि कोई हो, जाना जा सके और इसके लिए जिम्मेदारी का निर्धारण किया जा सके तथा सुधारात्मक उपाय किया जा सके। इसके साथ ही संगठन निर्धारित लक्ष्य/मानदण्ड यथार्थवादी होना चाहिए जिससे संगठन आत्मनिर्भर हो सके। संस्था में व्याप्त आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा से पता चला कि :

- निगम कार्यात्मक परिचालन मैनुअल बनाने में असफल रहा;
- बाहरी एजेंसी द्वारा निष्पादित कार्य का विवरण प्रमण्डल तथा प्रतिष्ठानों के पास उपलब्ध नहीं था;

[16] एक योजना जिसके अन्तर्गत, शर्तों के आधार पर, बसों का स्वामित्व निजी संचालकों को हस्तांतरित किया जाना था।

[17] आई0पी0ई0के0एम0 योजना के अन्तर्गत निजी संचालक द्वारा प्रति प्रभावी कि0मी0 के लिए अदायगी के विरुद्ध बसों का संचालन होना था।

[18] मुजफ्फरपुर, पटना और गया।

- मूल अभिलेखों यथा अचल संपत्तियों से संबंधित पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था। वार्षिक भौतिक सत्यापन की कोई व्यवस्था नहीं थी। वर्ष 2005–06 से भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया था; तथा

- निगम में एक आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रभाग था। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, संचालन मुख्य के माध्यम से, जो आन्तरिक लेखापरीक्षा के प्रभार में थे, प्रशासन को प्रस्तुत किया जाना था। परन्तु 26 स्वीकृत पदों के विरुद्ध कोई भी पदाधिकारी इस प्रभाग में पदस्थापित नहीं थे। 31 मार्च 2014 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई नियमित लेखापरीक्षा नहीं कराई गई।

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली एवं एम0आई0एस0 त्रुटिपूर्ण थे

इस प्रकार संस्था में व्याप्त आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली तथा शीर्ष प्रबन्धन द्वारा अनुश्रवण त्रुटिपूर्ण था। निगम द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

अनुशंसा : हमलोग अनुशंसा करते हैं कि परिचालन में मितव्ययिता, दक्षता एवं प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए निगम को कार्यात्मक मैनुअल तैयार कर आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने, सेवा–मानकों को स्थापित करने तथा साथ–साथ शीर्ष प्रबन्धन द्वारा प्रभावी अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- **निगम के पास किराया नीति नहीं थी। किराया का निर्धारण केवल एच0एस0डी0 की कीमत वृद्धि पर आधारित था तथा अन्य इनपुट के मूल्य में वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा गया था। मात्र किराया निर्धारण नीति में कमी के कारण निगम ₹ 8.63 करोड़ की संभाव्य राजस्व से वंचित रहा।**

- **निगम, निधि की उपलब्धता के बावजूद, पुरानी बसों के अपने बेड़े को मजबूत करने में विफल रहा और इस प्रकार बड़े पैमाने पर जनता को पर्याप्त और समन्वित तरीके से परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के अपने उद्देश्य में विफल रहा जिससे इसका परिचालन प्रदर्शन प्रभावित हुआ।**

- **लोक निजी भागीदारी एकरारनामे में कमी, निगम के वित्तीय हित की रक्षा करने में विफलता तथा अनुश्रवण में कमी के कारण निगम को ₹ 13.72 करोड़ की राजस्व हानि हुई।**

- **निगम में व्याप्त आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली त्रुटिपूर्ण था। निगम ने वार्षिक योजना, वार्षिक बजट तैयार नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, शीर्ष प्रबंधन द्वारा मुख्य संचालन मानकों के अनुश्रवण में कमी थी तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कंध लगभग अक्रियाशील था।**

अध्याय - IV

4. कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

अध्याय– IV

4. कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों/सांविधिक निगमों के कार्य सम्पादन की नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का समावेश किया गया है।

सरकारी कम्पनियाँ

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

4.1 उच्च विभव विनिर्दिष्ट सेवाएँ उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में विपत्रीकरण एवं बकायों के संग्रहण पर दीर्घ कंडिका

4.1.1 तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) ने वर्ष 2001 में, राज्य सरकार के अनुमोदन से विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 49 के अन्तगर्त प्रदत्त शक्ति के आधार पर उपभोक्ताओं विशेषतः उच्च विभव विनिर्दिष्ट सेवाएँ (एच0टी0एस0एस0) की प्रेरण भट्ठी (प्रेरण भट्ठी पिघलने के फलस्वरूप न्यूनतम हानि को कायम रखते हुए धातुओं की एक विस्तृत विविधता के पिघलने और एलॉयिंग के लिए बिजली की धाराओं का उपयोग करता है) जिसकी संविदा माँग 300 के0भी0ए0 अथवा अधिक हो, हेतु विशिष्ट टैरिफ का निर्धारण किया। साथ ही, नवम्बर 2006 से बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) द्वारा निर्गत विभिन्न टैरिफ आदेशों में अन्य प्रावधानों के साथ–साथ एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ताओं हेतु भी प्रावधान शामिल था।

बिजली के वितरण से सम्बन्धित कार्यकलाप तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) द्वारा किया जाता था। बोर्ड को, 01 नवम्बर 2012 से प्रभावी, कार्यात्मक आधार पर पाँच उत्तराधिकारी कम्पनियों में बाँटा गया, यथा, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड।

एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ताओं को 2010–13 की अवधि के दौरान 394.88 मिलियन किलो वॉट हॉवर (एम0के0डब्ल्यू0एच0) से लेकर 476.39 एम0के0डब्ल्यू0एच0 इकाई बिजली का विक्रय किया गया जो राज्य में विक्रय किये गये कुल बिजली इकाईयों का 5.9 प्रतिशत से 11.95 प्रतिशत था।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के उच्च विभव विनिर्दिष्ट सेवाएँ (एच0टी0एस0एस0) उपभोक्ताओं के विपत्रीकरण एवं बकायों के संग्रहण की लेखापरीक्षा की गई चूँकि एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ताओं को विक्रय की गई बिजली इकाई की प्रतिशतता राज्य में विक्रय किये गये बिजली की कुल इकाईयों के साक्षेप वर्ष 2011–12 में 5.9 प्रतिशत से अर्थवान रूप से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 11.95 प्रतिशत हो गया था।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

4.1.2 वर्ष 2010–14 की अवधि के दौरान साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ताओं को विक्रय किये गए बिजली ईकाईयों के

संबंध में विपत्रीकरण एवं बकायों के संग्रहण की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु की गयी कि:

- बी0ई0आर0सी0 द्वारा समय–समय पर निर्गत किए गये टैरिफ आदेशों एवं नियमों की संविदा माँग के निर्धारण एवं उनके अग्रेतर संशोधनों से सम्बन्धित प्रावधानों का अनुपालन हुआ हो;
- बिहार विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाइसेंसियों के निष्पादन मानकों) विनियमन, 2006 का अनुपालन हुआ हो; एवं
- लागू टैरिफ के अनुसार विपत्रीकरण हुआ हो एवं विपत्रीकरण तथा संग्रहण प्रक्रिया की दक्षता आकलन करने हेतु।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति

4.1.3 कम्पनी के मुख्यालय स्तर पर कुल 16 उपभोक्ताओं में से 12 एच0टी0एस0एस0 से संबंधित उपभोक्ताओं के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लेखापरीक्षा आपत्तियों को उठाना, समापन सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रबन्धन से लेखापरीक्षा परिणामों पर विचार विमर्श एवं प्रबन्धन/सरकार को उनके मन्तव्य हेतु दीर्घ कंडिका का निर्गमन जैसी कार्यप्रणाली शामिल था। लेखापरीक्षा वर्ष 2010–11 से 2013–14 की अवधि हेतु की गई थी।

लेखापरीक्षा परिणाम

4.1.4 बिजली की इकाईयों की बिक्री की संबंध में एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ताओं के विपत्रीकरण एवं बकायों के संग्रहण पर लेखापरीक्षा परिणामों की परिचर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है :

संविदा माँग का अल्प–निर्धारण

4.1.5 बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश 2012–13 और 2013–14 के कंडिका 7.4, अन्य बातों के साथ, यह प्रावधानित करता है कि एक नवीन कनेक्शन हेतु संविदा माँग, निर्माताओं की तकनीकी विशिष्टिकरणों के अनुसार प्रेरण भट्टी एवं उपकरणों की कुल क्षमता, पर आधारित होगा। विपत्रीकरण माँग माह के दौरान दर्ज की गई माँग अथवा संविदा माँग, दोनों में जो अधिक हो, पर आधारित होगा।

संविदा माँग को घटाने से सम्बन्धित टैरिफ आदेश के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के फलस्वरूप उपभोक्ता को अनुचित लाभ एवं कम्पनी को ₹ 1.19 करोड़ के राजस्व की हानि का उल्लेख भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सा0क्षे0उ0 प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 4.1 में हुआ था। यथा प्रेक्षित, उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन नहीं होने के अन्य मामलों की परिचर्चा निम्नतः की गई है:

वास्तविक भार के अनुसार संविदा माँग बढ़ाने में विफलता

एक एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ता, मेसर्स नील कमल स्टील प्राईवेट लिमिटेड, पटना ने अपने परिसर में स्थापित मौजुदा भार 9000 किलो वोल्ट ऐम्पियर (के0भी0ए0[1]) से 12000

[1] 1 के0भी0ए0 = 1 किलो वाट (के0डब्ल्यू0) * 1.1111।

के0भी0ए0 बढ़ाने के लिए मार्च 2013 में आवेदन किया था। उल्लेखित विवरण के अनुसार, उपभोक्ता 9831 के0भी0ए0 (8849.5 के0डब्ल्यू0) का भार ले रहा था। उपभोक्ता का उपर्युक्त वर्णित भार तभी से विद्यमान था चूँकि उपभोक्ता 9000 के0भी0ए0 का भार जनवरी 2013 से ही ले रहा था। तद्नुसार टैरिफ प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता का विपत्रीकरण 9000 के0भी0ए0 के बदले 9831 के0भी0ए0 जनवरी 2013 से ही होना चाहिए था। आगे उपभोक्ता ने अपना सम्बद्ध भार जुलाई 2013 में 9000 के0भी0ए0 से 12000 के0भी0ए0 बढ़वा दिया। तथापि, भार विवरण के अनुसार उपभोक्ता का कुल भार उपकरणों सहित 13103 के0भी0ए0 (11794 के0 डब्ल्यू0) था। अतः उपभोक्ता का विपत्रीकरण इसी के अनुसार होना चाहिए था।

टैरिफ ऑर्डर के प्रावधानों के अनुसार एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ता के संविदा माँग की वृद्धि में विफलता एवं संविदा माँग के अल्प–निर्धारण के फलस्वरूप कम्पनी को जनवरी 2013 से अप्रैल 2014 की अवधि के विरुद्ध ₹ 1.06 करोड़ की हानि हुई।

संविदा माँग का अल्प–निर्धारण

एक एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ता, मेसर्स दादीजी स्टील प्राईवेट लिमिटेड, पटना ने जुलाई 2012 में पुराने भट्ठी के स्थान पर नई भट्ठी लगााने हेतु अपने भार को 12051 के0भी0ए0 से बढ़कर 14701[2] के0भी0ए0 करने हेतु आवेदन किया। तथापि, भार स्वीकृति में भट्ठियाँ और सहायक भार का अल्प–निर्धारण हुआ था। चार भट्ठियों के संदर्भ में निर्माता[3] विशिष्टिकरण स्पष्ट तौर पर यह इंगित करती थी कि इन भट्ठियों के लिए आवश्यक कुल बिजली खपत 12776 के0भी0ए0 (11500 के0डब्ल्यू0) था। तथापि, उपर्युक्त भट्ठियों के संदर्भ में निर्माता विशिष्टिकरणों के विरुद्ध उपभोक्ता को केवल 11500 के0भी0ए0 का भार स्वीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता ने अपने स्वघोषणा में 1334 के0भी0ए0 (1201 के0 डब्ल्यू0) का सहायक भार माना था। तथापि, उपभोक्ता को सहायक भार के संबंध में 1201 के0भी0ए0 भार की अनुमति दी गई थी। परिणामस्वरूप प्रेरण भट्ठियों, सहायक भार एवं रॉलिंग मिल के सम्बन्ध में 16110 के0भी0ए0 के कुल भार अर्थात् (12776 के0भी0ए0+1334 के0भी0ए0+2000 के0भी0ए0) के विरुद्ध कथित उपभोक्ता का भार केवल 14701 के0भी0ए0 जनवरी 2013 से स्वीकृत किया गया।

संविदा माँग के 1409 के0भी0ए0 से अल्प–निर्धारण के फलस्वरूप कम्पनी को जनवरी 2013 से नवम्बर 2014 की अवधि हेतु ₹ 2.27 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकारते हुए अवगत कराया (अक्टूबर 2014) कि दोनों उपभोक्ताओं से बढ़े हुए संविदा माँग के लिए नया अनुबंध करने का अनुरोध किया गया है।

अनुशंसा : हमलोग यह अनुशंसा करते हैं कि कम्पनी को संविदा माँग के निर्धारण एवं विपत्रीकरण हेतु विद्यमान टैरिफ आदेश की कंडिका 7.4 के प्रावधानों का अनुपालन अक्षरशः करना चाहिए।

[2] 14701 के0भी0ए0 के भार में चार प्रेरण भट्ठियों का 11500 के0भी0ए0 भार, 1201 के0भी0ए0 का सहायक भार एवं रॉलिंग मिल हेतु 2000 के0भी0ए0 का भार सम्मिलित था।

[3] मेगाथर्म इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड।

बी0ई0आर0सी0 (वितरण अनुज्ञप्तिधारी के निष्पादन मानकों) विनियमन, 2006 का अनुपालन

भार वृद्धि में विलम्ब

4.1.6 बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) (वितरण अनुज्ञप्तिधारी निष्पादन के मानकों) विनियमन, 2006 की कंडिका 17 (क), अन्य बातों के साथ, यह प्रावधानित करती है कि संविदा माँग की वृद्धि हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन की प्राप्ति पर सात दिनों के अन्दर वैसी स्थिति में, जहाँ कोई विस्तार एवं वितरण नेटवर्क के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं हैं, अनुज्ञप्तिधारी[4] उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण कर 20 दिनों के अन्दर भार वृद्धि की अनुमति प्रदान करेगा।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि भार वृद्धि हेतु दो उपभोक्ताओं[5] के मामलों में वितरण अनुज्ञप्तिधारी निष्पादन के मानकों, 2006 के द्वारा निर्धारित समयावधि का अनुपालन नहीं हुआ था एवं विलम्ब के दृष्टांत पाये गये जिसकी परिचर्चा निम्नतः की गई है :

- एक एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ता, मेसर्स नीलकमल स्टील प्राइवेट लिमिटेड, पटना ने 9000 के0भी0ए0 से 12000 के0भी0ए0 भार–वृद्धि के लिए आवेदन (05 मार्च 2013) किया। यद्यपि, बढ़े हुए भार की स्वीकृति की अनुशंसा 14 मार्च 2013 को ही की गई थी, तथापि कम्पनी ने बढ़े हुए भार की स्वीकृति में एक माह का विलम्ब किया। उपभोक्ता को बढ़े हुए भार पर आपूर्ति 6 जुलाई 2013 से आरम्भ हुई। भार वृद्धि में 36 दिनों की विलम्ब के कारण कम्पनी को डिमांड चार्ज के रूप में ₹ 25.20 लाख[6] के राजस्व की हानि हुई।

- एक एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ता, मेसर्स दादीजी स्टील प्राईवेट लिमिटेड, पटना ने 12051 के0भी0ए0 से 14701 के0भी0ए0 भार–वृद्धि के लिए आवेदन (जुलाई 2012) किया। उपभोक्ता के भार का प्रस्ताव तत्कालीन महाप्रबन्धक सह मुख्य अभियन्ता को 3 अगस्त 2012 को भेजा गया। इसके पश्चात्, विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, फतुहाँ को उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण करने के लिए पत्र लिखा गया तथा ठोस भार प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। अन्ततः, बढ़ा हुआ भार उपर्युक्त विनियमन के तहत् 27 दिनों की अनुमत्य समय सीमा के बाद 49 दिनों के विलम्ब से 10 अक्टूबर 2012 को स्वीकृत किया गया। हमने प्रेक्षित किया कि यदि भार वृद्धि हेतु आवश्यक कदम समय पर लिया गया होता तो 49 दिनों का विलम्ब परिहार्य था। भार–स्वीकृति के फलस्वरुप उपर्युक्त उपभोक्ता ने 26 नवम्बर 2012 को प्रतिभूति राशि जमा की तथा बढ़े हुए भार पर विद्युत आपूर्ति जनवरी 2013 से आरम्भ हुई। कथित उपभोक्ता के भार–वृद्धि में कम्पनी द्वारा विलम्ब के कारण कम्पनी को डिमांड चार्ज के मद में ₹ 30.30 लाख[7] के राजस्व की हानि हुई।

उपर्युक्त दोनों मामलों में कम्पनी के प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2014) कि बिहार विद्युत आपूर्ति कोड, 2007 (बी0ई0एस0सी0, 2007) की प्रयोज्य प्रावधान में निर्धारित की गई अतिरिक्त प्रतिभूति जमा और अनुबंध के निष्पादन की औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त भार वृद्धि में किसी भी प्रकार का विलम्ब नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, राजस्व

[4] अनुज्ञप्तिधारी का अर्थ एक कम्पनी या उर्जा की आपूर्ति हेतु भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त एक स्थानीय प्राधिकारी सहित कोई भी व्यक्ति है जो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में शामिल है।

[5] मेसर्स नीलकमल स्टील प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स दादीजी स्टील प्राइवेट लिमिटेड।

[6] डिमांड चार्ज हानि = 3000*36 / 30*700 = ₹ 25,20,000।

[7] डिमांड चार्ज हानि = 2650*49 / 30*700 = ₹ 30,29,833।

हानि के सम्बन्ध में प्रबन्धन ने कहा कि उपभोक्ता को विपत्र वास्तविक मीटर रिडिंग के आधार पर निर्गत किया गया था।

प्रबन्धन का जवाब मान्य नहीं है चूँकि भार स्वीकृति चरण में ही अत्यधिक विलम्ब था जो प्रतिभूति राशि जमा करने एवं अनुबन्ध करने की औपचारिकता पूर्ण कर लेने से पहले पूर्ण कर लेना चाहिए था। इसके अतिरिक्त टैरिफ प्रावधानों के अनुसार, डिमांड चार्ज का विपत्रीकरण डिमांड चार्ज या दर्ज किए गए अधिकतम डिमांड, जो भी अधिक हो, के आधार पर किया जाना था।

अनुशंसाः हमलोग यह अनुशंसा करते हैं कि नवीन सेवा सम्बद्ध मामलों में अनावश्यक विलम्ब को टालने हेतु कम्पनी को बी0ई0आर0सी0 (वितरण लाइसेंसधारी के निष्पादन मानकों) विनियमन, 2006 की कंडिका 17 (क) के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए।

अल्प विपत्रीकरण एवं राजस्व का संग्रहण

अतिरिक्त प्रतिभूति जमा का अल्प निर्धारण एवं उपभोक्ता को अनुचित लाभ

4.1.7 बिहार विद्युत आपूर्ति कोड, 2007 (कोड) का उपवाक्य 7.15 (3), अन्य बातों के साथ, यह प्रावधानित करता है कि उच्च विभव (एच0टी0)/अति उच्च विभव (ई0एच0टी0) उपभोक्ताओं से प्राप्त प्रतिभूति जमा राशि की समीक्षा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अर्द्धवार्षिक तौर पर पिछले छः महीने के बिजली खपत के आधार पर किया जाएगा। यदि औसत खपत हेतु प्रतिभूति अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त की गई प्रतिभूति से 20 प्रतिशत अधिक है तो उपभोक्ता को प्रयोज्य टैरिफ प्रावधानों के अनुरूप अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि जमा करनी होगी, अन्यथा, अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि उपभोक्ता को वापस कर दी जाएगी।

एक एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ता, मेसर्स भोला राम स्टील प्राइवेट लिमिटेड, पटना के अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि कथित प्रत्याभूति जमा की समीक्षा जून 2012 से मार्च 2013 की दस महीनों की अवधि में विद्युत खपत के आधार पर जुलाई 2013 में हुआ था। संशोधन के फलस्वरूप ₹ 36.22 लाख का अतिरिक्त प्रतिभूति जमा उपभोक्ता पर भारित किया गया। हमने प्रेक्षित किया कि अक्टूबर 2013 में पूर्व के छः महीनें के आधार पर (अर्द्ध–वार्षिक आधार पर) विपत्र विवरण के अनुसार ₹ 52.63 लाख राशि की अतिरिक्त प्रतिभूति कथित उपभोक्ता से वसूला जाना आवश्यक था। तथापि, कम्पनी ने बिहार विद्युत आपूर्ति कोड, 2007 के उल्लंघन में कथित उपभोक्ता पर केवल ₹ 36.22 लाख भारित किया। परिणामस्वरूप ₹ 16.42 लाख अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की राशि का अल्प–निर्धारण हुआ एवं इतनी ही राशि का अनुचित लाभ कथित उपभोक्ता को मिला।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2014) कि कथित उपभोक्ता की प्रतिभूति जमा की समीक्षा जुलाई 2013 में की गई थी और तदनुसार उपभोक्ता से जून 2012 से मार्च 2013 के 10 माह के मासिक खपत के आधार पर ₹ 36.22 लाख की अतिरिक्त प्रतिभूति राशि अक्टूबर 2013 में प्राप्त की गई थी तथा जब इसकी समीक्षा अक्टूबर 2013 में हुई तो अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की आवश्यकता नहीं थी। जवाब मान्य नहीं है, चूँकि कोड के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता के पूर्व के छः माह अर्थात् अर्द्धवार्षिक खपत के आधार पर अप्रैल/मई और अक्टूबर/नवम्बर में प्रतिभूति जमा की समीक्षा आवश्यक था।

अनुशंसाः हमलोग यह अनुशंसा करते हैं कि कम्पनी को एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ताओं के प्रतिभूति जमा की समीक्षा से सम्बन्धित बिहार विद्युत आपूर्ति कोड, 2007 की उप–वाक्य 7.15 (3) के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए।

औद्योगिक नीति के तहत् छूट की अनियमित अनुमति देना

4.1.8 उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत औद्योगिक नीति, 2006 की कंडिका 2 (xii) के अनुसार वर्तमान में कार्यरत इकाई एवं नई इकाई, नई औद्योगिक नीति की घोषणा तिथि से वार्षिक विद्युत खपत न्यूनतम गारंटी (ए0एम0जी0)/मासिक न्यूनतम गारंटी (एम0एम0जी0) शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त कर सकेगी। औद्योगिक नीति के तहत् उपर्युक्त छूट नई औद्योगिक नीति, 2011 द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिए विस्तार किया गया। तथापि अगस्त 2008 में बोर्ड ने आदेश निर्गत किया कि वैसे उपभोक्ताओं को जो बिजली चोरी/मीटर छेड़छाड़ के दोषी पाये जाते हैं को औद्योगिक नीति के तहत् छूट प्राप्त नहीं होगा।

हमने प्रेक्षित किया कि :

तत्कालीन बोर्ड ने ई0एस0सी0, 2007 के उप–वाक्य 11.4 के अनुरूप जून 2008 में स्वैच्छिक मीटर छेड़छाड़ प्रकटीकरण योजना आरम्भ किया। उपर्युक्त योजना के तहत् छः[8] उपभोक्ताओं ने अपने मीटर में छेड़छाड़ होना घोषित (जून 2008) किया। तद्नुसार मीटर की छेड़छाड़ की अवधि हेतु उपर्युक्त कोड के उप–वाक्य 11.4 के तहत दाण्डिक विपत्र निर्गत किया गया। इसके अलावा यह पाया गया कि बोर्ड अनावश्यक मीटर के छेड़छाड़ के दृष्टांतों के बावजूद उन उपभोक्ताओं को मीटर की छेड़छाड़ की अवधि के लिए औद्योगिक नीति 2006 के तहत् जुलाई 2011 में ₹ 1.95 करोड़ के छूट का लाभ प्रदान किया गया (***परिशिष्ट–4.1***)। तथापि, बोर्ड के विद्यमान आदेश के अनुसार बिजली की चोरी/छेड़छाड़ करते पाए गए उपभोक्ता को औद्योगिक नीति, 2006 के तहत् किसी भी प्रकार की प्रोत्साहन नहीं दिया जाना था।

एक एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ता, मेसर्स गंगोत्री इलेक्ट्रोकास्टिंग प्राईवेट लिमिटेड, पटना को मीटर छेड़छाड़ के लिए 12 जनवरी 2008 से 28 फरवरी 2008 की अवधि हेतु ₹ 1.01 करोड़ का दण्डात्मक विपत्र दिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश पर इस दण्डात्मक विपत्र की समीक्षा की गई जिसमें निर्धारित अधिकारी ने पूर्व में निर्धारित ₹ 1.01 करोड़ के दण्डात्मक विपत्र को बरकरार रखा (सितम्बर 2011)। तथापि, उपभोक्ता को मीटर छेड़छाड़ हेतु दाण्डिक विपत्र निर्गत करने के बावजूद तत्कालीन बोर्ड के आदेश के उल्लंघन में बिजली चोरी की अवधि (जनवरी 2008 से फरवरी 2008) के लिये अक्टूबर 2012 में ₹ 1.43 करोड़ के छूट का लाभ प्रदान किया गया।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकारते हुए कहा (अक्टूबर 2014) कि लेखापरीक्षा प्रेक्षण के अनुसार अनुपूरक बिल उपभोक्ता को निर्गत कर दिया गया है।

[8] मेसर्स दादीजी स्टील प्राइवेट लिमिटेड, पटना (दिदारगंज); मेसर्स पटवारी स्टील प्राइवेट लिमिटेड, पटना (राजेन्द्र नगर); मेसर्स बालमुकुन्द कॉनकास्ट लिमिटेड, पटना (एक्जिबिशन रोड); मेसर्स जे0जी0 फाउन्ड्री लिमिटेड, पटना (अगमकुआँ); मेसर्स दिना आइरन एण्ड स्टील लिमिटेड, पटना (दिदारगंज); और मेसर्स गंगोत्री इलेक्ट्रोकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, पटना (फुलवारीशरीफ)।

उर्जा विपत्र के मद में प्राप्य राजस्व को ''प्रसुप्तावस्था में रखा हुआ'' मद में रखना

4.1.9 उपभोक्ताओं को निर्गत ऊर्जा विपत्र से सम्बन्धित राशियों और विद्युत विपत्रों की शुद्धता एवं अन्य मामलों से सम्बन्धित कम्पनी एवं उपभोक्ताओं के मध्य विवाद की स्थिति में कम्पनी, मुद्दों/विवाद के निराकरण तक, विपत्र से सम्बन्धित राशि को ''प्रसुप्तावस्था में रखा हुआ'' मद में रखती है।

हमने प्रेक्षित किया कि एक एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ता, मेसर्स दिना मेटल्स लिमिटेड, पटना के परिसर का अप्रैल 2008 में बोर्ड के अधिकारियों के साथ सर्तकता टीम द्वारा निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण में, उपभोक्ता के मीटर से छेड़छाड़ पाई गई और तद्नुसार विद्युत चोरी हेतु प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ0आई0आर0) दर्ज की गई और ₹ 3.56 करोड़ का दण्डात्मक विपत्र जारी किया गया। उपभोक्ता ने विरोध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका दायर किया जिसमें उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया कि उपभोक्ता के मीटर को उपभोक्ता की इच्छा के अनुरूप राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में यह पहचान करने के लिए कराया जाय कि मीटर यांत्रिक रूप से खराब है अथवा मीटर से छेड़छाड़ हुई है एवं तत्पश्चात निर्धारण अधिकारी द्वारा इस संबंध में उचित कदम उठाया जाए एवं उपभोक्ता को औपबंधिक विपत्र निर्गत करने की स्थिति में, कथित उपभोक्ता, विपत्र राशि का 50 प्रतिशत भुगतान करेगा और इसके उपरान्त ही यदि कोई आपत्ति हो तो, वह अपनी आपत्ति दर्ज करेगा (जनवरी 2011)।

हमने प्रेक्षित किया कि तीन साल बीत जाने के बाद भी कम्पनी, मीटर की जाँच कराने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.56 करोड़ की राशि तीन वर्षों से अधिक की अवधि हेतु अवरुद्ध रही। कम्पनी दण्डात्मक विपत्र की वसूली में आज तक (अक्टूबर 2014) विफल रही और यह राशि ''प्रसुप्तावस्था में रखा हुआ'' मद में बेकार पड़ा रहा।

प्रबन्धन ने तथ्य एवं आँकड़ों को स्वीकारते हुए कहा (अक्टूबर 2014) कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के अनुपालन हेतु कानून के अनुरूप उचित कदम शीघ्र ही उठाये जायेंगे।

अनुशंसा : हमलोग यह अनुशंसा करते हैं कि कम्पनी उपभोक्ताओं के विपत्रीकरण मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करे जिससे इनका प्रसुप्तावस्था में रखा हुआ होने की स्थिति से बचा जा सके तथा उसकी वसूली में अवांछित विलम्ब को टाला जा सके।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2014); जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

निष्कर्ष

- **कम्पनी निर्माता के अनुसार प्रेरण भट्टी एवं उपकरणों की कुल क्षमता के आधार पर दो एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ताओं के संविदा माँग की वृद्धि करने एवं तद्नुसार विपत्र करने में विफल रहा। इसके फलस्वरूप संविदा माँग का अल्प–निर्धारण हुआ जिसके फलस्वरूप कम्पनी को ₹ 3.33 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।**

- **कम्पनी 27 दिनों की निर्धारित समय सीमा में दो एच0टी0एस0एस0 उपभोक्ताओं के संविदा माँग की वृद्धि में विफल रहा जिसके फलस्वरूप कम्पनी को ₹ 55.50 लाख राजस्व की हानि उठानी पड़ी।**
- **कम्पनी तीन वर्षों से अधिक समय के व्यतीत होने के बावजूद एवं उच्च न्यायालय के आदेश के उल्लंघन में उपभोक्ता का मीटर उसकी इच्छा के अनुरूप प्रयोगशाला में जाँच कराने में विफल रहा जिसके फलस्वरूप विवादित विद्युत विपत्रों के मद में ₹ 3.56 करोड़ का राजस्व अवरूद्ध पड़ा रहा।**

4.2 राजस्व की हानि

रेलवे कर्षण सेवा (आर0टी0एस0) उपभोक्ता की संविदा माँग में अत्यधिक विलम्ब से वृद्धि के कारण ₹ 5.14 करोड़ के राजस्व का वसूली नहीं होना।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश, 2006–07[9], अन्य बातों के साथ, यह भी निर्दिष्ट करता है कि उच्च विभव (एच0टी0) उपभोक्ताओं की ट्रान्सफॉर्मर क्षमता उनकी संविदा माँग के 150 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उपरोक्त टैरिफ आदेश यह भी प्रावधान करता है कि यदि कोई उपभोक्ता अपनी संविदा माँग के अनुरूप अनुमत्य क्षमता से अधिक क्षमता वाले ट्रान्सफॉर्मर का उपयोग करते पाया जाता है तो यह मामला कदाचार के अन्तर्गत आएगा। बी0ई0आर0सी0 द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश, 2010–11[10], ने रेलवे की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, रेलवे कर्षण सेवा (आर0टी0एस0) उपभोक्ता को ट्रान्सफॉर्मर क्षमता, संविदा माँग के 200 प्रतिशत तक, रखने की अनुमति प्रदान किया।

तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड {सम्प्रति साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड[11] (कम्पनी)} के अभिलेखों की संवीक्षा से यह उद्घाटित हुआ किः

- लखीसराय का एक आर0टी0एस0 उपभोक्ता, जिसकी संविदा माँग 9.5 मेगा वोल्ट एम्पीयर (एम0भी0ए0) थी, उपरोक्त टैरिफ आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 21.6 एम0भी0ए0 की क्षमता वाले दो ट्रान्सफॉर्मरों का उपयोग कर रहा था।
- कथित उपभोक्ता की संविदा माँग, उपरोक्त टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार, नवम्बर 2006 से नवम्बर 2010 की अवधि हेतु 14.40 एम0भी0ए0[12] तथा दिसम्बर 2010 से मई 2013 की अवधि हेतु 10.80 एम0भी0ए0[13] गणना की गयी जिससे टैरिफ आदेश के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित हो और तद्नुसार कथित आर0टी0एस0 उपभोक्ता का विपत्रीकरण किया जाना चाहिए था।
- टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी कथित उपभोक्ता की संविदा माँग की ससमय वृद्धि में विफल रहा। कम्पनी ने जून 2013 में ही कथित उपभोक्ता की संविदा माँग को बढ़ाकर 10.80 एम0भी0ए0 कर दिया।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा टैरिफ आदेश के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने एवं कथित उपभोक्ता की संविदा–माँग की वृद्धि में अत्यधिक विलम्ब के फलस्वरूप नवम्बर 2006

[9] नवम्बर 2006 से प्रभावी।
[10] दिसम्बर 2010 से प्रभावी।
[11] बी0एस0ई0बी0 के पुनर्गठन के बाद, लखीसराय के आर0टी0एस0 उपभोक्ता का विपत्रीकरण साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।
[12] 21.6 एम0भी0ए0 / 150 प्रतिशत = 14.40 एम0भी0ए0।
[13] 21.6 एम0भी0ए0 / 200 प्रतिशत = 10.80 एम0भी0ए0।

से मई 2013 की अवधि हेतु माँग शुल्क और उर्जा विपत्र के मद में ₹ 5.14 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हो सकी।

प्रबंधन ने तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2014) कि नवम्बर 2006 से मई 2013 की अवधि हेतु अप्राप्त राजस्व का विपत्रीकरण प्रक्रियाधीन है। तथापि, तथ्य यही है कि कथित अवधि का राजस्व अभी भी वसूल किया जाना है (नवम्बर 2014)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित (अप्रैल 2014) किया गया; जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

4.3 दाण्डिक शुल्क का अल्प–निर्धारण

कम्पनी द्वारा टैरिफ आदेश एवं विद्युत आपूर्ति कोड, 2007 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के फलस्वरूप एक एच0टी0एस0 उपभोक्ता के दाण्डिक शुल्क का अल्प–निर्धारण : ₹ 43.03 लाख।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) ने टैरिफ आदेश, 2011–12 (01 मई 2011 से प्रभावी) द्वारा प्रावधानित किया कि उच्च विभव सेवाएँ (एच0टी0एस0) उपभोक्ताओं की ट्रान्सफॉर्मर क्षमता उनकी संविदा माँग के 150 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और यदि कोई उपभोक्ता अपनी संविदा माँग के अनुरूप अनुमत्य क्षमता से अधिक क्षमता वाले ट्रान्सफॉर्मर का उपयोग करते पाया जाता है तो यह मामला कदाचार के अन्तर्गत आएगा। साथ ही बिहार विद्युत आपूर्ति कोड, 2007 (कोड), 2010 में यथा संशोधित, के अनुसार अनाधिकृत प्रयोग/बिजली की चोरी की स्थिति में सूत्रानुसार[14] विद्युत शुल्क की गणना की जाएगी, जिसमें एच0टी00एस0 उपभोक्ता के लिए सम्बद्ध भार किलोवाट (कि0वा0) में होगाः

- संविदा माँग, अथवा
- निरीक्षण/छापे के दौरान पाया गया वास्तविक माँग के0भी0ए0 में, अथवा
- अनुमत्य ट्रान्सफॉर्मर क्षमता का अस्सी *प्रतिशत*, जो भी अधिक हो * 0.90 (पी0एफ0[15])।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी)[16] की विद्युत आपूर्ति अंचल, मुंगेर के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2014) में उद्घाटित हुआ कि मंडल विद्युत अभियंता, पूर्व मध्य रेलवे, दानापुर (उपभोक्ता सं0–एलएस–58), 267 किलो वोल्ट एम्पीयर (के0भी0ए0) की संविदा माँग वाला एक एच0टी0एस0–1 उपभोक्ता, के परिसर का संयुक्त निरीक्षण कम्पनी अधिकारियों द्वारा 16.11.2011 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण में, कथित उपभोक्ता 400 के0भी0ए0 क्षमता के अनुमत्य ट्रान्सफॉर्मर क्षमता के विरुद्ध 880 के0भी0ए0 क्षमता का ट्रान्सफॉर्मर, प्रयोग करता हुआ पाया गया। तद्नुसार, कम्पनी (तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड) द्वारा उपभोक्ता को विद्युत के अनाधिकृत प्रयोग के लिए दाण्डिक शुल्क के रूप में ₹ 1.37 करोड़ का औपबंधिक विपत्र निर्गत

[14] यू = एल*एफ*डी*एच, जहाँ यू = उर्जा की मात्रा इकाई में निर्धारित, एल = सम्बद्ध भार के0डब्ल्यू0 में जोकि निरीक्षण/छापे के समय स्थल पर पायी गयी, एफ = लोड फैक्टर लागू सेवा की श्रेणी के अनुसार, डी = दिनों की संख्या जिसमें विद्युत का अनधिकृत प्रयोग किया जा रहा था। यदि दिनों का निर्धारण संभव न हो तो यह अवधि 12 महीने तक सीमित होगी यानि 365 दिन एवं एच = प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति के औसत घंटो की संख्या।

[15] पी0एफ0 का आशय उर्जा क्षमता से है और यह लोड को वास्तविक प्रवाहित उर्जा और परिपथ में उपलब्ध वास्तविक उर्जा का अनुपात है।

[16] तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड।

(फरवरी 2011) किया जिसे उपभोक्ता को निर्गत अंतिम निर्धारण आदेश में बरकरार रखा गया (अप्रैल 2011)।

हमने प्रेक्षित किया कि कम्पनी ने टैरिफ आदेश के प्रावधानों और कोड के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 587 के0भी0ए0[17] के प्रभार्य संविदा माँग के विरुद्ध 469.3 के0भी0ए0[18] की संविदा माँग के आधार पर दण्डात्मक शुल्क की गणना की। इसके फलस्वरूप दण्डात्मक शुल्क का ₹ 43.03[19] लाख से अल्प–निर्धारण हुआ।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2014) कि उपभोक्ता को ₹ 1.77 करोड़ का दण्डात्मक विपत्र दिया गया है। जवाब स्वीकार्य नहीं है चूँकि उपभोक्ता को मात्र ₹ 1.37 करोड़ का दाण्डिक विपत्र दिया गया है जिसका उल्लेख कंडिका में पहले ही किया जा चुका है। अन्य दोनों राशियाँ वस्तुतः ₹ 29.67 लाख और ₹ 10.94 लाख कम्पनी द्वारा वसूलनीय बकाया विपत्र और विलम्बित भुगतान सरचार्ज से संबंधित है और यह दण्डात्मक विपत्र के अन्तर्गत नहीं आता है। इस प्रकार ₹ 43.03 लाख का दण्डात्मक शुल्क अभी भी अल्प–निर्धारित है।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा टैरिफ आदेश एवं बिजली आपूर्ति कोड, 2007 के प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने के फलस्वरूप कथित एच0टी0एस0 उपभोक्ता हेतु दाण्डिक शुल्क का ₹ 43.03 लाख से अल्प–निर्धारण हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित (अप्रैल 2014) किया गया; जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

4.4 दाण्डिक शुल्क का अल्प–निर्धारण

कम्पनी द्वारा विद्युत आपूर्ति कोड, 2007 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के फलस्वरूप ₹ 35.63 लाख से दाण्डिक शुल्क का अल्प–निर्धारण एवं एच0टी0एस0 उपभोक्ता को अनुचित लाभ का विस्तार।

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 135 (1)(क) प्रावधान करती है कि, जो कोई भी बेईमानी से ऊपरी, भूमिगत या पानी के भीतर की लाइनों अथवा केबल, या सेवा के तार, या एक लाइसेंसधारी[20] अथवा आपूर्तिकर्ता की सेवा व्यवस्था से टेप, या किसी अन्य प्रकार से विद्युत सम्बन्धन द्वारा विद्युत के निष्कर्षण या उपभोग या प्रयोग करता है तो यह दण्डनीय होगा जिसके लिए तीन साल तक की कारावास अथवा अर्थदण्ड अथवा दोनों हो सकता है। साथ ही, अन्य बातों के साथ, बिहार विद्युत आपूर्ति कोड, 2007 (बि0ई0एस0सी0), 2010 में यथा संशोधित, की उप–वाक्य 11.1 (ख) (i) तथा 11.2.3 (ख) (i) के अनुसार अनधिकृत प्रयोग/बिजली की चोरी की स्थिति में विद्युत शुल्क की गणना सूत्र यू= एल*एफ*डी*एच[21] के अनुसार की जाएगी। इसके

[17] 587 के0भी0ए0 = 880 के0भी0ए0 * 2/3 ।

[18] 469.3 के0भी0ए0 = 880 के0भी0ए0 * 2/3 * 80 *प्रतिशत*।

[19] अर्थात टैरिफ आदेश और कोड के अनुसार प्रभार्य दाण्डिक शुल्क–विपत्रीकृत राशि = ₹ 179.88 लाख – ₹ 136.85 लाख = ₹ 43.03 लाख।

[20] लाइसेंसधारी का आशय भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति के लिए लाइसेंस प्राप्त कोई भी व्यक्ति जिसमें कम्पनी एवं स्थानीय प्राधिकरण शामिल है।

[21] यू = उर्जा की मात्रा इकाई में निर्धारित,
एल = सम्बद्ध भार के0डब्ल्यू0 में जो कि निरीक्षण/छापे के समय स्थल पर पायी गयी,
एफ = प्रभार्य सेवा की श्रेणी के अनुसार लोड फैक्टर,
डी = दिनों की संख्या जिसमें विद्युत का अनधिकृत प्रयोग किया जा रहा था, एवं
एच = प्रतिदिन उपलब्ध कराये गये विद्युत आपूर्ति के औसत घंटों की संख्या।

अतिरिक्त, आपूर्ति कोड यह भी प्रावधान करती है कि बिजली की चोरी की स्थिति में, विद्युत शुल्क की गणना में लोड फैक्टर 1 (100%) के बराबर लिया जाएगा, जैसा कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 135 (1) (क) में परिभाषित है।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के विद्युत आपूर्ति अंचल, मुजफ्फरपुर, के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2013) से उद्घाटित हुआ कि :

- कम्पनी द्वारा मेसर्स राज आटा चक्की, जो एक उच्च विभव सेवा (एच0टी0एस0) उपभोक्ता है, के परिसर का 20 दिसम्बर 2012 को निरीक्षण किया गया और यह पाया गया कि एच0टी0एस0 उपभोक्ता बेईमानी से 11 किलो वोल्ट ओवरहेड लाइन में टैपिंग कर बिजली का लाभ उठा रहा था, जो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 135 (1)(क) के तहत यथा परिभाषित चोरी, के दायरे में आता है।

- कम्पनी द्वारा औपबंधिक निर्धारण आदेश में उपभोक्ता पर ₹ 49.28 लाख का दाण्डिक शुल्क लगाया गया (दिसम्बर 2012) जिसे जनवरी 2013 में निर्गत अंतिम निर्धारण आदेश में भी बरकरार रखा गया।

- कम्पनी द्वारा उपर्युक्त वर्णित सूत्रानुसार दाण्डिक शुल्क के निर्धारण के लिए लोड फैक्टर अर्थात् एफ, अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट 1 के विरूद्ध, 0.75 माना गया।

- इस प्रकार प्रभार्य दण्डात्मक शुल्क के रूप में ₹ 84.91 लाख की गणना होती है। तथापि, उल्लेखित उपभोक्ता पर ₹ 49.28 लाख की राशि ही दण्ड के रूप में भारित किया गया था। इसके कारण उपभोक्ता को ₹ 35.63 लाख[22] के अनुचित लाभ का विस्तार मिला।

 प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2014) कि ₹ 35.63 लाख की आपत्तिजनक राशि उपभोक्ता के अगस्त 2014 महीने के विपत्र में भारित कर दिया गया है। तथापि तथ्य यही है कि कथित राशि की वसूली आज की तिथि (अक्टूबर 2014) तक होनी शेष है।

 अतः कम्पनी द्वारा विद्युत आपूर्ति कोड, 2007 के प्रावधानों के अनुपालन न केवल दण्डात्मक शुल्क के अल्प–निर्धारण में परिणत हुआ बल्कि इससे उपभोक्ता को ₹ 35.63 लाख का अनुचित लाभ विस्तार भी हुआ।

 मामला सरकार को प्रतिवेदित (जून 2014) किया गया; जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड

4.5 आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ

निविदा के निष्पादन में अनियमितता के फलस्वरूप ₹ 1.28 करोड़ मूल्य के निम्न गुणवत्ता वाले पॉली कारबोनेट सील बिट की अधिप्राप्ति एवं कम्पनी द्वारा आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ का विस्तार मिला।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी0ई0ए0) (स्थापना एवं मीटर का परिचालन) नियमन, 2006 का उप–वाक्य 12, अन्य बातों के साथ, उल्लेख करता है कि केवल पेटेंट सीलों (सील जिसके निर्माण के लिए निर्माता के पास सरकारी अधिकार है) का इस्तेमाल उर्जा मीटरों को सील करने हेतु किया जाएगा। तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड

[22] ₹ 84.91 लाख– ₹ 49.28 लाख = ₹ 35.63 लाख।

(बि0एस0ई0बी0) [सम्प्रति, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी)] ने 20 लाख पेटेंट पॉली कार्बोनेट पारदर्शी सील बिट के साथ उर्जा मीटर सील के लिए उपयुक्त स्टेनलेस स्टील तारों मुहर और सील कोड नम्बर सहित कोडित मोनोग्राम सीरियल नम्बर की आपूर्ति के लिए मुहरबंद निविदा निविदा–सूचना (एनआईटी[23]) (दिसम्बर 2011) द्वारा आमंत्रित की । कथित एन0आई0टी0 की तकनीकी विशिष्टताओं की कंडिका 2.2 उल्लेख करता है कि निर्माता के पास अनिवार्यतः सील निर्माण के लिए पेटेंट अधिकार होगा और अपनी निविदा के साथ इस समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त, एन0आई0टी0 की सामान्य शर्तों की उप–वाक्य 12 निर्दिष्ट करता है कि निर्मित पेटेंट सील बिट का नमूना, बोलीदाता की लागत पर, परीक्षण[24] हेतु नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलीब्रेशन लैबोरेटरी (एन0ए0बी0एल0) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रयोगशाला में भेजा जाएगा और इस संदर्भ में निर्गत परीक्षण प्रतिवेदन भी बोलियों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

कम्पनी की भण्डार एवं क्रय शाखा के अभिलेखों (नवम्बर 2013) की जाँच से उद्घाटित हुआ कि :

- उपर्युक्त वर्णित एन0आई0टी0 के विरुद्ध चार बोलीदाताओं[25] (जनवरी 2012) ने अपनी बोली प्रस्तुत की। जनवरी 2012 में निविदा का तकनीकी भाग खोला गया था। तथापि, उनमें से कोई भी बोलीदाता पेटेंट पॉली कार्बोनेट सील बिट की क्रय हेतु उपयुक्त और स्वीकार्य नहीं पाया गया था क्योंकि उनमें से किसी के भी पास सील बिट के निर्माण के लिए एक वैध पेटेंट नहीं था। तथापि, तकनीकी समिति[26] ने सभी बोलीदाताओं से उनके वैध पेटेंट अधिकार के समर्थन में अग्रेतर स्पष्टीकरण/आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध (फरवरी 2012) किया ।

- बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त दस्तावेजों की जाँच के उपरान्त, कम्पनी ने, मेसर्स सिक्योर सील्स इंडिया (प्राईवेट) लिमिटेड (आपूर्तिकर्ता) को एक वैध पेटेंट धारक मानते हुए 20 लाख पेटेंट पॉली कार्बोनेट सील बिट की आपूर्ति हेतु ₹ 6.49 प्रति स्थलीय की दर पर ₹ 1.28 करोड़ का एक क्रयादेश दिया (अप्रैल 2012)।

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षण किया कि :

- आपूर्तिकर्ता के पास पॉली कार्बोनेट सील निर्माण करने हेतु पेटेंट का अधिकार नहीं था और उसने मेसर्स ई0जे0 ब्रूक्स (इंडिया), आईएनसी के साथ मेसर्स ई0जे0 ब्रूक्स, न्यू जर्सी, अमेरिका की नियमों और लाइसेंस की शर्तों के अनुसार सील और सील उपकरणों के निर्माण और विपणन के लिए एक संयुक्त उद्यम अनुबन्ध किया था (अक्टूबर 2003)।

- कम्पनी अप्रैल 2012 में क्रय आदेश जारी करने से पहले आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत पेटेंट दस्तावेज/असाइनमेंट/संयुक्त उद्यम अनुबन्ध की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने में विफल रहा जो उपर्युक्त वर्णित एन0आई0टी0 की शर्तो के अनुसार, निर्माता के साथ–साथ उत्पाद के चयन हेतु आवश्यक और निर्णायक था।

[23] एन0आई0टी0 सं0: 206/पी0आर0/बी0एस0ई0बी0/2011 दिनांक 30 दिसम्बर 2011।

[24] आधार पॉलीमर की पहचान, खौलते पानी में परीक्षण, सील वायर टेस्ट, विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण परीक्षण, रसायनिक परीक्षण, ताप प्रतिरोध परीक्षण प्रतिवेदन, गलनांक बिन्दु, परा बैंगनी प्रतिरोध परीक्षण।

[25] मेसर्स सैफकॉन सील्स प्राईवेट लिमिटेड (कोलकाता), मेसर्स सिक्योर सील्स इंडिया (प्राईवेट) लिमिटेड (मुम्बई), मेसर्स मनोज सील्स एण्ड लॉक्स, महाराष्ट्र, तथा मेसर्स पावर सेंटर, पटना।

[26] विद्युत अधीक्षण अभियंता (क्रय), विद्युत अधीक्षण अभियंता (एस एण्ड आई) एवं विद्युत कार्यपालक अभियंता (क्रय) सम्मिलित।

- पेटेंट और डिजाइन के सहायक नियंत्रक ने कम्पनी को सूचित किया था (मई 2012) कि आपूर्तिकर्ता के पास पॉली कार्बोनेट सील निर्माण हेतु एक पेटेंट का अधिकार नहीं था। इसके अलावा, मेसर्स ई0जे0 ब्रूक्स कम्पनी (प्रदाता) और मेसर्स सिक्योर सील्स इंडिया (प्राईवेट) लिमिटेड के बीच कोई असाइनमेंट/लाइसेंस अनुबन्ध पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार के पास पंजीकरण हेतु दायर नहीं किया गया था। इसके बावजूद कम्पनी आपूर्तिकर्ता के साथ संविदा रद्द करने में विफल रहा और आपूर्ति की प्राप्ति को बहाल रखा।

- कम्पनी, ने क्रयादेश के उल्लंघन में, आपूर्ति की गई सील बिट की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में विफल रहा क्योंकि दो लाख सील बिट के पहले खेप का रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकोनॉमिक सर्विसेज (राइट्स) द्वारा प्रेषण पूर्व परीक्षण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, छः लाख सील बिट के दूसरे खेप का अल्ट्रा वायलेट प्रतिरोध (यू0वी0) परीक्षण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, 12 लाख सील बिट की तीसरी खेप यू0वी0 परीक्षण में विफल रहा है।

 यह न केवल निविदाओं को अंतिम रूप देने में बल्कि क्रय किये गये सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का द्योतक था। इसके फलस्वरूप, कम्पनी आपूर्तिकर्ता से निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री प्राप्त किया जिसके कारण, आपूर्तिकर्ता को ₹ 1.28 करोड़ के अनुचित लाभ का विस्तार हुआ।

 प्रबंधन ने जवाब दिया (सितम्बर 2014) कि आपूर्तिकर्ता ने सील बिट के निर्माण के लिए पेटेंट अधिकार, जो मेसर्स ई0जे0 ब्रूक्स (पेटेंट धारक) द्वारा दिया गया था, के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। बोर्ड के हित में गैर सेवा कनेक्शन देने और अमीटरीकृत उपभोक्ताओं को मीटरीकृत करने में विलम्ब से बचने के लिए बोर्ड अधिकारियों द्वारा दो लाख सील बिट का परीक्षण किया गया था। प्रबंधन ने आगे कहा कि यू0वी0 परीक्षण विद्युत अनुसंधान एवं विकास संगठन (इरडा) द्वारा किया गया था और संतोषजनक पाया गया था।

 प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 69 (1), अन्य बातों के साथ, यह प्रावधान करती है कि असाइनमेंट, विस्तार और पेटेंट के निरस्तीकरण की अधिसूचना पंजीकृत होना चाहिए जबकि पेटेंट एवं डिजाइन के सहायक नियंत्रक ने सूचित किया था (मई 2012) कि मेसर्स ई0जे0 ब्रूक्स कम्पनी और मेसर्स सिक्योर सील्स इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड के बीच कथित पेटेंट का कोई असाइनमेंट/लाइसेंस अनुबन्ध पंजीकरण हेतु दायर नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, दो लाख सील बिट के संबंध में सील बिट् राइट्स द्वारा आवश्यक 8 परीक्षण के स्थान पर गर्म पानी में परीक्षण किया गया। यू0वी0 परीक्षण के संबंध में, यह सील बिट के क्रमांक 1200001–1200010 के संबंध में इरडा रिर्पोट (अगस्त 2012) में विफल रहा है।

 इस प्रकार, निविदा के निष्पादन में अनियमितता के फलस्वरूप ₹ 1.28 करोड़ के निम्न गुणवत्ता वाली सील बिट की अधिप्राप्ति हुई और परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ का विस्तार मिला।

 मामला सरकार को प्रतिवेदित (जून 2014) किया गया; जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

4.6 आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ

त्रुटिपूर्ण क्रय नियोजन एवं कम्पनी द्वारा अपने वित्तीय हितों की रक्षा में विफलता के कारण न केवल आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ मिला बल्कि ₹ 1.19 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय में भी परिणत हुआ।

तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बी0एस0ई0बी0) [सम्प्रति, बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी)], निर्गत की गई निविदा आमंत्रण सूचना (एन0आई0टी0) की सामान्य शर्तें, अन्य बातों के साथ, यह निर्दिष्ट करती थी कि यदि किसी निविदाकार को एक आदेश दिया जाता है तो निविदाकार को आदेशित मात्रा के अतिरिक्त 30 फीसदी की आपूर्ति उन्हीं, नियम एवं शर्तो पर करनी होगी, यदि बोर्ड/कम्पनी द्वारा विस्तारित आदेश निविदाकार स्वीकृति/आदेश की तिथि से बारह महीनों के अन्तर्गत दिया जाता है।

कम्पनी के अभिलेखों की जाँच से उद्घाटित हुआ किः–

- कम्पनी ने 3500 किलोमीटर (कि0मी0) एल्यूमिनियम कंडक्टर इस्पात प्रबलित (ए0सी0एस0आर0) रैबिट कंडक्टर, 4000 किलोमीटर ए0सी0एस0आर0 वीसल कंडक्टर एवं 1000 किलोमीटर ए0सी0एस0आर0 डॉग कंडक्टर की क्रय हेतु तीन एन0आई0टी0[27] आमंत्रित की (जनवरी 2012)। इन एन0आई0टी0 के विरुद्ध, बोर्ड ने मेसर्स बालाजी इंटरप्राइजेज (आपूर्तिकर्ता) को उपर्युक्त वर्णित सामग्रियों की आपूर्ति हेतु क्रमशः प्रति कि0मी0 ₹ 30,671.98, ₹ 17,498.95 और ₹ 60,556.81 की दर पर तीन क्रय आदेश[28] दिया (जून 2012 से सितम्बर 2012)।

- कम्पनी ने पुनः 6000 कि0मी0 ए0सी0एस0आर0 रैबिट कंडक्टर, 4000 कि0मी0 ए0सी0एस0आर0 वीसल कंडक्टर तथा 2000 कि0मी0 ए0सी0एस0आर0 डॉग कंडक्टर की क्रय हेतु तीन एन0आई0टी0[29] आमंत्रित की (नवम्बर 2012) जो कि पिछले क्रय आदेश के आधार पर दुबारा क्रय आदेश/विस्तारण आदेश देने की समय सीमा के अन्तर्गत था। इन एन0आई0टी0 के विरुद्ध क्रय आदेश अप्रैल 2013 में दिया गया था। इसके विरुद्ध बोर्ड ने उसी आपूर्तिकर्ता को 6000 कि0मी0 ए0सी0एस0आर0 रैबिट कंडक्टर, 4000 कि0मी0 ए0सी0एस0आर0 वीसल कंडक्टर और 2000 कि0मी0 ए0सी0एस0आर0 डॉग कंडक्टर की क्रय हेतु क्रमशः प्रति कि0मी0 ₹ 35,775.42, ₹ 20,712.27 और ₹ 69,464.15 की दर पर क्रय आदेश अप्रैल 2013 में दिया।

हमलोगों ने अग्रेतर प्रेक्षित किया कि :

- कम्पनी उपर्युक्त वर्णित एन0आई0टी0 के सामान्य नियम और शर्तो के अनुपालन में विफल रहा।

- कम्पनी ने जब पाया कि नई निविदा में दरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो पिछले क्रय आदेश के आधार पर विस्तार आदेश का सहारा दुबारा क्रय आदेश देने में लिया जाना चाहिए था अैर नए एन0आई0टी0 के तहत् इस क्रय हेतु सामग्रियों की मात्रा का 30 प्रतिशत क्रय किया जाना चाहिए था। तथापि, कम्पनी ने उपरोक्त सामग्रियों की क्रय

[27] एन0आई0टी0संख्या–01/पी0आर0/बी0एस0ई0बी0/2012,02/पी0आर0/बी0एस0ई0बी0/2012 एवं 03/ पी0आर0/बी0एस0ई0बी0/2012।

[28] क्रय आदेश सं0– 40 दिनांक 03.09.2012, क्रय आदेश सं0– 36 दिनांक 20.07.2012 एवं क्रय आदेश सं0– 29 दिनांक 26.06.2012।

[29] एन0आई0टी0 सं0–145/पी0आर0/बी0एस0पी0एस0सी0एल0/2012, 146/पी0आर0/बी0एस0पी0एस0सी0एल0/2012 और 147/ पी0आर0 /बी0एस0पी0एस0सी0एल0/2012।

हेतु उसी आपूर्तिकर्ता को अप्रैल 2013 में तीन नये क्रय आदेश प्रति कि0मी0 ₹ 35,775.42, ₹ 20,712.27 और ₹ 69,464.15 की स्थलीय दर पर दिया।

- उपर्युक्त वर्णित नई निविदा की 30 प्रतिशत मात्रा का क्रय एवं दुबारा क्रय आदेश/विस्तारन आदेश के प्रावधान के उल्लंघन के फलस्वरूप न केवल उपभोक्ता को अनुचित लाभ मिला बल्कि ₹ 1.19 करोड़ (***परिशिष्ट–4.2*** के अनुसार) के अत्यधिक व्यय में परिणत हुआ जो परिहार्य था।

इस प्रकार, त्रुटिपूर्ण क्रय नियोजन एवं कम्पनी द्वारा अपनी वित्तीय हितों की रक्षा में विफलता के कारण न केवल आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ मिला बल्कि यह ₹ 1.19 करोड़ के परिहार्य अतिरिक्त व्यय में भी परिणत हुआ।

कम्पनी ने जवाब (सितम्बर 2014) दिया कि पुराने एन0आई0टी0 के अन्तर्गत माल की तत्काल आपूर्ति की आवश्यकता नहीं थी एवं नई एन0आई0टी0 भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, आपूर्तिकर्ता पुराने एन0आई0टी0 के तहत् विस्तारित क्रयादेश के लिए रुचि नहीं प्रकट कर रहा था और यदि उससे सहमति प्राप्त किए बिना सामग्रियों की आपूर्ति हेतु विस्तारित आदेश आपूर्तिकर्ता को दिया गया होता, तो उपर्युक्त वर्णित सामग्री की आपूर्ति असंभव हो जाता।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि आपूर्तिकर्ता, निविदाकार द्वारा स्वीकृति/आदेश की तिथि से बारह महीनों के अर्न्तगत दुबारा क्रय आदेश देने की स्थिति में सामग्रियों की आपूर्ति हेतु बाध्य था। कम्पनी ने आपूर्तिकर्ता से दुबारा क्रय आदेश पर सहमति प्राप्त किए बिना यह मान लिया कि आपूर्तिकर्ता दुबारा क्रय आदेश को स्वीकार नहीं करेगा।

मामला सरकार को प्रतिवेदित (जनवरी 2014) किया गया; जवाब प्रतीक्षित (नवम्बर 2014) था।

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

4.7 परामर्शी को अनुचित पक्ष

त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं मास्टर सेवा अनुबन्ध (एम0एस0ए0) के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी की विफलता परामर्शी को ₹ 3.56 करोड़ के अनियमित भुगतान में परिणत हुआ। इसके अतिरिक्त, परामर्शी को अनुचित लाभ का विस्तार फलित हुआ।

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी), बिहार सरकार द्वारा स्थापित (2009) की गयी, एक कम्पनी है जो बिहार राज्य में शहरी आधारभूत परियोजनाओं जैसे भवनों, सड़कों, पार्को, राजमार्गों, सड़क, पीने का पानी, स्वच्छता, सीवरेज प्रणाली इत्यादि के निर्माण एवं उसमें तेजी लाने का कार्य करती हैं। कम्पनी द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाओं (***परिशिष्ट–4.3***) के लिए एकीकृत योजना प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने हेतु बाधा–क्रिटिकल चेन परियोजना प्रबंधन सिद्धांत (टी0ओ0सी0–सी0सी0पी0एम0[30]) के अंतर्गत परामर्शी की सेवाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से एक खुली निविदा आमंत्रित किया (जनवरी 2012)। दो फर्मों[31] ने निविदा में

[30] टी0ओ0सी0– सी0सी0पी0एम0 विचारों, सिद्धांतों एवं उपकरणों का एक समूह है जो कि डा0 इलियास गोल्डरॉट द्वारा बनाया गया जिसमें समय प्रबंधन, बफर और कार्यो को प्रणालीबद्ध तरीके से बाधाओं को परिभाषित कर दूर करने की एक परियोजना योजना के तहत् करने की प्राथमिकता तय करना है।

[31] (i) मेसर्स वेक्टर मैनेजमेंट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, थाने और (ii) मेसर्स रिअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, पुणे।

भाग लिया और निविदाकर्ताओं[32] द्वारा प्रस्तुत तकनीकी और वित्तीय निविदा के मूल्यांकन के आधार पर, मेसर्स रिअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उद्धृत दर सबसे निम्न यानी एल0 1 दर पाया गया। कम्पनी द्वारा परामर्शी को एक स्वीकृति पत्र (एल0ओ0ए0) निर्गत किया गया (मार्च 2012)। एल0ओ0ए0 में निर्धारित शर्तों के अनुसार, एल0ओ0ए0 जारी होने की तिथि से सात दिनों के भीतर परामर्शी द्वारा अनुबन्ध किया जाना था, परियोजना पर कर्मियों को तत्काल तैनात किया जाना था तथा प्रत्येक परियोजना हेतु परियोजना लागत का 0.25 प्रतिशत की दर से बैंक गारंटी के रूप में निष्पादन प्रतिभूति जमा किया जाना था। 15 परियोजनाओं, जिसकी अनुमानित लागत ₹ 1201.57 करोड़ थी के सम्बन्ध में कम्पनी और परामर्शी के मध्य मास्टर सेवा अनुबन्ध (एम0एस0ए0) के रूप में एक अनुबन्ध किया गया (16 जुलाई 2012)। एम0एस0ए0, में अन्य बातों के साथ, यह प्रावधानित करता था कि: (i) अनुबन्ध एम0एस0ए0 के पक्षकारों को समय–समय पर अलग–अलग कार्य आदेश निर्गत किये जायेंगे, (ii) परामर्शी प्रत्येक परियोजना के लिए परियोजना लागत का 0.25 प्रतिशत की दर से बैंक गारंटी के रूप में निष्पादन प्रतिभूति जमा करेगा, और (iii) योजना के सफलपूर्वक कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु परामर्शी को योजना, परियोजना/कार्यक्रम के विकास, योजना परियोजनाओं/योजना का अनुश्रवण तथा चयनित संवेदकों का आवश्यक परीक्षण एवं दिशा–निर्देश प्रदान करना था और (iv) अनुसूची डी के प्रावधानों के अनुसार ₹ 16.55 लाख एवं सेवा कर का मासिक भुगतान परामर्शी को उनकी सेवाओं हेतु करना था। इसके अतिरिक्त, एम0एस0ए0 की अनुसूची डी, अन्य बातों के साथ यह प्रावधानित करती है कि परामर्शी कम्पनी में तैनात किये जा रहे कर्मियों का जीवनवृत्त, फोटो और विवरण प्रदान करेगा।

कम्पनी के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि:

- एम0एस0ए0 ने स्पष्ट तौर पर परामर्शी की भूमिका दायित्वों एवं जिम्मेवारियों को परिभाषित नहीं किया था और सभी स्वभाविक रूप से व्यापक था।
- परामर्शी ने न तो आवश्यक निष्पादन प्रतिभूति के रूप में शर्त रहित बैंक गारंटी जमा किया और न ही स्थल पर परियोजनावार या कॉरपोरेट कार्यालय में तैनात किये गए अभियन्ताओं और/या कर्मियों की सूची कम्पनी को समर्पित की।
- कम्पनी ने एल0ओ0ए0 के निर्गत होने के एक वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत परामर्शी को तत्काल बैंक गारंटी जमा करने एवं परियोजनाओं पर कर्मियों की तैनाती के लिए व्यवस्था करने के लिए अनुरोध (अप्रैल 2013) किया। कम्पनी के अनुरोध के प्रत्युत्तर में परमर्शी ने ₹ तीन करोड़ मूल्य के 15 सशर्त[33] बैंक गारंटी और अप्रैल 2012 से मई 2013 की अवधि के दौरान विभिन्न परियोजनाओं में तैनात कर्मियों की सूची, कम्पनी के महाप्रबन्धक (तकनीकी) से इस अवधि के दौरान कम्पनी में इस वर्णित सूची में उल्लेखित कर्मियों की तैनाती की पुष्टि करने के अनुरोध के साथ, सौंपी (मई 2013)।
- कम्पनी के महाप्रबन्धक (तकनीकी) ने सभी परियोजना निदेशकों को परामर्शी के साथ कार्यादेश पूर्ण करने का निर्देश (जून 2013) दिया और तद्नुसार एम0एस0ए0 पर हस्ताक्षर होने की तिथि से दस महीने व्ययीत हो जाने के उपरांत अर्थात् जुलाई 2012 में कार्यादेश निर्गत किया गया।

[32] मेसर्स रिअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ₹ 16.55 लाख/महीना एवं सेवा कर और मेसर्स वेक्टर मैनेजमेंट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ₹ 49.00 लाख/महीना एवं सेवा कर।

[33] इस शर्त के तहत् कि कम्पनी एम0एस0ए0 के तहत् ₹ 2.50 करोड़ की राशि परामर्शी के खाते में 104 दिनों के भीतर जमा करेगी जिसमें विफल रहने पर बैंक गारण्टी रद्द मानी जाएगी।

- परामर्शी द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी, कम्पनी द्वारा परामर्शी के खाते में 31 अगस्त 2013 तक ₹ 2.50 करोड़ जमा नहीं करने के कारण बैंक द्वारा सितम्बर 2013 में रद्द कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2012 से मई 2013 की अवधि के दौरान तैनात कर्मियों की सूची, न तो कम्पनी के महाप्रबंधक (तकनीकी) द्वारा और न ही कम्पनी के परियोजना निदेशक एवं कम्पनी के प्रबंधक, वित्त द्वारा पुष्टि की गई। अप्रैल 2012 से अक्टूबर 2013 की अवधि हेतु कम्पनी के विभिन्न परियोजनाओं में तैनात कर्मियों के लिए ₹ 3.56 करोड़ (करों एवं शतता सहित) का कुल भुगतान[34] परमर्शी को किया गया।

 हमलोगों ने अग्रेतर प्रेक्षित किया किः

- अनुबन्ध में त्रुटियाँ थीं जैसे कि अनुबन्ध में जोखिम एवं लागत उपवाक्यों को सम्मिलित नहीं किया गया था, परमर्शी का भुगतान परामर्शी के प्रदर्शन और परियोजनाओं की प्रगति के साथ सम्बन्धित नहीं था, कम्पनी द्वारा पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का प्रावधान अनुबन्ध में शामिल नहीं किया गया था।

- अप्रैल 2012 से मई 2013 की अवधि के लिए परामर्शी को भुगतान, एम0एस0ए0 के तहत्, विभिन्न परियोजनाओं के कार्यो के निष्पादन सुनिश्चित किए बिना किया गया था।

- यद्यपि अगस्त 2013 से अक्टूबर 2013 तक की अवधि के लिए तैनात कर्मियों का उपस्थिति पत्रक कम्पनी को उपलब्ध कराया गया था, तथापि वह किसी भी स्तर पर कम्पनी द्वारा प्रमाणीकृत नहीं किया गया था।

- अक्टूबर 2013 में, जब परामर्शी ने कार्य परित्याग कर दिया था, एम0एस0ए0 के तहत् आने वाले सभी 15 परियोजनाएँ अधूरे थे।

 कम्पनी ने उत्तर दिया (जुलाई 2014) कि परामर्शी की नियुक्ति एवं परियोजनाओं के प्रबन्धन हेतु क्रिटिकल–चेन आधारित प्रणाली अपनाने से कम्पनी विशेष रूप से लाभान्वित हुई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूँकि कम्पनी परामर्शी के कर्मियों द्वारा दिन प्रतिदिन निष्पादित काम के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, नियुक्ति प्राधिकारी होने के कारण कम्पनी कार्यो के लिए भुगतान करने के पूर्व, परामर्शी द्वारा तैनात कर्मियों की तैनाती एवं उनके द्वारा निष्पादित कार्यो की प्रगति सुनिश्चित करने हेतु पूर्णरूपेण उत्तरदायी था।

 इस प्रकार, कम्पनी में विद्यमान त्रुटिपूर्ण आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली तथा एम0एस0ए0 के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप न केवल परामर्शी को ₹ 3.56 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ बल्कि परामर्शी को अनुचित लाभ विस्तार में परिणत हुआ। इसके अतिरिक्त, एम0एस0ए0 के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं की पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु टी0ओ0सी0–सी0सी0पी0एम0 के अर्न्तगत परामर्शी की नियुक्ति का निहित उद्देश्य भी विफल हो गया।

 मामला सरकार को प्रतिवेदित (अगस्त 2014 से) किया गया; जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

[34] जुलाई 2013 से नवम्बर 2013 की अवधि में भुगतान किया गया।

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

4.8 टी0डी0एस0 की वापसी का दावा न करने के मद में कम्पनी को हानि

त्रुटिपूर्ण आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली एवं कम्पनी द्वारा वित्तीय हितों की अनदेखी करने के फलस्वरूप टी0डी0एस0 की वापसी का दावा न करने के कारण कम्पनी को ₹ 7.33 करोड़ की हानि हुई।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 194 क, अन्य बातों के साथ, यह प्रावधानित करती है कि सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज, बैंको द्वारा स्त्रोत पर आयकर कटौती (टी0डी0एस0) के अधीन है। बैंक, इस प्रकार कटौती किये गये कर की राशि आयकर विभाग को जमा करती है और अधिनियम की धारा 203 में वर्णित तरीके से अदाकर्त्ता बैंक करदाता संगठन को एक प्रमाण–पत्र प्रदान करेगी। टी0डी0एस0 की वापसी हेतु, जहाँ भुगतेय कर राशि शून्य है अथवा जहाँ शून्य या कम कर दायित्व है, करदाता को आयकर रिर्टन दो वर्ष के अन्दर दाखिल कर दावा प्रस्तुत करना होगा।

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2014) से पता चला कि :

- कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2008–09, 2009–10 और 2010–11 के दौरान क्रमशः ₹ 305 करोड़, ₹ 377 करोड़ और ₹ 347 करोड़ की राशि छः[35] बैंकों में सावधि जमा के रूप में जमा की थी।
- बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान कम्पनी की जमाराशियों पर अर्जित ब्याज पर ₹ 7.33[36] करोड़ की राशि टी0डी0एस0 के रूप में कटौती की।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि:

- कम्पनी उपर्युक्त वर्णित वित्तीय वर्षो के लिए बैंकों से टी0डी0एस0 प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु ससमय कार्रवाई करने में विफल रहा। इस प्रकार, कम्पनी को बैंकों द्वारा स्त्रोत पर कर कटौती की राशि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जो कि बैंकों द्वारा आय स्त्रोत पर की गई कटौती की ससमय सूचना की प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु प्रभावकारी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अभाव को इंगित करता है।
- यद्यपि कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2008–09 और 2010–11 के लिए आयकर रिटर्न (आई0टी0आर0) दायर किया था, तथापि उसने कथित आई0टी0आर0 में टी0डी0एस0 की वापसी हेतु दावा नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु आयकर विभाग से बैंकों द्वारा स्रोत पर कर कटौती के सम्बन्ध में धन की वापसी के दावा करने हेतु दो साल की निर्धारित समय सीमा के भीतर, आई0टी0आर0 दायर करने में विफल रहा। इस कारण इस राशि के कालातीत एवं अप्राप्त होने के मद में कम्पनी ने वर्ष 2012–13 हेतु अपने खातों से कुल ₹ 7.33 करोड़ की टी0डी0एस0 राशि को अपलिखित कर दिया था।

[35] स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (एस0बी0आई0), विश्वैश्वरैया भवन, पटना; एस0बी0आई0, शेखपुरा, पटना; एस0बी0आई0, हाईकोर्ट परिसर, पटना; इलाहाबाद बैंक, खाजपुरा, पटना; इलाहाबाद बैंक, शेखपुरा, पटना और सिंडीकेट बैंक, बेली रोड, पटना।

[36] 2008–09 में ₹ 37 लाख, 2009–10 में ₹ 2.69 करोड़, और 2010–11 में ₹ 4.27 करोड़ टी0डी0एस0 की राशि।

- कम्पनी चूँकि वित्तीय वर्ष 2008–09, 2009–10 और 2010–11 के दौरान क्रमशः ₹ 25 लाख़, ₹ 1.62 करोड़ और ₹ 67 लाख़ की हानि में था, इस कारण टी0डी0एस0 की वापसी का दावा करने हेतु निर्धारित समय सीमा के भीतर कम्पनी की ओर से आई0टी0आर0 दायर करना नितांत आवश्यक था। तथापि, कम्पनी ऐसा करने में विफल रहा। यह कम्पनी में व्याप्त वित्तीय संसाधनों के त्रुटिपूर्ण प्रबंधन तथा कम्पनी द्वारा अपनी वित्तियों हितों की उपेक्षा को इंगित करता है।

 कम्पनी प्रबंधन ने तथ्य और आँकड़े की पुष्टि करते हुए कहा (जुलाई 2014) कि कम्पनी द्वारा टी0डी0एस0 की वापसी का दावा करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, तथ्य यही है कि टी0डी0एस0 की धन वापसी कालातीत और अवसूलनीय मानते हुए प्रबंधन ने पहले से ही टी0डी0एस0 राशि अपने लेखाओं से अपलिखित कर दिया है।

 इस प्रकार, त्रुटिपूर्ण आन्तरिक नियंत्रण एवं अपनी वित्तीय हितों की अनदेखी करने के फलस्वरूप कम्पनी द्वारा टी0डी0एस0 की वापसी का दावा न करने तथा अपनी लेखाओं से अपलिखित करने के कारण ₹ 7.33 करोड़ की हानि हुई।

 मामला सरकार को प्रतिवेदित (जून 2014) किया गया; जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

4.9 मुख्यमंत्री राहत कोष में अनियमित अंशदान

कम्पनी द्वारा राजस्व के अनुचित स्वीकरण एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने के फलस्वरूप मुख्यमंत्री राहत कोष में अनियमित अंशदान दिया गया।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293 (1) (ई) के अनुसार सार्वजनिक कम्पनी के निदेशक मण्डल के सिवाय साधारण सभा में अंशधारियों की अनुमति से, कोई राशि धमार्थ एवं अन्य कोष में दान नहीं करेंगे जो कम्पनी के व्यवसाय या इसके कर्मचारियों के हित से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध है और जो किसी वित्तीय वर्ष में पचास हजार अथवा विगत तीन वर्षों के औसत लाभ का पाँच प्रतिशत, दोनों में जो अधिक हो, से अधिक हो। इसके अतिरिक्त, कम्पनी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व (सी0एस0आर0) के कार्यान्वयन के लिए निर्गत (दिसम्बर 2009) किए गये स्वैच्छिक दिशा–निर्देश अन्य बातों के साथ, यह प्रावधानित करती हैं कि कम्पनी को, सी0एस0आर0 गतिविधियों हेतु अपने बजट में विशेष राशि आवंटित करना चाहिए। यह राशि कर के बाद लाभ, नियोजित सी0एस0आर0 गतिविधियों की लागत या किसी भी अन्य उपयुक्त प्रतिमानकों से संबंधित हो सकता है।

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) के प्रबंध निदेशक ने निगमित सामाजिक दायित्व के आधार पर मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ एक करोड़ का दान देने हेतु परिचालन (मार्च 2012) द्वारा एक संकल्प, निदेशक मंडल (बी0ओ0डी0) को अनुमोदन करने हेतु प्रस्तावित किया। बी0ओ0डी0 ने, सामान्य बैठक में अंशधारकों की मंजूरी की प्रत्याशा में, मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ एक करोड़ की राशि के अंशदान का अनुमोदन कर दिया। तद्नुसार, मुख्यमंत्री राहत कोष में कम्पनी ने ₹ एक करोड़ का अंशदान (मार्च 2012) किया।

कम्पनी के अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2013) में अग्रेतर उद्घाटित हुआ कि :

- वर्ष 2011–12 के लिए ₹ 1.31 करोड़ की स्वीकार्य आय के विरुद्ध लेखों में ₹ 27.03 करोड़ की कुल आय दिखायी गयी थी, जिसमें सरकार की परियोजनाओं से संबंधित धन पर अर्जित ब्याज की राशि ₹ 25.72 करोड़ भी शामिल थी, जो राजस्व स्वीकरण पर लेखांकन मानक 9 का उल्लंघन करते हुए कम्पनी द्वारा अपने स्वयं की आय के रूप में दर्शाया जा रहा था। इस प्रकार, दर्शाये जा रहे ₹ 24.15 करोड़ के लाभ की जगह वास्तव में, कम्पनी ₹ 1.57[37] करोड़ की हानि में थी। कम्पनी द्वारा राजस्व की अनुचित स्वीकरण पर टिप्पणी भी वर्ष 2011–12 के लिए कम्पनी के लेखाओं पर की गयी थी।

- चूँकि कम्पनी के पास कोई अधिशेष उपलब्ध नहीं था, मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ एक करोड़ का अंशदान, वास्तव में, अधिनियम की धारा 293(1)(ई) के उल्लंघन में कम्पनी की पूँजी से किया गया था।

- इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री राहत कोष में यह अंशदान, किसी आकस्मिक कारण के लिए योगदान हेतु विशिष्ट माँग के बिना किया गया था।

प्रबंधन ने तथ्य और आँकड़े को स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2014) कि सरकार की परियोजनाओं पर आर्जित ब्याज, 2012–13 के बाद सरकारी परियोजना की आय के रूप में मानी जा रही है। प्रबंधन ने आगे कहा (जुलाई 2014) कि राज्य सरकार के विशेष निर्देश के अभाव में, विशेष परियोजना के लिए प्राप्त निधि पर मिलने वाले ब्याज कम्पनी की आय के रूप में लिया गया था और तद्नुसार मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ एक करोड़ का अंशदान दिया गया था।

प्रबन्धन का उत्तर पुष्टि करता है कि गलत तरीके से सरकार की निधि पर मिलने वाले ब्याज को कम्पनी की आय के रूप में मान्यता दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप मुख्यमंत्री राहत कोष में अनियमित योगदान दिया गया था।

इस प्रकार, लेखाओं में राजस्व की अनुचित स्वीकरण, कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के एवं सी0एस0आर0 के दिशा–निर्देशों के अनुपालन नहीं होने के फलस्वरूप मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ एक करोड़ का अनियमित अंशदान हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित (मई 2014) किया गया; जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड

4.10 निगम कर का परिहार्य भुगतान

सरकारी परियोजनाओं की अप्रयुक्त एवं बैंक जमाओं में निवेशित निधि पर अर्जित ब्याज का कम्पनी द्वारा अपनी आय के रूप में अनुचित विवेचना के फलस्वरूप ₹ 8.43 करोड़ के निगमित कर का परिहार्य भुगतान हुआ।

बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी), केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित सूचना प्रौद्यागिकी से सम्बन्धित योजनाओं और परियोजनाओं हेतु ''राज्य कार्यान्वयन एजेंसी'' है। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कम्पनी को अग्रिम में धन प्रदान करते हैं। आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों एवं सम्मेलनों के अनुसार, सरकार की परियोजनाओं से संबंधित अप्रयुक्त और बैंक जमा में निवेशित धनराशियों पर अर्जित ब्याज, विशिष्ट

[37] अमान्य आय (₹ 25.72 करोड़) – दर्शाया गया लाभ (₹ 24.15 करोड़)= ₹ 1.57 करोड़।

कार्य/सरकारी परियोजनाओं को जमा किया जाता है और उसे कम्पनी की आय नहीं माना जाता है। राज्य सरकार ने भी स्पष्ट किया (अक्टूबर 2012) कि चल परियोजनाओं से सम्बन्धित अप्रयुक्त धनराशि पर अर्जित ब्याज, सम्बन्धित परियोजना निधि, में जमा किया जाना है।

कम्पनी के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2013) से उद्घाटित हुआ कि:

- कम्पनी ने चार[38] सरकारी परियोजनाओं से सम्बन्धित अप्रयुक्त निधि का निवेश, ब्याज अर्जित करने वाली बैंक जमाओं में किया और उस पर 2009–10 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान ₹ 25.43 करोड़ ब्याज अर्जित किया।

- आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए, सरकार की परियोजनाओं से सम्बन्धित अप्रयुक्त धनराशि के सम्बन्ध में अर्जित ब्याज को कम्पनी द्वारा अपनी स्वयं की आय मानी गई थी और 2009–10 से 2011–12 तक की अवधि के लिए अपने लाभ और हानि खाते में उसी प्रकार लेखांकन किया गया था। इसकी परिणति वर्ष 2009–10 से 2011–12 की अवधि के लिए ₹ 8.43 करोड़ के निगम कर का, आयकर विभाग को भुगतान, के रूप में हुई जो अनयिमित और परिहार्य था।

 कम्पनी ने कहा (जुलाई 2013) कि वह परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी द्वारा परियोजनाओं/योजनाओं के लिए निर्गत/निर्धारित नियमों और शर्तों द्वारा निर्देशित होता है। कई परियोजनाओं की स्वीकृत शर्तों के अनुपालन में, विशिष्ट परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से अर्जित ब्याज, कम्पनी के खातों की पुस्तकों के माध्यम से नहीं लिया जा रहा था। तथापि, अन्य परियोजनाओं के मामले में किसी भी विशिष्ट नियम और शर्तो के अभाव में, इस तरह के स्वीकृत परियोजनाओं के मद में प्राप्त धनराशि अधिशेष कोष के सामान्य पूल (कम्पनी की निधियों सहित) में रखा गया था जो अधिशेष निधि पर ब्याज अर्जित करने हेतु बैंक के सावधि जमाओं में निवेश किया गया था।

 कम्पनी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक ने बैंको को सरकारी परियोजनाओं से सम्बन्धित निधि पर अर्जित ब्याज पर टी0डी0एस0 नहीं काटने का निर्देश दिया था (मार्च 2008) चूँकि यह कम्पनी की आय नहीं थी।

 इस प्रकार, सरकारी परियोजनाओं की अप्रयुक्त एवं बैंक जमाओं में निवेशित निधि पर अर्जित ब्याज का कम्पनी द्वारा अपनी आय के रूप में अनुचित विवेचना के फलस्वरूप ₹ 8.43 करोड़ के निगमित कर का परिहार्य भुगतान हुआ।

 मामला सरकार को प्रतिवेदित (मई 2014) किया गया; जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

4.11 निरर्थक व्यय

खाली पड़े जगह को उप–पट्टे पर देने में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप ₹ 2.08 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के निर्माण के निहित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई।

बिहार सरकार ने शीघ्रता से विकास कर रही सूचना प्रौद्योगिकी (आई0टी0) क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने हेतु कलात्मक बुनियादी सुविधाओं एवं पेशेवर प्रबन्धन की उत्कृष्ट स्थिति का विकास करने के दृष्टिकोण से एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एस0टी0पी0) स्थापित करने का निर्णय लिया (मार्च 2001)। कथित एस0टी0पी0, बिहार

[38] आई0सी0टी0@ स्कूल परियोजना, कारावास आधुनिकीकरण परियोजना, यूनिफाइड पावर परियोजना एवं ई–शक्ति परियोजना।

राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (बिस्कोमान) भवन में स्थापित किया गया और यह आई0टी0 विभाग के नोडल एजेंसी होने के नाते, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा संचालित किया जाता है।

कम्पनी के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2014) से उद्घाटित हुआ किः

- कम्पनी ने बिस्कोमान भवन, पटना में तीन मंजिलों (13वें, 14वें और 15वें) प्रत्येक 11,667 स्क्वायर फुट, के कुल 35,000 स्क्वायर फुट का अधिग्रहण ₹ छह प्रति वर्ग फुट के मासिक किराए पर 10 साल की अवधि हेतु एक पट्टा समझौते के माध्यम से किया (अप्रैल 2002)। पट्टा समझौता प्रति माह ₹ 41.50 प्रति वर्ग फुट की दर से दो वर्ष की अवधि के लिए अप्रैल 2012 के भूतलक्षी प्रभाव से नवीनीकृत किया गया (जुलाई 2013)।

- कम्पनी 14वीं और 15वीं मंजिल के 23,333 वर्ग फुट क्षेत्र, मेसर्स रिलायंस कम्युनिकेशंस (उप–पट्टेदार), को उप–पट्टे पर प्रदान किया (अक्टूबर 2003)। तथापि, उप–पट्टा क्षेत्र तीन महीने के अग्रिम नोटिस देने के बाद उप–पट्टेदार द्वारा दिसम्बर 2011 में खाली कर दिया गया है, और तब से यह जगह खाली पड़ा है।

- कम्पनी ने आई0टी0 विभाग, बिहार सरकार से, जनवरी 2012 से बिस्कोमान की खाली पड़ी हुई मंजिलों के किराए के भुगतान हेतु ₹ दो करोड़ की वित्तीय सहायता देने का, अनुरोध (मार्च 2012) किया और बिहार सरकार द्वारा, यह सहायता प्रदान की गई (फरवरी 2013)। इस प्रकार, कम्पनी ने आई0टी0 विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त किराए के मद में समर्थन से खाली जगह के लिए ₹ 2.08 करोड़ का किराया भुगतान किया।

- कम्पनी ने मेसर्स रिलायंस कम्युनिकेशंस द्वारा दी गई खाली करने की अग्रिम सूचना की तारीख से 14 महीने के अंतराल के बाद विलम्ब से खाली जगह हेतु उप–पट्टा के लिए निविदा आमंत्रित (मई 2013) किया। उप पट्टेदार द्वारा खाली किया गया जगह अभी भी खाली पड़ा हुआ था (मार्च 2014)।

कम्पनी ने तथ्य एवं आँकड़े स्वीकारते हुए कहा (जून 2014) कि किराए का भुगतान एक राज्य सहकारी संगठन अर्थात् बिस्कोमान के लिए किया गया था और उसका प्रयोग बिस्कोमान द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु किया गया था और इस तरह इसे निरर्थक व्यय नहीं माना जा सकता है।

कम्पनी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूँकि दो साल से खाली पड़े जगह के लिए किराए का भुगतान किया था।

इस प्रकार, खाली पड़े जगह को उप–पट्टे पर देने में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप ₹ 2.08 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ, जो परिहार्य था। इसके अतिरिक्त, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के निर्माण के निहित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई।

मामला सरकार को प्रतिवेदित (अप्रैल 2014) किया गया; जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

4.12 परिहार्य अतिरिक्त व्यय

दोषपूर्ण अधिप्राप्ति नियोजन एवं विद्यमान बाजार मूल्यों पर डेस्कटॉप कम्प्यूटरों एवं लैपटॉपों के क्रय में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप ₹ 1.51 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय एवं सरकार को परिणामी हानि हुई।

बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) सूचना प्रौद्योगिकी (आई0टी0) से सम्बन्धित सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सामग्री की क्रय हेतु बिहार सरकार

की ''राज्य क्रय एजेंसी'' है। कम्पनी विभिन्न विभागों/कार्यालयों से प्राप्त आदेश को पूर्ण अधिप्राप्ति करने हेतु दर अनुबंध के आधार पर आई0टी0 से सम्बन्धित सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सामग्रियों का क्रय करती है। दर अनुबंध को अंतिम रूप देने हेतु कम्पनी विक्रेताओं को प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर0एफ0पी0) निर्गत करती है। आर0एफ0पी0 की शर्तों के अनुसार, ''पेशकश की गई दरें प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए और इसी प्रकार के मद हेतु किसी भी सरकारी आपूर्ति/दर अनुबंध में पेशकश की गई कीमतों की तुलना में बेहतर होनी चाहिए''। सरकारी आपूर्ति में महानिदेशक आपूर्ति और निपटान (डी0जी0एस0 एण्ड डी0) शामिल हैं।

अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2014) में उद्घाटित हुआ किः

- कम्पनी ने 348 डेस्कटॉप कम्प्यूटर (डेल निर्मित) की आपूर्ति हेतु चार[39] इंजीनियरिंग महाविद्यालयों से आपूर्ति आदेश प्राप्त किया (मार्च 2012)। इसके अतिरिक्त, कम्पनी को 274 डेस्कटॉप कम्प्यूटर (डेल निर्मित) और 389 लैपटॉप (डेल निर्मित) की आपूर्ति के लिए एक आदेश वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त हुआ (मई 2012)।

- कम्पनी ने सितम्बर 2010 में दर अनुबंध के आधार पर निर्धारित मूल्य ₹ 58,347 प्रति डेस्कटॉप कम्प्यूटर की दर से और ₹ 55,731 प्रति लैपटॉप कम्प्यूटर की दर से मेसर्स वाइजरटेक इन्फॉरमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड (विक्रेता) को पाँच क्रय आदेश (अप्रैल 2012 से मई 2012) दिया। विक्रेता ने आदेश मात्रा के विरुद्ध सभी डेस्कटॉप और 300 लैपटॉप की आपूर्ति कर दी थी।

- कम्पनी उपर्युक्त क्रय आदेशों की तिथि को विद्यमान डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दरों का विचार करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त वर्णित 21 महीनें की अवधि के दौरान, डेस्कटॉप कम्प्यूटर के साथ ही लैपटॉप की बाजार कीमतें अर्थपूर्ण तरीके से लुढ़क कर क्रमशः ₹ 38,627 प्रति इकाई और ₹ 46,200 प्रति इकाई हो गया था जैसा कि मार्च 2012 से मार्च 2013 की अवधि हेतु डी0जी0एस0 एण्ड डी0 द्वारा किये गये अनुबंध से स्पष्ट था।

- कम्पनी उपर्युक्त वर्णित क्रय आदेश विद्यमान बाजार मूल्यों पर देने में विफल रहा जिसके कारण ₹ 1.51 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ जो ***परिशिष्ट–4.4*** में वर्णित है।

इस प्रकार, दोषपूर्ण अधिप्राप्ति नियोजन एवं विद्यमान बाजार मूल्यों पर डेस्कटॉप कम्प्यूटरों एवं लैपटॉपों की क्रय में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप ₹ 1.51 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, यह डेस्कटॉप कम्प्यूटर और लैपटॉप की क्रयादेश देने वाले सम्बन्धित विभागों को परिणामी हानि में भी फलित हुआ।

कम्पनी ने कहा (जुलाई 2014) किः (क) माँग के समय, निविदा के माध्यम से अंतिम रूप दिया गया एक दर अनुबंध अस्तित्व में था और इसका ही उपयोग किया गया, एवं (ख) क्रय किया गया डेस्कटॉप मॉडल ''डेल ऑप्टिलेक्स 990 एस0 एफ0'' था जबकि लेखापरीक्षा द्वारा तुलना ''डेल ऑप्टिलेक्स 990 एम0 टी0'' के साथ की गई थी। कम्पनी द्वारा क्रय किए गये डेस्कटॉप का विन्यास डी0जी0एस0 एण्ड डी0 द्वारा क्रय किए गये डेस्कटॉप से बेहतर था और इस कारण उनका मूल्य डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के समान सामग्रियों के क्रयों से अधिक था, (ग) कम्पनी द्वारा आपूर्ति किये गये लैपटॉप डी0जी0एस0 एण्ड डी0 द्वारा क्रय किए गये लैपटॉप से बेहतर थे।

[39] भागलपुर इंजिनियरिंग महाविद्यालय, भागलपुर; गवरमेन्ट पोलिटेकनिक, कटिहार; लोकनायक जयप्रकाश तकनीकी संस्थान, छपरा एवं एम0आई0टी0 मुजफ्फरपुर।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि दर अनुबन्ध को अन्तिम रूप देने और अनुरोध के बीच समय अन्तराल 21 महीनों से अधिक था। इसलिए, विद्यमान बाजार कीमतों/ डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दरों के आधार पर कीमतों का पुनः जाँच किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी द्वारा, कम्पनी और डी0जी0एस0 एण्ड डी0 द्वारा क्रय किए गये डेस्कटॉप के दोनों मॉडलों की तुलना तथ्यों पर आधारित नहीं था जिसका विवरण ***परिशिष्ट–4.5*** में दिया गया है। उल्लेखित परिशिष्ट से यह स्पष्ट है कि अधिक मूल्य देकर कोई बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों का क्रय नहीं किया गया था। लैपटॉप के मामले में कम्पनी और डी0जी0एस0 एण्ड डी0 द्वारा क्रय किया गया मॉडल समान था (अर्थात् डेल लैटीट्यूड 5420 ई0)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित (अप्रैल 2014) किया गया; जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड

4.13 निष्क्रिय व्यय

लघु जल विद्युत परियोजनाओं के दोषपूर्ण नियोजन एवं कार्यान्वयन तथा तद्नन्तर कार्य की समीक्षा नहीं करने के फलस्वरूप ₹ 7.28 करोड़ का व्यय दो वर्षों से अधिक निष्क्रिय पड़ा रहा। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड ऋण की अग्रेतर किस्त कम्पनी द्वारा मिथ्या व्यय प्रमाण पत्र समर्पित कर आहरित किया गया।

किसी भी निर्माण परियोजना का सफल निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु, परियोजना के क्रियान्वयन के प्रारम्भ के पहले कुशल परियोजना योजना के तहत् परियोजना हेतु भूमि की उपलब्धता के साथ ही इसकी तकनीकी–वाणिज्यिक व्यवहार्यता परीक्षण का सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की कंडिका सं0–4.9 में कम्पनी के दोषपूर्ण नियोजन के कारण ₹ 0.31 करोड़ के निरर्थक व्यय से सम्बन्धित एक कंडिका निरर्थक व्यय के शीर्षक के तहत् उल्लेख किया गया था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी द्वारा मिथ्या व्यय प्रमाण पत्र समर्पित करके नाबार्ड ऋण की अग्रेतर किस्त आहरित की गई।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) को ₹ 6.91 करोड़ और ₹ 8.54 करोड़ का ऋण[40] पश्चिम चंपारण जिले में बरबल (1.6 मेगावाट) और कटन्या (दो मेगावाट) पर क्रमशः ₹ 7.27 करोड़ और ₹ 8.99 करोड़ की अनुमानित लागत पर लघु जलविद्युत परियोजना (एस0एच0पी0) स्थापित करने हेतु स्वीकृति (मार्च 2008) प्रदान किया। निधि की शेष राशि (अर्थात बरबल एस0एच0पी0 के लिये ₹ 36 लाख और कटन्या एस0एच0पी0 के लिये ₹ 45 लाख) बिहार सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना था। नाबार्ड के स्वीकृत्यादेश के अनुसार, परियोजनाओं के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि मार्च 2010 थी। कम्पनी द्वारा परियोजना पर अग्रेतर व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु नाबार्ड को आहरण आवेदन पत्र के साथ ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से व्यय की विधिवत प्रमाणित विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक था। बिहार सरकार में उपर्युक्त वर्णित परियोजनाओं के निष्पादन के मद में प्रशासनिक स्वीकृति (फरवरी 2009) प्रदान की और कम्पनी को

[40] 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ऋण पर ब्याज, बिहार सरकार द्वारा, नाबार्ड को देय था।

बरबल एस0एच0पी0 के लिए ₹ 5.43 करोड़ और कटन्या एस0एच0पी0 के लिए ₹ 6.90 करोड़ की ऋण[41] राशि मार्च 2011 तक विमुक्त की।

कम्पनी के अभिलेखों की संवीक्षा(फरवरी 2013) से उद्घाटित हुआ किः

- कम्पनी ने, भूमि अधिग्रहण या इन परियोजनाओं के निर्माण के लिये इसकी उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना, टर्न–की आधार पर निष्पादन के लिये निविदा आमंत्रण सूचना (एन0आई0टी0) निर्गत (जनवरी 2009) किया। तथापि, कथित एन0आई0टी0 प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से, परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए, के आधार पर रद्द (जून 2009) कर दिया गया था।

- कम्पनी ने मेसर्स चाणक्य टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स गंडक निर्माण प्राईवेट लिमिटेड को बरबल और कटन्या परियोजनाओं के लिये क्रमशः ₹ 8.62 करोड़ एवं ₹ 6.00 करोड़ की लागत से रद्द एन0आई0टी0 के विरुद्ध सिविल कार्य हेतु आशय पत्र (एल0ओ0आई0) निर्गत (अप्रैल 2010) किया और इस हेतु जुलाई 2010 में इसके लिये अनुबंध किया। कथित परियोजनाओं के सिविल कार्य के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि जून 2012 था। ये कार्य संवेदकों के रद्द निविदा के विरुद्ध प्रदान किया गया था जो कि अनियमित एवं संविदा प्रबन्धन के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध थे।

- कम्पनी ने बरबल और कटन्या परियोजनाओं के लिये इलेक्ट्रो मेकेनिकल कार्य एक सीमित निविदा के आधार ₹ 6.45 करोड़ और ₹ 6.55 करोड़ की लागत पर क्रमशः मेसर्स एनर्जी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ब्यास इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान (जुलाई 2010) किया गया था । इन परियोजनाओं हेतु मेकेनिकल कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि जून 2011 थी।

- सिविल कार्य का 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण करने एवं बरबल और कटन्या परियोजनाओं पर ₹ 7.28 करोड़[42] का व्यय करने के उपरांत, दोनों परियोजनाओं के सिविल कार्य को कम्पनी द्वारा क्रमशः जनवरी 2012 और फरवरी 2012 में एक बार फिर से परियोजनाओं के तकनीकी–वाणिज्यिक व्यवहार्यता की समीक्षा हेतु, जो अभी तक नहीं (नवम्बर 2014) किया गया था, करने हेतु रोक दिया गया था।

- कम्पनी इन परियोजनाओं के प्रारम्भ करने के पूर्व इनके लिये भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विफल रहा जो कार्यादेश निर्गत करने की तिथि के दो वर्ष की समाप्ति के बाद भी बना हुआ था और यह दोषपूर्ण नियोजन का द्योतक था।

- कम्पनी इन परियोजनाओं की तकनीकी–वाणिज्यिक व्यवहार्यता का आकलन करने में विफल रहा जबकि इन परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण में ही ₹ 11.36 करोड़[43] की कुल लागत वृद्धि का सामना करना पड़ा।

[41] 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ऋण पर ब्याज बिहार सरकार को देय था और ऋण की वापसी में चूक की स्थिति में अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से देय था।

[42] बरबल एस0एच0पी0 के लिए ₹ 3.52 करोड़ (₹ 62.42 लाख के मोबलाइजेशन अग्रिम सहित) के साथ कटन्या एस0एच0पी0 के लिए ₹ 3.76 करोड़ (₹ 67.90 लाख के मोबलाइजेशन अग्रिम सहित)।

[43] बरबल एस0एच0पी0 की अनुमानित लागत (यानि ₹ 7.27 करोड़) + कटन्या एस0एच0पी0 की अनुमानित लागत (₹ 8.99 करोड़)–बरबल एस0एच0पी0 की संविदा मूल्य (सिविल कार्य के लिए ₹ 8.62 करोड़ + ई0एम0 कार्य के लिए ₹ 6.45 करोड़) – कटन्या एस0एच0पी0 की संविदा मूल्य (सिविल कार्य के लिए ₹ 6.00 करोड़ + ई0एम0 कार्य के लिए ₹ 6.55 करोड़) = ₹ 11.36 करोड़।

- कम्पनी ने फरवरी 2009 से मार्च 2011 की अवधि के दौरान नाबार्ड को मिथ्या व्यय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर किए गए व्यय की अधिकता में ऋण की अग्रेतर किस्तों के रूप मे ₹ 5.05[44] करोड़ की राशि प्राप्त किया।

- इन परियोजनाओं के लिए इलेक्ट्रो मेकेनिकल कार्य, अतिरिक्त वित्तीय स्त्रोतों का सुनिश्चयन किए बिना संवेदकों को दिया गया जो अनियमित और वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के विरुद्ध था।

- चूँकि इन परियोजनाओं हेतु निधियाँ ऋण पर ली गई थीं, संवेदकों को जुलाई 2011 तक कम्पनी द्वारा प्रदान की गई ₹ 1.30 करोड़ मोबलाइजेशन अग्रिम आज तक (मई 2014) असमायोजित/वसूल किया जाना शेष था।

इस प्रकार, लघु जल विद्युत परियोजनाओं के दोषपूर्ण नियोजन एवं कार्यान्वयन एवं तद्न्तर कार्य समीक्षा नहीं करने के फलस्वरूप न सिर्फ ₹ 7.28 करोड़ का व्यय दो वर्षो से अधिक निष्क्रिय पड़ा रहा बल्कि राज्य के लक्ष्यित 3.6 मेगावाट का अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करने का अपेक्षित उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड ऋण की अग्रेतर किस्त कम्पनी द्वारा मिथ्या व्यय प्रमाण पत्र समर्पित कर आहरित किया गया।

मामला सरकार/कम्पनी को प्रतिवेदित (जून 2011) किया गया, उनका जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2014)।

सामान्य

4.14 निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये एवं मौके पर नहीं निपटाये गये लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) के कार्यालय प्रधानों एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि0प्र0) के माध्यम से संवादित किया जाता है। सा0क्षे0उ0 के प्रधानों को सम्बद्ध विभागों के प्रधानों के माध्यम से नि0प्र0 का उत्तर चार सप्ताह के अन्दर देना होता है। मार्च 2014 तक 23 सा0क्षे0उ0 को निर्गत नि0प्र0 से यह स्पष्ट होता है कि 589 (नि0प्र0) से सम्बद्ध 1545 कंडिकाएँ सितम्बर 2014 तक लम्बित थीं। ये लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाएँ एक से आठ वर्षों तक अनुत्तरित थीं। 30 सितम्बर 2014 तक लम्बित नि0प्र0 एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का विभाग–वार ब्योरा ***परिशिष्ट–4.6*** में दी गयी है।

उसी प्रकार सा0क्षे0उ0 के कार्यकलापों पर प्रारूप कंडिकाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के तथ्यों एवं आँकड़ों की सम्पुष्टि एवं छः हफ्तों की अवधि में उनकी टिप्पणी के लिए सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को अर्द्ध–सरकारी पत्रों के माध्यम से अग्रसारित किये गये। अपितु यह पाया गया कि अप्रैल से अगस्त 2014 की अवधि में विभिन्न विभागों को अग्रसारित दो निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं 13 प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर ***परिशिष्ट–4.7*** में दिए विवरण के अनुरूप प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2014)।

[44] [बरबल एस0एच0पी0 के लिए प्राप्त ऋण (यानि ₹ 5.43 करोड़) + कटन्या एस0एच0पी0 के लिए प्राप्त ऋण (यानि ₹ 6.90 करोड़)]–[बरबल एस0एच0पी0 पर व्यय (₹ 3.52 करोड़) + कटन्या एस0एच0पी0 पर व्यय (₹ 3.76 करोड़)] = ₹ 5.05 करोड़।

यह अनुशंसित किया जाता है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि (क) विहित समय सीमा में निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का उत्तर देने में असफल रहने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया विद्यमान हो, (ख) एक समयबद्ध कार्यसूची के अनुसार हानि/बकाया अग्रिमों/अधिभुगतान की वसूली हेतु कार्यवाही हो, और (ग) लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर उत्तर देने की प्रणाली मजबूत हो।

पटना
दिनांक

(पी0 के0 सिंह)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट – 1.1

(कंडिका 1.7 में संदर्भित)

31 मार्च 2014 को सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के संदर्भ में अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बकाया ऋणों एवं मानव–शक्ति को दर्शानेवाली विवरणी

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[$]				2013–14 के अंत में बकाया ऋण[**]				2013–14 के ऋण / अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव–शक्ति (31.3.2014 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
क. कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं समवर्गी													
1.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड (बि0रा0बी0नि0लि0)	कृषि	18.7.1977	2.27 (0.65)	1.22 (0.02)	0.22 (0.03)	3.71 (0.70)	27.93	-	-	27.93	7.53:1 (7.53:1)	78
2.	बिहार राज्य मतस्य विकास निगम लिमिटेड (बि0रा0म0वि0नि0लि0)	पशुपालन एवं मतस्य	23.3.1980	3.00 (1.25)	-	-	3.00 (1.25)	2.60	0.03	-	2.63	0.88:1 (0.88:1)	अनुपलब्ध
3.	स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड (एस0ए0बी0सी0एल0)	जल संसाधन	-	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	अनुपलब्ध
प्रक्षेत्रवार योग				**5.27 (1.90)**	**1.22 (0.02)**	**0.27 (0.03)**	**6.76 (1.95)**	**30.53**	**0.03**	**-**	**30.56**	**-**	**78**
वित्त													
4.	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड (बि0रा0सा0वि0नि0लि0)	उद्योग	30.1.1975	15.12 (0.12)	-	-	15.12 (0.12)	20.47	-	33.01	53.48	3.54:1 (3.54:1)	43

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[$]				2013–14 के अंत में बकाया ऋण[**]				2013–14 के ऋण / अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव–शक्ति (31.3.2014 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
5.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (बि0रा0पि0व0वि0वि0नि0)	पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कल्याण	17.6.1993	21.36 (8.00)	-	-	21.36 (8.00)	-	16.14	-	16.14	0.76:1 (0.80:1)	17
6.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड (बि0रा0अ0वि0नि0लि0)	अल्पसंख्यक विकास	22.3.1984	33.89	-	-	33.89	-	-	27.32	27.32	0.81:1 (1.27:1)	30
7.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड (बि0रा0फि0वि0वि0नि0लि0)	कला, संस्कृति एवं युवा	6.3.1983	1.00	-	-	1.00	0.15	-	-	0.15	0.15:1 (0.15:1)	08
प्रक्षेत्रवार योग				**71.37 (8.12)**	**-**	**-**	**71.37 (8.12)**	**20.62**	**16.14**	**60.33**	**97.09**	**-**	**98**
आधारभूत													
8.	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड (बि0पु0भ0नि0नि0लि0)	गृह (पुलिस)	26.6.1974	0.10 (0.00)[1]	-	-	0.10 (0.00)[2]	-	0.43	-	0.43	4.30:1 (4.30:1)	323
9.	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बि0रा0पु0नि0नि0लि0)	पथ निर्माण	11.6.1975	3.50	-	-	3.50	-	-	-	-	-	396
10.	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (बि0रा0भ0नि0नि0लि0)	भवन निर्माण	20.3.2008	5.00	-	-	5.00	-	-	-	-	-	107

[1] ₹ 0.01 लाख
[2] ₹ 0.01 लाख

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[$]				2013–14 के अंत में बकाया ऋण[**]				2013–14 के ऋण / अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव–शक्ति (31.3.2014 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
11.	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (बि0रा0प0वि0नि0लि0)	पथ निर्माण	20.04.2009	20.00	-	-	20.00	-	-	125.00	125.00	6.25:1	107
12.	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बि0श0आ0सं0वि0नि0लि0)	शहरी विकास एवं आवास विभाग	16.06.2009	5.00	-	-	5.00	-	-	-	-	-	58
13.	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बि0रा0शै0आ0सं0वि0नि0लि0)	शिक्षा	16.07.2010	20.00	-	-	20.00	-	-	-	-	-	217
प्रक्षेत्रवार योग				**53.60 (0.00)**	**-**	**-**	**53.60 (0.00)**	**-**	**0.43**	**125.00**	**125.43**	**-**	**1208**
विनिर्माण													
14.	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (बि0रा0इ0वि0नि0लि0)	सूचना प्राद्यौगिकी	21.2.1978	5.66 (5.51)	-	-	5.66 (5.51)	6.00	-	-	6.00	1.06:1 (1.06:1)	66
15.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (बि0रा0ख0वि0नि0लि0)	खनन एवं भूविज्ञान	12.6.1972	9.97	-	-	9.97	-	-	-	-	-	01
16.	बिहार राज्य बिवरेजेज निगम लिमिटेड (बि0रा0बि0नि0लि0)	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य–निषेध	25.5.2006	5.00	-	-	5.00	-	-	-	-	-	269
प्रक्षेत्रवार योग				**20.63 (5.51)**	**-**	**-**	**20.63 (5.51)**	**6.00**	**-**	**-**	**6.00**	**-**	**336**

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[$]				2013–14 के अंत में बकाया ऋण[**]				2013–14 के ऋण / अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव–शक्ति (31.3.2014 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
ऊर्जा													
17.	बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड (बि0रा0ज0वि0श0नि0लि0)	ऊर्जा	31.3.1982	99.04	-	-	99.04	213.09	-	192.72	405.81	4.10:1 (3.78:1)	184
18.	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड (बि0एस0पी0एच0सी0एल0)	ऊर्जा	16.04.2012	8923.96 (8912.96)	-	-	8923.96 (8912.96)	92.50	-	-	92.50	0.01:1	263
19.	बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड (बि0एस0पी0जी0सी0एल0)	ऊर्जा	29.06.2012	-	-	2005.42 (2003.32)	2005.42 (2003.32)	-	-	1704.72	1704.72	0.85:1 (1.18:1)	295
20.	बिहार स्टेट पावर ट्रॉंसमिशन कम्पनी लिमिटेड (बि0एस0पी0टी0सी0एल0)	ऊर्जा	29.06.2012	590.35 (590.35)	-	1716.73 (1714.73)	2307.08 (2305.08)	-	-	225.74	225.74	0.10:1 (1.18:1)	1454
21.	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन0बि0पी0डी0सी0एल)	ऊर्जा	06.07.2012	153.28 (153.28)	-	2017.56 (2015.46)	2170.84 (2168.74)	193.12	327.74	710.94	1231.80	0.57:1 (1.79:1)	4123
22.	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एस0बि0पी0डी0सी0एल0)	ऊर्जा	29.06.2012	-	-	2268.85 (2266.75)	2268.85 (2266.75)	288.71	198.90	1581.37	2068.98	(0.91:1) 0.94:1	4789
23.	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (बि0जी0सी0एल0)	ऊर्जा	04.01.2013	-	-	5.00	5.00	-	-	-	-	-	7

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[$]				2013–14 के अंत में बकाया ऋण[**]				2013–14 के ऋण / अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव–शक्ति (31.3.2014 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
24.	पीरपैंती विजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (पी0बि0क0प्रा0लि0)	ऊर्जा	11.04.2008	-	-	0.01	0.01	-	-	12.70	12.70	1270:1	अनुपलब्ध
25.	लखीसराय विजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (ल0बि0क0प्रा0लि0)	ऊर्जा	23.04.2008	-	-	0.01	0.01	-	-	11.71	11.71	1171:1	अनुपलब्ध
प्रक्षेत्रवार योग				**9766.63 (9656.59)**	**-**	**8013.58 (8000.26)**	**17780.21 (17656.85)**	**787.42**	**526.64**	**4439.90**	**5753.96**	**-**	**11115**
सेवाएँ													
26.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (बि0रा0प0वि0नि0लि0)	पर्यटन	28.11.1980	5.00	-	-	5.00	-	-	-	-	-	233
27.	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (बि0रा0खा0अ0आ0नि0लि0)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	22.4.1973	10.00 (4.73)	-	-	10.00 (4.73)	2560.06	-	-	2560.06	256.01:1 (73.99:1)	533
28.	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बि0एम0एस0आई0सी0एल0)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	26.07.2010	6.74 (6.69)	-	-	6.74 (6.69)	-	-	-	-	-	41
प्रक्षेत्रवार योग				**21.74 (11.42)**	**-**	**-**	**21.74 (11.42)**	**2560.06**	**-**	**-**	**2560.06**	**-**	**807**
विविध													
29.	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (बि0रा0व0वि0नि0लि0)	वन व पर्यावरण	10.2.1975	1.75	0.54	-	2.29	-	-	-	-	-	अनुपलब्ध

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[$]				2013–14 के अंत में बकाया ऋण[**]				2013–14 के ऋण / अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव–शक्ति (31.3.2014 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
30.	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड (बि0रा0पा0पु0प्र0नि0लि0)	शिक्षा	2.4.1965	0.36	-	0.12	0.48	-	-	-	-	-	104
प्रक्षेत्रवार योग				**2.11**	**0.54**	**0.12**	**2.77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**104**
योग (क) (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)				**9941.35 (9683.54)**	**1.76 (0.02)**	**8013.97 (8000.29)**	**17957.07 (17683.85)**	**3404.63**	**543.24**	**4625.23**	**8573.10**	-	**13746**
(ख) कार्यशील सांविधिक निगमें													
वित्त													
1.	बिहार राज्य वित्त निगम (बि0रा0वि0नि0)	उद्योग	2.11.1954	39.95	37.70	0.19	77.84	228.47	-		228.47	2.94:1 (2.94:1)	210
प्रक्षेत्रवार योग				**39.95**	**37.70**	**0.19**	**77.84**	**228.47**	**-**	**-**	**228.47**	**-**	**210**
सेवाएँ													
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बि0रा0प0प0नि0)	परिवहन	1.5.1959	74.75	26.52	-	101.27	547.79	-	-	547.79	5.41:1 (5.41:1)	1000
3.	बिहार राज्य भण्डारण निगम (बि0रा0भ0नि0)	सहकारिता	29.3.1957	3.21	-	3.21	6.42	-	-	-	-	-	182
प्रक्षेत्रवार योग				**77.96**	**26.52**	**3.21**	**107.69**	**547.79**	**-**	**-**	**547.79**	**-**	**1182**
योग (ख) (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सांविधिक निगमें)				**117.91**	**64.22**	**3.40**	**185.53**	**776.26**	**-**	**-**	**776.26**	**-**	**1392**
कुल योग (क+ख)				**10059.26 (9683.54)**	**65.98 (0.02)**	**8017.37 (8000.29)**	**18142.60 (17683.85)**	**4180.89**	**543.24**	**4625.23**	**9349.36**	-	**15138**

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[$]				2013–14 के अंत में बकाया ऋण[**]				2013–14 के ऋण / अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव–शक्ति (31.3.2014 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
(ग) अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं समवर्गी													
1.	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड (बि0रा0ज0वि0नि0लि0)	जल संसाधन	12.4.1973	10.00	-	-	10.00	49.68	-	-	49.68	4.97:1 (4.97:1)	अनुपलब्ध
2.	बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड (बि0रा0दु0नि0लि0)	पशुपालन एवं मतस्य	13.3.1972	6.72	-	-	6.72	-	-	-	-	-	-
3.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड (बि0एच0ए0एल0आई0सी0 एल0)	लघु सिंचाई	3.6.1975	10.82	-	-	10.82	8.55	-	-	8.55	0.79:1 (0.79:1)	अनुपलब्ध
4.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड (बि0एस0ए0आई0डी0सी0 एल0)	कृषि	28.4.1966	5.19	2.45	-	7.64	12.60	-	-	12.60	1.65:1 (1.65:1)	136
5.	बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड (बि0एफ0वी0डी0सी0एल0)	कृषि	8.10.1980	1.61	0.49	-	2.10	0.42	0.70	-	1.12	0.53:1 (0.53:1)	9
6.	बिहार कीटनाशक लिमिटेड (बि0आई0एल0)	उद्योग	27.2.1983	-	-	2.96 (2.39)	2.96 (2.39)	-	-	1.54	1.54	0.52:1 (0.52:1)	53
7.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, खगौल (एस0ए0बि0एल0,के0)	कृषि	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[$]				2013–14 के अंत में बकाया ऋण[**]				2013–14 के ऋण / अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव–शक्ति (31.3.2014 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
8.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, डीहरी (एस0ए0बि0एल0,डी0)	कृषि	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
9.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, आरा (एस0ए0बि0एल0,ए0)	कृषि	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
10.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, औरंगाबाद (एस0ए0बि0एल0,ए)	कृषि	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
11.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, मोहनियाँ (एस0ए0बि0एल0,एम0)	कृषि	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
12.	स्काडा एग्रो वन कम्पनी लिमिटेड, खगौल (एस0ए0बि0एल0,के0)	कृषि	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
प्रक्षेत्रवार योग				**34.34**	**2.94**	**2.96 (2.39)**	**40.24 (2.39)**	**71.25**	**0.70**	**1.54**	**73.49**	**-**	**198**
वित्त													
13.	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड (बि0पी0आर0एफ0सी0एल0)	पंचायती राज	20.4.1974	2.01	-	01.01	3.02	-	-	-	-	-	54
14.	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड (बि0एस0एच0एच0सी0एल0)	उद्योग	21.5.1974	10.00	-	-	10.00	1.16	-	-	1.16	0.12:1 (0.12:1)	अनुपलब्ध

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[$]				2013–14 के अंत में बकाया ऋण[**]				2013–14 के ऋण / अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव–शक्ति (31.3.2014 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
15.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड (बि0एस0एस0आई0सी0एल0)	उद्योग	29.10.1961	7.18	-	-	7.18	10.40	-	1.83	12.23	1.70:1 (1.70:1)	49
16.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (बि0एस0आई0डी0सी0एल0)	उद्योग	5.11.1960	14.04	-	-	14.04	66.56	-	-	66.56	4.74:1 (4.75:1)	768
प्रक्षेत्रवार योग				**33.23**	**-**	**1.01**	**34.24**	**78.12**	**-**	**1.83**	**79.95**	**-**	**871**
आधारभूत संरचना													
17.	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड (बि0एस0एस0सी0एल0)	जल संसाधन	22.8.1974	7.00	-	-	7.00	2.03	-	-	2.03	0.29:1 (0.28:1)	227
प्रक्षेत्रवार योग				**7.00**	**-**	**-**	**7.00**	**2.03**	**-**	**-**	**2.03**	**-**	**227**
विनिर्माण													
18.	बिहार सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड (बि0एस0 एवं सी0एल0)	वन एवं पर्यावरण	अगस्त-79	0.20	-	0.88	1.08	-	-	0.89	0.89	0.82:1 (0.82:1)	अनुपलब्ध
19.	मगध मिनरल लिमिटेड (एम0एम0एल0)	उद्योग	22.11.1984	-	-	0.36 (0.36)	0.36 (0.36)	-	-	0.47	0.47	1.31:1 (1.31:1)	5
20.	कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड (के0एम0सी0 एवं ई0एल0)	उद्योग	25.10.1983	-	-	2.17	2.17	-	-	6.63	6.63	3.06:1 (3.06:1)	अनुपलब्ध
21.	बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड (बि0वी0सी0एल0)	उद्योग	19.9.1984	-	-	5.05	5.05	-	-	4.51	4.51	0.89 (0.89:1)	अनुपलब्ध

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[$]				2013–14 के अंत में बकाया ऋण[**]				2013–14 के ऋण / अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव–शक्ति (31.3.2014 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
22.	बेलट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड (बी0एम0एस0एल0)	उद्योग	30.1.1986	-	-	2.48	2.48	-	-	-	-	-	अनुपलब्ध
23.	बेलट्रॉन इनफॉरमेटिक्स लिमिटेड (बी0आई0एल0)	उद्योग	1.3.1988	-	-	0.00[3]	0.00	-	-	-	-	-	अनुपलब्ध
24.	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड (बि0एस0एस0सी0एल0)	ईख	26.12.1974	20.00	-	-	20.00	322.95	-	-	322.95	16.15:1 (16.15:1)	अनुपलब्ध
25.	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड (बि0एस0सी0सी0एल0)	उद्योग	17.10.1981	-	-	0.00[4]	0.00	0.03	-	-	0.03	42.86:1 (42.86:1)	अनुपलब्ध
26.	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड (बि0एस0एफ0सी0डी0सी0एल0)	उद्योग	22.2.1978	15.78 (0.78)	-	-	15.78 (0.78)	4.25	-	-	4.25	0.27:1 (0.27:1)	52
27.	बिहार मेज प्रोडक्टस लिमिटेड (बि0एम0एल0)	उद्योग	2.9.1982	-	-	0.74 (0.74)	0.74 (0.74)	-	-	0.02	0.02	0.03:1 (0.03:1)	अनुपलब्ध
28.	बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड (बि0डी0 एवं सी0एल)	उद्योग	12.8.1983	-	-	4.00	4.00	1.28	-	-	1.28	0.32:1 (0.32:1)	अनुपलब्ध

[3] ₹ 0.28 लाख
[4] ₹ 0.07 लाख

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[$]				2013–14 के अंत में बकाया ऋण[**]				2013–14 के ऋण / अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव–शक्ति (31.3.2014 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
29.	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड (बि0एस0टी0सी0एल0)	उद्योग	21.2.1978	10.78	-	-	10.78	2.27	-	-	2.27	0.21:1 (0.21:1)	51
प्रक्षेत्रवार योग				**46.76 (0.78)**	**-**	**15.68 (1.10)**	**62.44 (1.88)**	**330.78**	**-**	**12.52**	**343.30**	**-**	**108**
सेवाएँ													
30.	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड (बि0एस0ई0सी0एल0)	उद्योग	29.12.1974	2.00	-	-	2.00	1.22	-	-	1.22	0.61:1 (0.61:1)	23
प्रक्षेत्रवार योग				**2.00**	**-**	**-**	**2.00**	**1.22**	**-**	**-**	**1.22**		**23**
विविध													
31.	बिहार पेपर मिल लिमिटेड (बि0पी0एम0एल0)	उद्योग	8.7.1977	-	-	7.77	7.77	-	-	10.72	10.72	1.38:1 (1.38:1)	अनुपलब्ध
32.	बिहार राज्य ग्लेज्ड टाईल्स एवं सिरामिक्स लिमिटेड (बि0एस0जी0टी0 एवं सी0एल0)	उद्योग	2.4.1984	-	-	1.40 (0.25)	1.40 (0.25)	-	-	3.66	3.66	2.61:1 (2.61:1)	32

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[$]				2013–14 के अंत में बकाया ऋण[**]				2013–14 के ऋण / अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव–शक्ति (31.3.2014 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
33.	विश्वामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड (वि0पी0आई0एल0)	उद्योग	18.6.1983	-	-	1.74 (0.60)	1.74 (0.60)	-	-	0.81	0.81	0.47:1 (0.47:1)	अनुपलब्ध
34.	झंझारपुर पेपर उद्योग लिमिटेड (जे0पी0आई0एल0)	उद्योग	27.2.1982	-	-	1.49 (0.42)	1.49 (0.42)	-	-	0.46	0.46	0.31:1 (0.31:1)	13
35.	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड (बि0एस0टी0ई0एल0)	वन एवं पर्यावरण	27.1.1984	-	-	1.57	1.57	-	-	2.14	2.14	1.36:1 (1.36:1)	अनुपलब्ध
36.	बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड (बि0एस0एफ0एल0सी0एल0)	उद्योग	20.4.1982	-	-	1.47	1.47	9.18	-	-	9.18	6.24:1 (6.24:1)	अनुपलब्ध
37.	सिन्थेटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लिमिटेड (एस0आर0ई0एल0)	उद्योग	14.12.1982	-	-	0.31	0.31	-	-	1.05	1.05	3.39:1 (3.39:1)	-
38.	भवानी ऐक्टीव कार्बन लिमिटेड (भी0ए0सी0एल0)	उद्योग	26.3.1985	-	-	0.09	0.09	-	-	-	-	-	अनुपलब्ध
39.	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड (बि0एस0एल0आई0डी0सी0 एल0)	उद्योग	23.3.1974	17.40	-	-	17.40	12.43	-	1.70	14.13	0.81:1 (1.81:1)	अनुपलब्ध

(कॉलम 5 (क) एवं 6 (ग) की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[$]				2013–14 के अंत में बकाया ऋण[**]				2013–14 के ऋण / अंश पूँजी का अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव–शक्ति (31.3.2014 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
40.	बिहार स्कूटर लिमिटेड (बि0एस0एल0)	उद्योग	19.1.1978	-	-	1.63	1.63	6.09	-	-	6.09	3.74:1 (3.74:1)	अनुपलब्ध
प्रक्षेत्रवार योग				**17.40**	**-**	**17.47 (1.27)**	**34.87 (1.27)**	**27.70**	**-**	**20.54**	**48.24**	**-**	**45**
योग–ग (प्रक्षेत्रवार सभी अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)				**140.73 (0.78)**	**2.94**	**37.12 (4.76)**	**180.79 (5.54)**	**511.10**	**0.70**	**36.43**	**548.23**	**-**	**1472**
कुल योग (क+ख+ग)				**10199.99 (9684.32)**	**68.92 (0.02)**	**8054.49 (8005.05)**	**18323.39 (17689.39)**	**4691.99**	**543.94**	**4661.66**	**9897.59**	**-**	**16610**

उपर्युत वर्णित कम्पनियों में कार्यशील कम्पनियों की क्रम सं0 3 तथा अकार्यशील कम्पनियों की क्रम सं0 7 से 12, धारा 619–ब की कम्पनी हैं।

[$] प्रदत्त पूँजी में आवंटन हेतु अंश आवेदन राशि शामिल हैं जो कि कॉलम 5 (क) से 5 (घ) तक कोष्ठक में दर्शाई गई हैं।

[**] वर्ष 2012–13 तक बकाया ऋण केवल दीर्घकालिक ऋण को दर्शाते हैं।

अनुपलब्ध यह इंगित करता है कि सम्बन्धित कम्पनियों ने सूचना उपलब्ध नहीं करायी थी।

क्रम सं0 क–3, क–29, ग–1, ग–3 से ग–15, ग–18 से ग–40 कम्पनी की राशियाँ पूर्व के लखिापरीक्षा प्रतिवेदन (सा0क्षे0उ0), 2012–13 बिहार सरकार से ली गई है चूँकि सूचनाएँ संबंधित कम्पनियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

परिशिष्ट – 1.2

(कंडिका 1.10 में संदर्भित)

वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंश पूँजी/ऋण, प्राप्त/प्राप्त होने योग्य अनुदान एवं अर्थसाहाय्य, प्राप्त प्रतिभूतियाँ, बकाए का अधित्याग, ऋण जिसे बट्टे खाते में डाला गया एवं वर्ष के दौरान अंश में परिवर्तित किया गया ऋण एवं मार्च 2014 के अंत तक प्रतिभूति देयताओं को दर्शाने वाली विवरणी

(कॉलम 3 (क) से 6(घ) तक की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंश पूँजी/ ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानों एवं अर्थसाहाय्य				वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिभूतियाँ एवं वर्षान्त में प्रतिबद्धता@		वर्ष के दौरान बकायों का अधित्याग			
		अंश पूँजी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	प्रतिबद्धता	ऋण की अदायगी जिसे बट्टे खाते में डाला गया	ऋण जिसे अंश पूँजी में बदला गया	ब्याज/ दाण्डिक ब्याज माफ	कुल
(1)	(2)	3 (क)	3 (ख)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	5 (क)	5 (ख)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)
क. कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि													
1.	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	0.26	-	0.26	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार योग		**-**	**-**	**-**	**0.26**	**-**	**0.26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
वित्त													
2.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1.00	-	-	-	-	-	-	26.15	-	-	-	-
3.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	0.10	-	-	35.00	-	35.00	-	27.33	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार योग		**1.10**	**-**	**-**	**35.00**	**-**	**35.00**	-	**53.48**	**-**	**-**	**-**	**-**
आधारभूत संरचना													
4.	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	125.00	125.00	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार योग		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**125.00**	**125.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
उर्जा													
5.	बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	-	15.00	-	-	-	-	34.22	-				

(कॉलम 3 (क) से 6(घ) तक की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंश पूँजी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानों एवं अर्थसाहाय्य				वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिभूतियाँ एवं वर्षान्त में प्रतिबद्धता[@]		वर्ष के दौरान बकायों का अधित्याग			
		अंश पूँजी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	प्रतिबद्धता	ऋण की अदायगी जिसे बट्टे खाते में डाला गया	ऋण जिसे अंश पूँजी में बदला गया	ब्याज/दाण्डिक ब्याज माफ	कुल
(1)	(2)	3 (क)	3 (ख)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	5 (क)	5 (ख)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)
6.	बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड	-	-	-	13.38	-	13.38	850.00	706.00	-	-	-	-
7.	बिहार स्टेट पावर ट्रॉंसमिशन कम्पनी लिमिटेड	590.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	153.28	187.75	-	-	1962.42	1962.42	780.96	-	-	-	-	-
9.	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	-	276.31	-	1630.95	-	1630.95	858.65	-	-	127.53	-	-
प्रक्षेत्रवार योग		**743.63**	**479.06**		**1644.33**	**1962.42**	**3606.75**	**2523.83**	**706.00**	**-**	**127.53**	**-**	**-**
सेवाएँ													
10.	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	-	600.48	-	-	-	-	-	2026.41	-	-	-	-
11.	बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचनाएँ निगम लिमिटेड	-	-	-	363.90	-	363.90	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार योग		**-**	**600.48**	**-**	**363.90**	**-**	**363.90**	**-**	**2026.41**	**-**	**-**	**-**	**-**
योग (क) (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)		**744.73**	**1079.54**	**-**	**2043.49**	**1962.42**	**4005.91**	**2648.83**	**2910.89**	**-**	**127.53**	**-**	**-**

(कॉलम 3 (क) से 6(घ) तक की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंश पूँजी/ ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानों एवं अर्थसाहाय्य				वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिभूतियाँ एवं वर्षान्त में प्रतिबद्धता[@]		वर्ष के दौरान बकायों का अधित्याग			
		अंश पूँजी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	प्रतिबद्धता	ऋण की अदायगी जिसे बट्टे खाते में डाला गया	ऋण जिसे अंश पूँजी में बदला गया	ब्याज/ दाण्डिक ब्याज माफ	कुल
(1)	(2)	3 (क)	3 (ख)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	5 (क)	5 (ख)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)
ख. कार्यशील सांविधिक निगमें													
सहकारिता													
1.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	-	-	-	16.80	-	16.80	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार योग		-	-	-	**16.80**	-	**16.80**	-	-	-	-	-	-
योग (ख) (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सांविधिक निगमें)		-	-	-	**16.80**	-	**16.80**	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख)		**744.73**	**1079.54**	-	**2060.29**	**1962.42**	**4022.71**	**2648.83**	**2910.89**	-	**127.53**	-	-

[@]आँकड़े वर्ष के अन्त में कुल वचनबद्धता को इंगित करता हैं।

परिशिष्ट – 1.3

(कंडिका 1.14, 1.28, 1.29 एवं 1.33 में संदर्भित)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष हेतु अन्तिमीकृत किए गए लेखाओं का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(कॉलम 5 (क) से 6 एवं 7 से 10 तक की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखें की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमि–करण हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)				आवर्त	अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी @	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल $	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
				ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
क. कार्यशील कम्पनियाँ														
कृषि एवं समवर्गी														
1.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	1999-00	2013-14	(-)2.19	2.74	0.06	(-)4.99	1.89	-	3.71	-58.45	0.82	(-)2.25	-
2.	बिहार राज्य मतस्य विकास निगम लिमिटेड	1992-93	1996-97	(-)0.01	0.17	0.04	(-)0.22	-	-	1.75	(-)1.92	1.74	(-)0.05	-
3.	स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड	2010-11	2011-12	0.01	-	0.01	0.00[5]	-	-	0.05	(-)1.81	1.11	-	0.36
	प्रक्षेत्रवार योग			**(-)2.19**	**2.91**	**0.11**	**(-)5.21**	**1.89**	**-**	**5.51**	**(-)62.18**	**3.67**	**(-)2.30**	**-**
वित्त														
4.	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	2005-06	2013-14	2.37	3.17	0.04	(-)0.84	3.04	(-)12.44	15.12	(-)150.46	30.67	2.33	7.60
5.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1997-98	2006-07	0.41	0.68	0.02	(-)0.29	0.64	-	3.62	0.53	3.86	0.39	10.10
6.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	2009-10	2013-14	0.33	1.81	0.01	(-)1.49	2.88	-	11.50	(-)8.48	38.67	0.32	0.83
7.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	1992-93 1993-94 1994-95	2014-15	0.03	0.02	0.00[6]	0.01	-	-	1.00	(-)0.13	1.01	0.03	2.97
	प्रक्षेत्रवार योग			**3.14**	**5.68**	**0.07**	**(-)2.61**	**6.56**	**(-)12.44**	**31.24**	**(-)158.54**	**74.21**	**3.07**	**-**

[5] ₹ (-)0.42 लाख
[6] ₹0.15 लाख

(कॉलम 5 (क) से 6 एवं 7 से 10 तक की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखें की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमि–करण हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)				आवर्त	अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी @	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल $	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
				ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
आधारभूत संरचना														
8.	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2005-06 2006-07 2007-08	2014-15	(-)0.88	-	0.01	(-)0.89	0.54	-	0.10	(-)13.89	(-)13.36	(-)0.89	-
9.	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	2011-12 2012-13	2014-15	112.63	-	5.64	106.99	117.37	**	3.50	182.17	316.84	106.99	33.77
10.	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2012-13 2013-14	2014-15	27.15	12.37	0.19	14.59	28.76	0.25	5.00	8.69	13.90	26.96	193.96
11.	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	37.67	-	0.31	37.36	623.85	6.55	20.00	182.71	206.95	37.36	18.05
12.	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	6.04	-	0.21	5.83	107.72	-	5.00	5.50	10.50	5.83	55.52
13.	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	5.28	-	0.04	5.24	9.72	-	20.00	39.81	59.81	5.24	8.76
प्रक्षेत्रवार योग		-	-	**187.89**	**12.37**	**6.40**	**169.12**	**887.96**	**6.80**	**53.60**	**404.99**	**594.64**	**181.49**	**-**
विनिर्माण														
14.	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2014-15	14.66	0.92	0.10	13.64	16.36	-	5.66	10.53	44.98	14.56	32.37
15.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2000-01	2004-05	9.42	-	0.13	9.29	31.55	-	9.97	7.04	20.68	9.29	44.92
16.	बिहार राज्य बिवरेजेज निगम लिमिटेड	2011-12 2012-13	2014-15	39.45	-	0.17	39.28	2614.42	-	5.00	43.10	53.37	39.28	73.60
प्रक्षेत्रवार योग		-	-	**63.53**	**0.92**	**0.40**	**62.21**	**2662.33**	**-**	**20.63**	**60.67**	**119.03**	**63.13**	**-**

(कॉलम 5 (क) से 6 एवं 7 से 10 तक की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखें की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमि–करण हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)				आवर्त	अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी @	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल $	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
				ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
उर्जा														
17.	बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	2000-01	2013-14	8.06	5.91	3.57	(-)1.42	9.12	(-)11.01	99.04	(-)28.18	279.75	4.49	1.61
18.	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड	2012-13	2013-14	1.33	10.15	0.29	(-)9.11	-	(-)12.87	3193.14	(-)9.09	4146.83	1.04	0.03
19.	बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड	2012-13	2013-14	-	-	-	-	-	(-)2.90	551.99	-	682.61	-	-
20.	बिहार स्टेट पावर ट्रॉंसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2012-13	2013-14	20.56	4.31	16.25	-	53.66	2.67	375.41	-	1630.47	4.31	0.26
21.	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2012-13 2013-14	2014-15	43.50	44.64	73.12	(-)74.26	2581.26	**	2170.84	(-)714.34	5854.03	29.62	0.51
22.	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2012-13	2013-14	126.27	101.10	47.96	(-)22.79	1414.75	(-)0.86	662.48	(-)83.76	2057.56	78.31	3.81
23.	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड	2013-14	2014-15	0.00	-	-	0.00[7]	-	-	0.05	0.00[8]	(-)0.05	0.00[9]	-
24.	पीरपैंती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	लेखा अन्तिमीकृत नहीं किए गए	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[7] ₹ 1,000
[8] ₹ 37,532
[9] ₹ 1,000

(कॉलम 5 (क) से 6 एवं 7 से 10 तक की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखें की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमि–करण हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)				आवर्त	अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी @	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल $	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
				ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25.	लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	लेखा अन्तिमीकृत नहीं किए गए	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार योग		-	-	**199.72**	**166.11**	**141.19**	**(-)107.58**	**4058.79**	**(-)24.97**	**7052.95**	**(-)835.37**	**14651.30**	**58.53**	**-**
सेवाएँ														
26.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2009-10 2010-11	2013-14	4.20	-	1.03	3.17	9.80	-	5.00	7.98	12.98	3.17	24.42
27.	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	1990-91	2012-13	(-)2.44	8.16	0.58	(-)11.18	140.14	(-)3.37	4.46	(-)46.04	39.12	(-)3.02	-
28.	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2012-13	2013-14	2.66	-	0.17	2.49	0.36	-	6.74	2.31	9..05	2.49	27.51
प्रक्षेत्रवार योग				**4.42**	**8.16**	**1.78**	**(-)5.52**	**150.30**	**(-)3.37**	**16.20**	**(-)35.75**	**61.15**	**2.64**	**-**
विविध														
29.	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2000-01	2005-06	0.34	-	0.06	0.28	22.81	(-)0.40	2.29	0.32	1.17	0.28	23.93
30.	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	1998-99	2013-14	(-)0.26	-	0.06	(-)0.32	17.02	-	0.48	(-)6.29	(-)5.81	(-)0.32	-
प्रक्षेत्रवार योग		-	-	**0.08**	**-**	**0.12**	**(-)0.04**	**39.83**	**(-)0.40**	**2.77**	**(-)5.97**	**(-)4.64**	**(-)0.04**	**-**
योग (क) (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)		-	-	**456.59**	**196.15**	**150.07**	**110.37**	**7807.66**	**(-)34.38**	**7182.90**	**(-)632.15**	**15499.36**	**306.52**	**-**

(कॉलम 5 (क) से 6 एवं 7 से 10 तक की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखें की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमि–करण हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)				आवर्त	अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी @	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल $	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
				ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(ख) कार्यशील सांविधिक निगमें														
वित्त														
1.	बिहार राज्य वित्त निगम	2012-13 2013-14	2014-15	(-)1.16	16.42	0.09	(-)17.67	8.16	***	77.84	(-)404.58	39.92	(-)1.25	-
प्रक्षेत्रवार योग				**(-)1.16**	**16.42**	**0.09**	**(-)17.67**	**8.16**	**-**	**77.84**	**(-)404.58**	**39.92**	**(-)1.25**	**-**
सेवाएँ														
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2004-05	2014-15	(-)16.26	34.40	7.03	(-)57.69	50.65	***	101.27	(-)843.75	(-)653.99	(-)23.29	-
3.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	2009-10	2013-14	4.32	1.59	0.78	1.95	58.42	(-) 3.71	6.42	4.87	25.71	3.54	13.77
प्रक्षेत्रवार योग				**(-)11.94**	**35.99**	**7.81**	**(-)55.74**	**109.07**	(-) 3.71	**107.69**	**(-)838.88**	**(-)628.28**	**(-)19.75**	**-**
योग (ख) (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सांविधिक निगमें)				**(-)13.10**	**52.41**	**7.90**	**(-)73.41**	**117.23**	**(-) 3.71**	**185.53**	**(-)1243.46**	**(-)588.36**	**(-)21.00**	**-**
कुल योग (क+ख)				**443.49**	**248.56**	**157.97**	**36.96**	**7924.89**	**(-) 38.09**	**7368.43**	**(-)1875.61**	**14911.00**	**285.52**	**-**
(ग) अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ														
कृषि एवं समवर्गी														
1.	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	1978-79	1997-98	3.03	0.25	0.61	2.17	-	-	5.00	11.20	26.70	2.42	9.06
2.	बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड	1996-97	2013-14	(-)0.00	0.00	0.00[10]	(-)0.00[11]	-	-	6.72	(-)10.58	4.86	(-)0.00	-
3.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	1982-83	1993-94	0.18	0.13	0.31	(-)0.26	0.01	-	5.60	(-)0.86	9.53	(-)0.13	-

[10] ₹ 560.80
[11] ₹ (-) 0.36 लाख

(कॉलम 5 (क) से 6 एवं 7 से 10 तक की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखें की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमि–करण हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)				आवर्त	अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी @	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल $	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
				ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1990-91 1991-92	2013-14	(-)1.63	0.57	0.02	(-)2.22	3.70	-	7.57	(-)34.73	(-)6.64	(-)1.65	-
5.	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	1994-95	2010-11	(-)0.12	0.73	0.07	(-) 0.92	0.00	(-) 0.14	2.10	(-)7.82	(-)0.07	(-)0.19	-
6.	बिहार कीटनाशक लिमिटेड	1986-87	1991-92	(-) 0.52	0.16	0.35	(-) 1.03	-	-	0.57	(-) 1.03	2.35	(-) 0.87	-
7.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, खगौल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, डीहरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, आरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, औरंगाबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, मोहनियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	स्काडा एग्रो वन कंपनी लिमिटेड, खगौल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार योग		-	-	**(-)0.94**	**1.84**	**1.36**	**(-)2.26**	**3.71**	**(-)0.14**	**27.56**	**(-)43.82**	**36.73**	**(-)0.42**	-
वित्त														
13.	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	1984-85	1991-92	0.23	0.24	0.00[12]	(-)0.01	-	-	1.44	(-)0.03	5.86	0.23	3.92
14.	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	1983-84	1996-97	0.02	0.11	0.01	(-)0.10	-	(-)0.01	6.28	(-)0.44	7.08	0.01	0.14

[12] ₹16,235.26

(कॉलम 5 (क) से 6 एवं 7 से 10 तक की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखें की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमि–करण हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)				आवर्त	अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी @	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल $	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
				ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	1990-91	2005-06	(-)0.21	1.15	0.06	(-)1.42	15.22	(-)0.53	7.18	(-)16.56	1.86	(-)0.27	-
16.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	1987-88	2009-10	2.22	5.35	0.38	(-)3.51	6.59	(-)9.28	14.04	(-)26.42	29.54	1.84	6.23
प्रक्षेत्रवार योग				**2.26**	**6.85**	**0.45**	**(-)5.04**	**21.81**	**(-)9.82**	**28.94**	**(-)43.45**	**44.34**	**1.81**	
आधारभूत संरचना														
17.	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	1991-92 1992-93 1993-94 1994-95	2014-15	(-)2.79	-	0.06	(-)2.85	6.72	-	7.00	(-)11.82	2.28	**(-)2.85**	-
प्रक्षेत्रवार योग				**(-)2.79**	**-**	**0.06**	**(-)2.85**	**6.72**	**-**	**7.00**	**(-)11.82**	**2.28**	**(-)2.85**	**-**
विनिर्माण														
18.	बिहार सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड	1986-87	1995-96	(-)0.05	0.11	0.16	(-)0.32	-	(-)0.24	0.66	(-)0.32	1.67	(-)0.21	-
19.	मगध मिनरल लिमिटेड	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-
20.	कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड	1994-95	1995-96	(-)1.13	0.38	0.88	(-)2.39	10.89	-	2.17	(-)8.16	0.91	(-)2.01	-
21.	बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड	1987-88	1998-99	(-)0.09	0.05	0.01	(-)0.15	0.75	-	1.21	(-)0.22	1.02	(-)0.10	-
22.	बेलट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड	1989-90	2002-03	(-)0.07	-	0.03	(-)0.10	0.41	-	1.26	(-)0.49	0.52	(-)0.10	-
23.	बेलट्रॉन इनफॉरमेटिक्स लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1984-85	1996-97	(-)2.84	6.00	0.36	(-)9.20	-	(-)4.67	9.97	(-)72.31	(-)10.24	(-)3.20	-
25.	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(कॉलम 5 (क) से 6 एवं 7 से 10 तक की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखें की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमि–करण हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)				आवर्त	अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी@	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल$	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
				ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
26.	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1985-86	1992-93	(-)0.16	0.00[13]	0.01	(-)0.17	-	-	3.62	(-)0.74	6.87	(-)0.17	-
27.	बिहार मेज प्रोडक्टस लिमिटेड	1983-84	1987-88	(-)0.03	-	0.00[14]	(-)0.03	-	-	0.67	(-)0.06	0.80	(-)0.03	-
28.	बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड	1985-86	1991-92	(-)0.03	-	0.00[15]	(-)0.03	-	-	0.94	(-)0.16	1.16	(-)0.03	-
29.	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	1987-88	1995-96	(-)0.08	-	0.01	(-)0.09	-	(-)0.02	4.98	(-)0.32	3.72	(-)0.09	-
प्रक्षेत्रवार योग				**(-)4.48**	**6.54**	**1.46**	**(-)12.48**	**12.05**	**(-)4.93**	**25.48**	**(-)82.78**	**6.43**	**(-)5.94**	
सेवाएँ														
30.	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	1991-92	1999-00	0.11	0.20	0.01	(-)0.10	4.94	(-)0.03	2.00	(-)0.01	3.75	0.10	2.67
प्रक्षेत्रवार योग				**0.11**	**0.20**	**0.01**	**(-)0.10**	**4.94**	**(-)0.03**	**2.00**	**(-)0.01**	**3.75**	**0.10**	
विविध														
31.	बिहार पेपर मिल लिमिटेड	1985-86	1997-98	(-)0.05	-	0.01	(-)0.06	-	0.00[16]	1.56	(-)0.31	1.44	(-)0.06	-

[13] ₹ 1,680.50
[14] ₹ 9,052.80
[15] ₹ 328.52
[16] ₹ 36,000

(कॉलम 5 (क) से 6 एवं 7 से 10 तक की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखें की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमि–करण हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)				आवर्त	अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी @	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल $	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
				ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
32.	बिहार राज्य ग्लेज्ड टाईल्स एवं सिरामिक्स लिमिटेड	1985-86	1997-98	(-)0.06	0.02	0.00[17]	(-)0.08	-	-	0.16	(-)0.51	3.50	0.06	-
33.	विश्वामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड	1984-85	1988-89	(-)0.01	-	0.00[18]	(-)0.01	-	-	0.40	(-)0.01	0.69	(-)0.01	-
34.	झंझारपुर पेपर उद्योग लिमिटेड	1985-86	1991-92	(-)0.01	0.00[19]	0.00[20]	(-)0.01	-	(-)0.03	0.42	(-)0.02	0.59	(-)0.01	-
35.	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	1988-89	1993-94	(-)0.16	0.16	0.00[21]	(-)0.32	-	-	1.03	(-)0.67	2.49	(-)0.16	-
36.	बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड	1983-84	1986-87	(-)1.49	-	-	(-)1.49	-	-	1.47	(-)2.13	6.15	(-)1.49	-
37.	सिन्थेटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लिमिटेड	1983-84	1987-88	(-)0.02	0.00[22]	-	(-)0.02	-	-	0.09	(-)0.01	0.17	(-)0.02	-
38.	भवानी ऐक्टीव कार्बन लिमिटेड	1985-86	1989-90	(-)0.01	-	-	(-)0.01	-	-	0.02	(-)0.01	0.01	(-)0.01	-

[17] ₹ 47,550.94
[18] ₹ 7,623.00
[19] ₹ 2,533.30
[20] ₹. 421.36
[21] ₹22,074.77
[22] ₹5,814.45

(कॉलम 5 (क) से 6 एवं 7 से 10 तक की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखें की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमि–करण हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)				आवर्त	अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी @	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल $	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता
				ब्याज एवं ह्रास के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
39.	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1982-83	2004-05	(-)0.25	0.08	0.04	(-)0.37	-	(-)0.01	5.14	(-)2.92	2.56	(-)0.29	-
40.	बिहार स्कूटर लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रक्षेत्रवार योग				**(-)2.06**	**0.26**	**0.05**	**(-)2.37**	**-**	**(-)0.04**	**10.29**	**(-)6.59**	**17.60**	**(-)2.11**	
योग–ग (प्रक्षेत्रवार सभी अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)				**(-)6.02**	**15.69**	**3.39**	**(-)25.10**	**49.23**	**(-)14.96**	**101.27**	**(-)188.47**	**111.13**	**(-)9.41**	
कुल योग (क+ख+ग)				**437.47**	**264.25**	**161.36**	**11.86**	**7974.12**	**(-)53.05**	**7469.70**	**(-)2064.08**	**15022.13**	**276.11**	

उपर्युक्त वर्णित कम्पनियों में कार्यशील कम्पनियों की क्रम सं0 3 तथा अकार्यशील कम्पनियों की क्रम सं0 7 से 12, धारा 619–ब की कम्पनी हैं।

लेखा पर लेखा टिप्पणियों के प्रभाव में सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सी0ए0जी0 के शुद्ध टिप्पणियाँ शामिल हैं और (+) इसमें लाभ में वृद्धि/हानि में कमी एवं (-) लाभ में कमी/हानि में वृद्धि को दर्शाते हैं।

@ वित्तीय कम्पनियों एवं निगमों जहाँ नियोजित पूँजी, प्रदत्त पूँजी, मुक्त संरक्षित बाण्डों, जमा एवं उधारों (पुनर्वित सहित) के समग्र योग के औसत का द्योतक है, को छोड़कर नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत कार्य प्रगति सहित) एवं कार्यचालन पूँजी, के योग का द्योतक है। 01 अप्रैल 2011 के प्रभाव से कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची IV में संशोधन के नियोजित उपरांत पूँजी की गणना अंशधारकों का कोष (जैसा कि अंश पूँजी, आवंटन हेतु अंश आवेदन राशि, संचित हानि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद के मुक्त संचय) एवं दीर्घकालीन ऋणों के योग से की गई है।

$ नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की गणना लाभ–हानि लेखे पर आय एवं भारित ब्याज को जोड़कर किया गया है।

** इन सा0क्षे0उ0 की लेखाओं की सी0ए0जी0 द्वारा लेखापरीक्षा प्रगति में हैं।

*** सांविधिक निगमों के लेखाओं की सी0ए0जी0 द्वारा लेखापरीक्षा प्रगति में हैं,जो कि इन निगमों के एकमात्र लेखापरीक्षक है।

परिशिष्ट – 1.4

(कंडिका 1.14 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों की वितीय स्थिति की विवरणी

(राशि: ₹ करोड़ में)

1. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ♦			
विवरण	**2011-12** (औपबंधिक)	**2012-13** (औपबंधिक)	**2013-14** (औपबंधिक)
(क) दायित्त्व			
पूँजी (पूँजी ऋण एवं अंश पूँजी सहित)	101.27	101.27	101.27
ऋण (सरकार)	545.42	547.79	547.79
(अन्य)	-	-	-
निधि **	0.30	0.30	0.30
व्यापार बकाया एवं अन्य चालू दायित्त्व (प्रावधान सहित)	722.77	754.81	851.22
कुल – क	**1369.76**	**1404.17**	**1500.58**
ख – परिसम्पत्तियाँ			
सकल सम्पत्तियाँ	-	-	-
घटेः मूल्य ह्रास	-	-	-
शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ	27.00	22.00	25.00
पूँजीगत कार्य में प्रगति (चेचिस मूल्य शामिल)	-	-	-
निवेश	-	-	-
चालू सम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	149.75	88.00	80.00
संचित हानियाँ	1193.01	1294.17	1395.58
कुल – ख	**1369.76**	**1404.17**	**1500.58**
ग – नियोजित पूँजी	(-)546.32	(-)645.11	(-)746.52
2. बिहार राज्य वित्त निगम♦			
विवरण	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**
(क) दायित्त्व			
प्रदत्त पूँजी *	77.84	77.84	77.84
अंश आवेदन राशि	-	-	-
संचित कोष, अन्य संचितें एवं आधिक्य	10.05	10.05	10.05
ऋण	-	-	-
बाण्डस एवं ऋण पत्र	-	-	-
सावधि जमा	-	-	-
आई0डी0बी0आई0 / एस0आई0डी0बी0आई0	-	-	-
भारतीय रिजर्व बैंक	-	-	-
अंश पूँजी हेतू ऋण (अ)राज्य सरकार (ब) आई0डी0बी0आई0	228.47	228.47	228.47
पुर्नवित्त ऋण आई0डी0बी0आई0 & एस0आई0डी0बी0आई0			
राज्य सरकार द्वारा अन्य भुगतान			

♦ निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।
** मुल्यह्रास की निधी को छोड़कर
♦ निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।
* प्रदत्त पूँजी में अंश आवेदन पूँजी सम्मिलित है।

चालू दायित्त्व एवं प्रावधान	281.51	292.55	306.33
कुल – क	**597.87**	**608.91**	**622.69**
ख – परिसम्पत्तियाँ			
रोकड़ एवं बैंक शेष	61.12	65.01	66.46
निवेश	0.04	0.04	0.04
ऋण एवं अग्रिम	143.92	140.17	138.90
शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ	0.64	0.60	0.74
अन्य सम्पत्तियाँ	10.01	10.14	11.97
विविध व्यय	382.14	392.95	404.58
कुल – ख	**597.87**	**608.91**	**622.69**
(ग) नियोजित पूँजी **	31.98	34.75	39.92
3. बिहार राज्य भण्डारण निगम ♦			
विवरण	**2011-12** (औपबंधिक)	**2012-13** (औपबंधिक)	**2013-14** (औपबंधिक)
क – दायित्त्व			
प्रदत्त पूँजी	6.42	6.42	6.42
संचिते एवं आधिक्य	11.59	11.59	11.59
सरकार द्वारा अर्थसाहाय्य	-	16.00	16.80
ऋण – सरकार, अन्य	0.01	0.01	0.01
व्यापारिक बकाये एवं अन्य दायित्त्व (प्रावधानों के साथ)	34.66	55.31	41.86
कुल – क	**52.68**	**89.33**	**76.68**
ख – परिसम्पत्तियाँ			
सकल परिसम्पत्तियाँ	22.30	22.43	22.46
घटेः मूल्य ह्रास	8.86	9.58	10.25
शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ	13.44	12.85	12.21
पूँजीगत कार्य प्रगति में	-	5.64	5.79
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	39.24	70.84	58.68
लाभ एवं हानि खाता	-	-	-
कुल – ख	**52.68**	**89.33**	**76.68**
ग नियोजित पूँजी #	**19.09**	**19.09**	**19.09**

नियोजित पूँजी अंषधारक कोष+मुक्त संचय + 01 अप्रैल 2011 से प्रभावी संषोधित अनुसूची IV के अनुसार दीर्घावधि ऋण का प्रतिनिधित्व करता है।

परिशिष्ट – 1.5

(कंडिका 1.14 में संदर्भित)

सांविधिक निगम के कार्यकारी परिणामों की विवरणी

(राशि: ₹ करोड़ में)

1	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम♦			
	विवरण	2011-12 (औपबंधिक)	2012-13 (औपबंधिक)	2013-14 (औपबंधिक)
	प्रचालन सम्बन्धी			
(a)	राजस्व	21.03	18.00	13.13
(b)	व्यय	36.46	27.24	25.76
(c)	आधिक्य (+)/घाटा(–)	(-) 15.43	(-) 9.24	(-)12.63
	अप्रचालन सम्बन्धी			
(a)	राजस्व	10.35	8.00	10.49
(b)	व्यय	94.15	99.92	274.58
(c)	आधिक्य (+)/घाटा (–)	(-)83.80	(-) 91.92	(-)264.09
	राजस्व	31.38	26.00	21.05
	व्यय	130.61	127.16	122.46
	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	(-) 99.23	(-) 101.16	(-)101.41
	पूँजी एवं ऋण पर ब्याज	89.63	97.70	96.70
	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	(-)9.6	(-)3.46	(-)4.71
2	**बिहार राज्य वित्तीय निगम♦**			
	विवरण	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**
1	**आय**			
i)	ऋण पर ब्याज	5.78	6.86	8.16
ii)	अन्य आय	7.70	9.89	7.70
iii)	अधिक प्रावधान अपलेखन	20.65	3.81	6.04
	कुल – 1	**34.13**	**20.56**	**21.90**
2.	**व्यय***			
i)	(क) दीर्घकालीन ऋण एवं अल्पकालीन ऋणों पर ब्याज	19.03	16.35	16.42
	(ख) अक्रियाशील सम्पतियों के लिए प्रावधान	-	-	-
	(ग) एफ0बी0टी0/मैट के मद में प्रावधान	-	-	-
	(घ) अन्य व्यय	15.04	15.01	17.12
	कुल – 2	**34.07**	**31.36**	**33.54**
3.	कर के पूर्व लाभ (+)/हानि(–) (1–2)	0.06	(-)10.80	(-)11.63
4.	कर का प्रावधान	-	-	-
5.	अन्य विनियोजन	-	-	-
6.	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि#	-	-	-
7.	लाभांश	-	-	-
8.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	19.09	5.55	4.79[23]
9.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	59.69	15.94	12.00

♦ आँकड़े निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।

♦ आँकड़े निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।

* वर्ष के अक्रियाशील सम्पत्तियों के लिये प्रावधान को व्यय शीर्ष के अन्तर्गत अलग से दिखाया जा सकता है।

\# लाभांश हेतु निर्दिष्ट संचय के पश्चात् वर्तमान वर्ष की आय की उपलब्धता को इंगित करता है।

[23] आँकडों में वर्ष 2013–14 के दौरान अधिक अपलिखित प्रावधान जिससे वापस उलट दिया गया है, शामिल है।

3	**बिहार राज्य भण्डारण निगम** ♦			
	विवरण	**2011-12** (औपबंधिक)	**2012-13** (औपबंधिक)	**2013-14** (औपबंधिक)
1.	**आय**			
(क)	भण्डारण प्रभार	12.37	13.86	16.53
(ख)	अन्य आय	57.88	62.52	60.37
	योग – 1	**70.25**	**76.39**	**76.90**
2.	**व्यय**			
(क)	स्थापना शुल्क	8.14	5.74	6.97
(ख)	अन्य व्यय	61.87	58.09	48.20
	योग–2	**70.01**	**63.83**	**55.17**
3	कर के पूर्व लाभ(+)/हानि(–)	0.24	12.56	21.73
4.	पूर्वावधि समायोजन	-	-	-
5.	अन्य विनियोजन	-	-	-
6.	लाभांश के लिये उपलब्ध राशि	0.24	12.56	21.73
7.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	NA	NA	NA
8.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	-	-	-

♦ आँकड़े निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।

परिशिष्ट – 1.6

(कंडिका 1.22 में संदर्भित)

सा0क्षे0उ0 जिनके लेखे बकाये में हैं, में राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश को दर्शाने वाली विवरणी

(राशि : ₹ करोड़ में)

क्र0 सं.	सा0क्षे0उ0 का नाम	वर्ष जहाँ तक के लेखे पूर्ण है	अद्यतन पूर्ण किये गये लेखे के अनुसार प्रदत्त पूँजी	राज्य सरकार द्वारा उन वर्षों में निवेश जिनके लेखे बकाया में हैं				
				अंश पूँजी	ऋण	अनुदान राशि	अन्य (अर्थसाहाय्य)	कुल
1.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	1999-2000	3.71	-	2.28	59.69	-	61.97
2.	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1992-93	1.75	1.25	5.63	-	0.26	7.14
3.	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	2005-06	15.12	-	53.48	-	-	53.48
4.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1997-98	3.62	17.74	7.49	-	-	25.23
5.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	2009-10	11.50	22.39	-	55.00	-	77.39
6.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	1994-95	1.00	-	0.01	-	-	0.01
7.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2000-01	9.97	-	-	11.00	-	11.00
8.	बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	2000-2001	99.04	-	147.70	-	-	147.70
9.	बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड	2012-13	551.99	-	-	13.38	-	13.38
10.	बिहार स्टेट पावर ट्रॉंसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2012-13	375.41	590.35	-	-	-	590.35
11.	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2012-13	662.48	-	276.31	-	# 1630.95	1907.26
12.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2010-11	5.00	-	-	-	12.00	12.00
13.	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति विकास निगम लिमिटेड	1990-91	4.46	0.81	1201.23	-	-	1202.04
14.	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2012-13	6.74	-	-	363.90	-	363.90
15.	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	1998-99	0.48	-	-	-	205.00	205.00
	कुल (क)		**1752.27**	**632.54**	**1694.13**	**502.97**	**1848.21**	**4677.85**
1.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2004-05	101.27	-	456.77	-	-	456.77
2.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	2009-10	6.42	-	-	16.00	16.80	32.80
	कुल (ख)		**107.69**	**-**	**456.77**	**16.00**	**16.80**	**489.57**
	कुल (क +ख)		**1859.96**	**632.54**	**2150.90**	**518.97**	**1865.01**	**5167.42**
1.	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	1978-79	5.00	5.00	154.33	-	-	159.33

2.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	1982-83	5.60	5.22	18.78	-	55.41	79.41
3.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1991-92	7.57	0.07	24.66	-	-	24.73
4.	बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	1994-95	2.10	-	4.65	21.07	-	25.72
5.	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	1983-84	6.28	3.72	0.25	-	0.48	4.45
6.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	1990-91	7.18	-	1.66	-	2.46	4.12
7.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	1987-88	14.04	-	38.47	-	-	38.47
8.	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	1994-95	7.00	2.00	1.05	-	-	3.05
9.	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1984-85	9.97	10.03	365.32	-	-	375.35
10.	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1985-86	3.62	12.92	6.30	-	-	19.22
11.	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	1987-88	4.98	5.80	2.74	-	-	8.54
12.	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	1991-92	2.00	-	2.21	-	0.07	2.28
13.	बिहार स्टेट फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड	1983-84	1.47	-	9.18	-	-	9.18
14.	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1982-83	5.14	12.26	43.18	-	-	55.44
15.	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	**	-	-	6.09	-	-	6.09
	कुल (ग)			**57.02**	**678.87**	**21.07**	**58.42**	**815.38**
	कुल योग (क+ख+ग)			**689.56**	**2829.77**	**540.04**	**1923.43**	**5982.80**

** लेखे शुरूआत से हीं नहीं बनाये गये थे।

* आँकड़े कम्पनियों द्वारा समर्पित सूचनाओं पर आधारित हैं।

आँकड़ों में अर्थसहाय्य एवं अनुदान दोनों शामिल हैं।

परिशिष्ट – 2.1

(कंडिका 2.3 में संदर्भित)

31 मार्च 2013 तक समाप्त हुए चार वर्ष के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की वित्तीय स्थिति

(राशि : ₹ करोड़ में)

निधि का स्रोत :				
विवरण	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12 (औपबन्धिक)**	**2012-13 (औपबन्धिक)**
अंशधारकों की पूंजी (अंश पूंजी)	5.00	5.00	5.00	5.00
संचय एवं अधिक्य	5.90	7.98	10.07	12.10
स्थगित सरकारी अनुदान	2.08	1.25	-	1.39
चालू दायित्व	50.34	57.62	69.01	110.74
कुल	**63.32**	**71.85**	**84.08**	**129.23**
निधियों का उपयोग :				
स्थायी परिसम्पतियाँ: सकल समूह	9.45	9.74	7.39	8.44
घटायें : ह्रास	5.51	6.54	5.74	5.53
स्थायी सम्मपति: शुद्ध समूह	3.94	3.20	1.65	2.91
निवेश	0.35	0.35	0.36	0.36
चालू सम्मपति	59.03	68.30	82.07	125.96
कुल	**63.32**	**71.85**	**84.08**	**129.23**

नोट : वर्ष 2013–14 हेतु अन्तिम लेखे कम्पनी द्वारा तैयार नहीं किये गये थे।

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए चार वर्षों के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की कार्यकारी परिणाम :

(राशि - ₹ करोड़ में)

आय :				
विवरण	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12 (औपबंधिक)**	**2012-13 (औपबंधिक)**
प्रचालन से राजस्व (कुल आय का प्रतिशत)	8.29 (80.72)	9.80 (85.44)	9.79 (89.00)	11.45 (83.33)
अन्य आय	1.98	1.67	1.21	2.29
कुल	**10.27**	**11.47**	**11.00**	**13.74**
व्यय :				
कर्मचारियों को किया गया भुगतान एवं उनके लिये किया गया प्रावधान	2.83	2.83	3.34	4.46
परिचालन एवं रखरखाव लागतें	3.15	3.80	3.49	4.12
मुख्यमंत्री राहत कोष	-	-	1.00	1.00
मूल्यह्रास	1.56	1.03	0.22	0.27
कार्यालय एवं अन्य व्यय	0.84	0.64	0.49	0.85
पूर्ववर्ती आय / व्यय	00	00	0.02	-
कुल	**8.38**	**8.30**	**8.56**	**10.70**
कर के पहले लाभ	1.89	3.17	2.44	3.04
घटायें : कर के लिये प्रावधान	0.82	1.09	0.80	1.01
कर के बाद लाभ	1.07	2.08	1.64	2.03
लाभ में प्रतिशत वृद्धि	-	94.39	(21.15)	19.21

नोट : वर्ष 2013–14 हेतु लेखे कम्पनी द्वारा तैयार नहीं किये गये थे।

परिशिष्ट 2.2

(कंडिका 2.9.1 में संदर्भित)

बैंक खातों में पड़ी हुई असमायोजित राशि में कमी को दर्शाने वाली विवरणी

क्र0 सं0	इकाई का नाम	बैंक का नाम	खाता सं0	कमियाँ (₹)	कमियाँ कब से लेखाओं में चली आ रही है।
1	मुख्यालय, पटना	बैंक ऑफ इंडिया	1204	66,89,755.61	01.04.2001
		इलाहाबाद बैंक	112401	14,181.00	01.04.2001
		यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	14320	23,72,021.00	01.04.2001
2	मुख्यालय, मनेर	बैंक ऑफ इंडिया	6683	17,863.98	01.04.2005
		बैंक ऑफ इंडिया	15031	6053.00	01.04.2005
3	परिवहन इकाई, पटना	बैंक ऑफ इंडिया	12322	15,08,699.97	01.04.2001
4	ट्रैवेल एवं ट्रेड, पटना	बैंक ऑफ इंडिया	682	2007.00	01.04.2007
5	होटल शेरशाह विहार, सासाराम	बैंक ऑफ इंडिया	4606101 00006797	1,07,955.88	01.04.2001
6	होटल कैमूर विहार, मोहनियां	पंजाब नेशनल बैंक	4062	2,76,057.04	01.04.2001
7	टुरिस्ट कम्पलेक्स, बोधगया	बैंक ऑफ इंडिया	1811	6,45,171.60	-
8	रज्जुमार्ग, राजगीर	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1100006562	6,96,300.75	01.04.2001
9	होटल गौतम विहार, राजगीर	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1100050013	4,01,763.52	01.04.2001
10	होटल तथागत विहार, राजगीर	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	11384967615	98,449.00	01.04.2001
		स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	11384967536	8,632.00	01.04.2001
11	होटल लिच्छवी विहार, मुजफ्फरपुर	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1100050280	1,80,903.18	-
			कुल	**1,30,25,814.53**	

अर्थात् ₹ 1.30 करोड़

परिशिष्ट 2.3

(कंडिका 2.10 में संदर्भित)

राज्य में पर्यटकों के आगमन एवं वर्ष 2009–10 से 2013–14 के दौरान उनके द्वारा कम्पनी की आवासीय सुविधा का उपयोग सहित विवरण

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भारत में भ्रमण हेतु आये विदेशी पर्यटकों की संख्यां (लाख में)[24]	51.68	57.76	63.09	65.78	68.48
बिहार में भ्रमण हेतु आये पर्यटक					
घरेलू (लाख में)	157.85	160.43	183.97	214.47	215.88
विदेशी (लाख में)	4.23	5.41	9.72	10.97	6.79
कुल (लाख में)	**162.08**	**165.84**	**193.69**	**225.44**	**222.67**
भारत में आये विदेशी पर्यटकों की तुलना में बिहार में आये पर्यटकों की प्रतिशतता	8.18	9.37	15.41	16.68	9.92
पूर्व वर्ष की तुलना में पर्यटकों में हुई वृद्धि की प्रतिशतता।	--	2.32	16.79	16.39	-1.23
वैसे पर्यटकों की संख्यां जिन्होंने कम्पनी की आवासीय सुविधा का उपभोग किया					
घरेलु (लाख में)	0.33	0.38	0.39	0.35	0.28
विदेशी (लाख में)	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01
कुल (लाख में)	**0.35**	**0.39**	**0.41**	**0.36**	**0.29**
वैसे पर्यटकों का प्रतिशत (घरेलू एवं विदेशी दोनों) जिन्होंने कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गये सुविधा का उपभोग किया	0.22	0.24	0.21	0.16	0.13

(स्रोत : कैलेंडर वर्षों हेतु, भारतीय पर्यटन, भारत सरकार एवं पर्यटन निदेशालय, बिहार सरकार तथा कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े)

[24] वर्ष के लिए विदेशी पर्यटकों से संबंधित आंकड़े माह जनवरी से दिसम्वर तक के हैं।

परिशिष्ट - 2.4

(कंडिका 2.10.1 में संदर्भित)

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्व–प्रबन्धित होटलों की सूची

31 मार्च 2010 तक स्व–प्रबन्धित होटलों की सूची :

1. होटल कौटिल्य विहार, पटना,
2. होटल लिच्छवी विहार, मुजफ्फरपुर,
3. होटल सिद्धार्थ विहार, बोधगया,
4. होटल बुद्ध विहार, बोधगया,
5. होटल सुजाता विहार, बोधगया,
6. होटल तथागत विहार, राजगीर,
7. होटल गौतम विहार, राजगीर,
8. होटल अजातशत्रु विहार, राजगीर,
9. होटल विश्वामित्र विहार, बक्सर,
10. होटल कोशी विहार, सहरसा,
11. होटल कैमूर विहार, मोहनियां,
12. होटल सिंघेश्वर विहार, मधेपुरा और
13. होटल शेरशाह विहार, सासाराम

31 मार्च 2014 तक स्व–प्रबन्धित होटलों की सूची :

1. होटल कौटिल्य विहार, पटना,
2. होटल लिच्छवी विहार, मुजफ्फरपुर,
3. होटल सिद्धार्थ विहार, बोधगया,
4. होटल बुद्ध विहार, बोधगया,
5. होटल सुजाता विहार, बोधगया,
6. होटल तथागत विहार, राजगीर,
7. होटल अजातशत्रु विहार, राजगीर,
8. होटल कैमूर विहार, मोहनियां,
9. होटल सिंघेश्वर विहार, मधेपुरा और
10. होटल रेणु विहार, पूर्णियाँ।

परिशिष्ट -2.5

(कंडिका 2.10.1 में संदर्भित)

कम्पनी की चार स्व–प्रबन्धित होटलों की संयुक्त जाँच में प्रेक्षित त्रुटियाँ

कम्पनी की निम्नलिखित होटलों की सुविधाओं एवं आसपास के वातावरण की जांच लेखापरीक्षा दल द्वारा संबंधित होटल प्रबंधकों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से किया गया जिसमें निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गई, जिसका मुख्य कारण अतिथियों में असंतोष की भावना एवं इसके फलस्वरूप निम्न अधिभोग था।

होटल सिद्धार्थ विहार, बोधगया

1. कमरों में बाथरूम के दरवाजों के पास डोर–मैट उपलब्ध नहीं था। डोर–मैट्स जो अन्य जगह पर उपलब्ध कराये गये थे उनकी स्थिति भी संताषजनक नहीं था।
2. कमरों में लगाये गये दो डिजाइनर लैम्पों में से एक काम नहीं कर रहा था।
3. वॉश बेसिन के पास के आइने के उपर लगे लैम्प को या तो हटा लिया गया था या वे काम नहीं कर रहे थे।
4. कमरा सं0 102 का झरना काम नहीं कर रहा था।
5. कमरा सं0 102 में पश्चिमी बनावट के शौचालय मे लगा फ्लश सिस्टम काम नहीं कर रहा था।
6. कमरा सं0 102 में नया स्पलिट ए0सी0 लगाया गया था परन्तु पुराना विंडो ए0सी0 को नहीं हटाया गया था जो कि अच्छा द्श्य नहीं दे रहा था। आगे, कमरा नं. 103 में लगे ए0सी0 का कैबिनेट टूटा हुआ था और इसलिए हवा के बहाव को मनोवांछित स्थिति में नियंत्रित नहीं किया जा सकता था।
7. कमरा सं0 102 मे पंखे का रेगुलेटर काम नहीं कर रहा था।
8. बाथरूम में छत और दीवारों पर डैम्प के निशान थे जो कि भद्दे नजर आ रहे थे।

होटल लिच्छवी विहार, मुजफ्फरपुर

1. नये भवन के कमरों में बढ़िया साज–सज्जा नहीं था, खिड़की और दरवाजे बिना परदे के थे और कमरों में उपलब्ध शय्या पुराने थे।
2. कमरों में लगाये गये दो डिजाइनर लैम्पों में से एक काम नहीं कर रहा था।
3. प्रावधान के अनुसार एक छोटा प्लास्टिक टेबल बाथरूम में रखा जाना था, परन्तु वो नहीं रखा गया था।
4. कमरा सं0 306 के दीवार की दरारें ठीक नहीं की गई थी।
5. कमरा सं0 103 एवं 104 में लगाये गये ए0सी0 कार्य नहीं कर रहे थे।
6. रिशेप्सन पर रखा सोफासेट बहुत गंदा/जीर्ण–शीर्ण था तथा आगन्तुकों के लिए खराब दृश्य प्रस्तुत कर रहा था।
7. होटल के आगे का प्रांगण में कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी एवं रात में अंधेरा रहता था।
8. होटल का पार्क का रख–रखाव सही नहीं था।
9. होटल के आसपास का वातावरण अच्छा नहीं था।

होटल कौटिल्य विहार, पटना

1. कमरा सं0 203, 206,209 एवं 310 में दीवार पर लगे पी0ओ0पी0 के चन्कस टुट कर गिर रहे थे।
2. कमरों में लगाये गये दो डिजाइनर लैम्पों में से एक काम नहीं कर रहा था।
3. कमरा सं0 209 में लगे ए0सी0, गीजर, एक्झॉस्ट फैन एवं बाथरूम का झरना काम नहीं कर रहा था।
4. कमरा सं0 202 के बाथरूम के दीवारों पर लगे टाइल्स गंदा था एवं डोर–बेल भी काम नहीं कर रहा था। पुरान विन्डो ए0सी0 खिड़की से हटाया नहीं गया था जो कि अच्छा दृश्य प्रस्तुत नहीं कर रहा था। कमरे में मकड़े के जाले पाये गये। बाथरूम के नाली में लगा स्टील जाली टुटा था।

5. कमरा सं0 209 का ए0सी0 बहुत पुराना था तथा सही काम नहीं कर रहा था, कमरे में टेलिविजन भी नहीं लगा था। बाथरूम फिटिंग्स जैसे गीजर, झरना एवं एक्झॉस्ट फैन काम नहीं कर रहा था।
6. सुईट रूम का डोर–बेल काम नहीं कर रहा था, पंखे का रेग्युलेटर बिना नॉब का था, बाथरूम का टॉवेल हैंगर टुटा हुआ था, टॉयलेट में लगा जेट काम नहीं कर रहा था एवं वाल फैन बिना सेफ्टी नेट का था।
7. कमरा सं0 312 का डोर–बेल काम नहीं कर रहा था, बाथरूम का नाली बिना जाली का था तथा अलमारी की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी।
8. कमरा सं0 108 में डोरबेल एवं डिजाइनर लैम्प काम नहीं कर रहा था, पुराने निकाले गये ए0सी0 को कमरे में हीं डम्प कर दिया गया था। कमरे में एक वेन्टीलेटर था जो कॉरीडोर के बॉक्स की ओर खुला था फलतः ए0सी0 की कार्यक्षमता को प्रभावित कर रहा था और इस प्रकार यह अधिक बिजली खपत का कारण भी था।

होटल तथागत विहार, राजगीर

1. कमरा सं0 115 के अलमारी की स्थिति सही नहीं थी एवं इसे बदलने की आवश्यकता थी।
2. होटल के पीछे का क्षेत्र साफ नहीं था, सीवेज एवं नाली बिना ढक्कन के था और खराब दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे।
3. तीसरे तल्ले के छत से पानी का रिसाव हो रहा था।

परिशिष्ट -3.1

(कंडिका 3.1 एवं 3.6.1 में संदर्भित)

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणामें

वित्तीय स्थिति

(औपबंधिक आँकड़े : ₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
पूँजी	101.27	101.27	101.27	101.27	101.27
उधारियां (सरकारी)	305.73	427.07	556.42	556.42	556.42
(अन्य)	--	--	--	--	--
निधियां[25]	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
व्यापारिक वकाया एवं अन्य चालू दायित्व (प्रावधान सहित)	1212.23	922.53	711.77	746.18	834.58
कुल	**1619.53**	**1451.17**	**1369.76**	**1404.17**	**1492.57**
सकल समूह	--	--	--	--	--
घटे: मूल्य ह्रास	--	--	--	--	--
शुद्ध स्थाई परिसम्पतियाँ	37.00	32.00	27.00	22.00	17.00
पूँजीगत कार्य प्रगति में (चेसिस मूल्य सहित)	--	--	--	--	--
निवेश	--	--	--	--	--
चालू सम्पितियां, ऋण एवं अग्रिम	495.90	325.39	149.75	88.00	80.00
संचित हानियाँ	1086.63	1093.78	1193.01	1294.17	1395.57
कुल	**1619.53**	**1451.17**	**1369.76**	**1404.17**	**1492.57**
निवेशित पूँजी#	**(-) 679.33**	**-**	**(-) 535.02**	**(-) 636.18**	**(-) 737.58**

[25] मूल्यह्रास निधि को छोड़कर

निवेशित पूँजी में शामिल है शुद्ध स्थायी परिसम्पतियाँ (पूँजीगत कार्य प्रगति में, सहित कर) योग कार्यशील पूँजी।

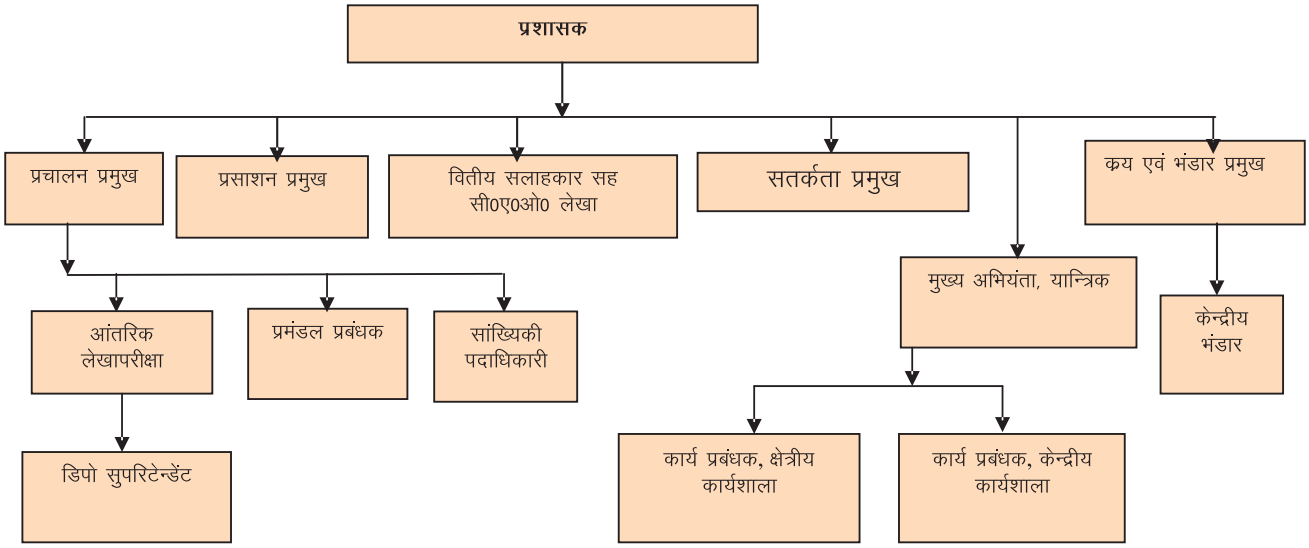
कार्यकारी परिणामें (औपबंधिक आँकड़े : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	कुल राजस्व	22.23	19.56	31.38	26.00	21.06
2.	संचालन राजस्व	19.50	19.56	21.03	18	13.13
3.	**कुल व्यय**	**85.72**	**39.89**	**130.61**	**127.16**	**122.46**
4.	संचालन व्यय	49.54	36.93	40.98	29.46	25.76
5.	संचालन से लाभ/हानि	-30.04	-17.37	-19.95	-11.46	-12.63
6.	**वर्ष के लिए लाभ/हानि**	**-63.49**	**-20.33**	**-99.23**	**-101.16**	**-101.40**
7.	स्थायी लागत					
	(i) कर्मचारी	25.70	18.41	18.58	15.30	12.24
	(ii) मूल्यह्रास	-	-	-	-	-
	(iii) सरकार से प्राप्त ऋण पर ब्याज	18.53	-	71.10	80.90	80.90
	(iv) सी0पी0एफ0 पर ब्याज	17.65	2.97	18.53	16.80	15.80
	(v) अन्य	6.43	5.07	5.07	2.22	3.06
	कुल स्थायी लागतें	**68.31**	**26.45**	**113.28**	**115.42**	**112.00**
8.	परिवर्तनीय लागतें					
	(i) इंधन एवं ल्यूब्रीकेंट	-	-	-	-	-
	(ii) टायर एवं ट्यूब	11.18	14.08	14.91	13.06	10.13
	(iii) अन्य मदें/स्पेयर	0.67	0.50	0.82	0.58	0.45
	(iv) कर (मोटर वाहन कर, पैसेंजर कर, इत्यादि)	1.60 0.35	1.71 0.44	1.83 0.38	1.47 0.29	1.27 0.33
	कुल अस्थायी लागतें	**13.80**	**16.73**	**17.94**	**15.40**	**12.18**
9.	प्रभावी कि0मी0 संचालित (लाख में)	122.48	138.35	136.94	100.65	70.91
10.	आय प्रति कि0मी0(₹ में) (1/9)	18.15	14.14	22.92	25.83	29.70
11.	स्थायी लागतें प्रति कि0मी0 (₹ में) (7/9)	55.77	19.12	82.72	114.67	157.95
12.	परिवर्तनीय लागतें प्रति कि0मी0 (₹ में) (8/9)	11.27	12.09	13.10	15.30	17.18
13.	लागत प्रति कि0मी0 (₹ में) (3/9)	69.99	28.83	95.38	126.34	172.70
14.	शुद्ध आय प्रति कि0मी0 (₹ में) (10-13)	-51.84	-14.69	-72.46	-100.51	-143.00
15.	यातायात से राजस्व	19.50	19.56	21.03	18	13.13
16.	यातायात से राजस्व प्रति कि0मी0 (₹ में) (15/9) (प्रचालन से राजस्व)	15.92	14.14	15.36	17.88	18.52
17.	प्रचालन से हानि प्रति कि0मी0 (₹ में) (5/9)	24.53	12.56	14.57	11.39	17.81
18.	अंशदान प्रति कि0मी0(₹ में) (16-12)	4.65	2.05	2.26	2.58	1.34

परिशिष्ट -3.2

(कंडिका 3.2 में संदर्भित)

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की संगठनात्मक रूपरेखा



परिशिष्ट 3.3

(कंडिका 3.6.2 में संदर्भित)

सभी इनपुट लागतों को बिना ध्यान में लिए दरों के निर्धारण को दर्शाने वाली विवरणी

वर्ष	अवधि	बसों का अधिभोग (%में)	परिवर्तनीय लागतें प्रति कि0मी0 प्रति बस (₹)	2008-09 से परिवर्तनीय लागतों में वृद्धि (₹)	किराये में वृद्धि की तारीख	किराया प्रति कि0मी0 प्रति सीट (₹)		किराये में 2008–09 से संशोधन न करने के कारण प्रतिफलित प्रति कि0मी0 प्रति सीट वृद्धि/कमी (₹)	किराये में प्रति कि0मी0 प्रति बस प्रतिफलित वृद्धि/कमी (52 सीटों वाली बसों हेतु) (₹)	किराया वृद्धि में गिरावट	अवधि में प्राप्त प्रभावी कि0मी0		निगम को हानि (₹)
						सेमी–डिलक्स	डिलक्स				अवधि	कि0मी0	
1	**2**	**3**	**4**	**5= कॉलम 4- 2008-09 में कॉलम 4 का वैल्यु**	**6**	**7**	**8**	**9= कॉलम 7- 2008-09 में कॉलम 7 का वैल्यु**	**10= 52 सीट x कॉलम.3 में % x कॉलम 9**	**11=5-10**	**12**	**13**	**14 (13*11)**
2008-09		69	10.59		1.7.08	0.5	0.56						
2009-10	06/2009 से 03/2010	65	11.27	0.68	20.05.09	0.48	0.53	-0.02	-0.676	1.356	06/2009 से 03/2010	10274556	13932298
2010-11	04/2010 से 10/2010	64	12.09	1.5		0.48	0.53	-0.02	-0.666	2.166	04/2010 से 10/2010	7854926	17013770
	11/2010 से 03/2011	64	12.09	1.5	11.10.10	0.53	0.58	0.03	0.998	0.502	11/2010 से 03/2011	6158963	3091799
2011-12	04/2011 से 03/2012	64	13.10	2.51		0.53	0.58	0.03	0.998	1.512	04/2011 से 03/2012	13634558	20615452
2012-13	04/2012 से 09/2012	69	15.37	4.71		0.53	0.58	0.03	1.076	3.634	04/2012 से 09/2012	6019405	21874518
	10/2013 से 03/2013	69	15.37	4.71	9.10.12	0.63	0.72	0.13	4.664	0.046	10/2012 से 03/2013	4045095	186074
2013-14	04/2013 से 02/2014	76	17.18	6.59		0.63	0.73	0.13	5.1376	1.452	04/2013 से 02/2014	6590372	9569220
													86283131

अर्थात् **₹ 8.63 करोड़**

परिशिष्ट -3.4

(कंडिका 3.7.1 में संदर्भित)

बेड़ा–शक्ति एवं आयु रूपरेखा

कम सं.	वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	अधिआयु वाहनों की संख्यां	111	142	324	408	414
	निगम की अनुपयोगी बसों की प्रतिशतता	65	54	59	69	77
	नहीं चलाये गये अधिआयु वाहनों की संख्यां	72	83	191	281	318
2	प्रत्येक वर्ष बदले गये बसों की संख्यां	111	31	182	84	06
3	किमत दर प्रति बस (₹ लाख में)	14.00	14.00	19.16	23.00	23.00
4	बसों की लागत (₹लाख में) (2*3)	1554.00	434.00	3487.12	1932.00	138.00
5	प्रति दिन बस उत्पादकता (निगम का मानक)	280	280	280	280	280
6	यातायात राजस्व प्रति कि0मी0 (₹ में)	15.92	14.14	15.36	17.89	18.52
7	दिनों की संख्यां	365	365	365	365	365
8	संभाव्य राजस्व की हानि (₹ करोड़ में) (1*5*6*7)	11.71	11.99	30.07	51.37	60.16

परिशिष्ट - 3.5

(कंडिका 3.7.6 में संदर्भित)

अप्रयुक्त अभिसूचित किलोमीटर को दर्शाने वाली विवरणी

(लाख कि0मी0 में)

क्र0 सं0	विवरणी	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	अभिसूचित किलोमीटर	216.75	216.75	216.84	216.75	216.75
2.	प्रभावी किलोमीटर	81.83	98.31	101.82	75.90	50.38
3.	निरस्त किलोमीटर	134.92	118.44	115.02	140.85	166.37
4.	निरस्तीकरण की प्रतिशतता	62.25	54.64	53.04	64.98	76.76
कारण–वार विश्लेषण						
5.	बसों की कमी (प्रतिशतता)	98.49 (72.99)	89.05 (75.18)	86.41 (75.13)	109.05 (77.42)	133.65 (80.33)
6.	कर्मियों की कमी (प्रतिशतता)	17.62 (13.06)	14.03 (11.84)	14.55 (12.65)	16.25 (11.54)	16.31 (9.80)
7.	अन्य (जैसे, खराबी + दुर्घटना + अन्य) (प्रतिशतता)	18.81 (13.95)	15.36 (12.98)	14.06 (12.22)	15.55 (11.04)	16.41 (9.86)
8.	अंशदान प्रति कि0मी0 (₹)	4.65	2.05	2.26	2.58	1.34
9.	परिहार्य निरस्तीकरण (बसों एवं कर्मियों की कमी के कारण)	116.11	103.08	100.96	125.30	149.96
10.	अंशदान की हानि (8*9) (₹ लाख में)	539.91	211.31	228.17	323.27	200.95

(स्रोत : 11 डिपो के संबंध में से संबधित निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार)

परिशिष्ट - 3.6

(कंडिका 3.7.7 में संदर्भित)

मानव–शक्ति लागत को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम सं0	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	वर्ष के अंत तक कुल मानव–शम्ति (सं0)	2036	1765	1516	1204	920
2.	मानव–शक्ति लागत (₹ करोड़ में)	25.70	18.41	18.58	15.30	12.24
3.	कुल व्यय	85.72	39.89	130.61	127.16	122.46
4.	कुल व्यय की तुलना में मानव– शक्ति लागत की प्रतिशतता (प्रतिशत में)	(29.98)	(46.15)	(14.22)	(12.03)	(10.00)
5.	प्रभावी कि0मी0 (लाख में)	122.48	138.35	136.94	100.65	70.91
6.	लागत प्रति प्रभावी कि0मी0 (₹)	20.98	13.31	13.57	15.20	17.26
7.	प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति उत्पादकता (कि0मी0)	16.48	21.48	24.75	22.90	21.12
8.	सड़कों पर चालू बसों की औसत संख्यां	145	171	170	129	95
9.	प्रति चालू बस पर मानव–शक्ति	14.04	10.32	8.92	9.33	9.68

परिशिष्ट – 3.7

(कंडिका 3.7.8 में संदर्भित)

ईंधन खपत को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम सं0	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	सकल किलोमीटर (लाख में)	126.46	143.78	145.18	108.57	75.37
2.	निगम द्वारा निर्धारित किलोमीटर प्रति लीटर का लक्ष्य	4.00	4.00	4.20	4.30	4.30
3.	प्रति लीटर प्राप्त किलोमीटर (के0एम0पी0एल0)	3.97	4.11	4.22	4.30	4.29
4.	श्रेणी में अखिल भारतीय औसत	5.13	5.16	5.06	5.07	5.10
5.	वास्तविक खपत (लाख लीटर में)	31.81	34.99	34.37	25.26	17.58
6.	भारतवर्ष में तय मानकों के अनुसार खपत (लाख लीटर में) (1/4)	24.65	27.86	28.69	21.41	14.78
7.	अधिक खपत (लाख लीटर में) (5-6)	7.16	7.13	5.68	3.85	2.80
8.	प्रति लीटर औसत लागत (₹)	36.85	39.06	42.48	52.21	59.80
9.	अतिरिक्त व्यय (₹ करोड़ में) (7*8)	2.64	2.78	2.41	2.01	1.67

परिशिष्ट – 4.1

(कंडिका 4.1.8 में संदर्भित)

औद्योगिक नीति के अन्तर्गत प्रदान किए गए अनियमित छूट को दर्शाने वाली विवरणी

उपभोक्ता का नाम	चोरी की अवधि	अनियमित छुट की राशि (₹ में)							कुल अनियमित छुट (₹ में)
		दिसम्बर 07	जनवरी 08	फरवरी 08	मार्च 08	अप्रील 08	मई 08	जून 08	
मेसर्स जे0जी0 फाउन्ड्री लिमिटेड	28.12.07 से 27.06.08	15000	48750	138750	101250	131250	236250	361125	1032375
मेसर्स बालमुकुंद कॉनकास्ट लिमिटेड	17.01.08 से 01.07.08	0	1074556	1448250	1560750	1710750	1665750	1770750	9230806
मेसर्स पटवारी स्टील प्राइवेट लिमिटेड	10.01.08 से 30.06.08	0	462532	501750	441750	726750	794250	786750	3713782
मेसर्स दादीजी स्टील प्राइवेट लिमिटेड	28.12.07 से 27.06.08	80419	1163250	38250	98250	383250	668250	695925	3127594
मेसर्स दीना आयरन एवं स्टील लिमिटेड	20.02.08 से 20.08.08	0	0	41120	471750	299250	0	0	812120.7
मेसर्स गंगोत्री इलेक्ट्रोकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	01.03.08 से 27.06.08	0	0	0	400500	558000	393000	299700	1651200
मेसर्स गंगोत्री इलेक्ट्रोकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	12.01.08 से 28.02.08		143225	0					143225.8
									₹ 19711105 अर्थात् **₹ 1.97** करोड़

परिशिष्ट – 4.2

(कंडिका 4.6 में संदर्भित)

कंडक्टरों के क्रय में परिहार्य व्यय को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम सं0	सामग्री का नाम	पूर्ववर्ती कय आदेशों की मात्रा (कि0मी0 में)	पूर्ववर्ती कय आदेशों की मात्रा का 30% (कि0मी0 में)	पूर्ववर्ती कय आदेशों के अनुसार स्थानीय मूल्य (₹)	नये कय आदेश के अनुसार स्थानीय मूल्य (₹)	स्थानीय मूल्य में अन्तर (₹)	परिहार्य अधिव्यय (₹)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (6 -5)	(8) (4 * 7)
1	ए0सी0एस0आर0 खरगोश कंडक्टर	3500	1050	30671.98	35775.42	5103.44	5358612
2	ए0सी0एस0आर0 नेवला कंडक्टर	4000	1200	17498.95	20712.27	3213.32	3855984
3	ए0सी0एस0आर0 श्वान कंडक्टर	1000	300	60556.81	69464.15	8907.34	2672202
						कुल	**11886798**

अर्थात् ₹ 1.19 करोड़

परिशिष्ट - 4.3

(कंडिका 4.7 में संदर्भित)

मास्टर सेवा अनुबंध के अन्तर्गत परियोजनाओं के विवरण को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम सं0	परियोजना का नाम	प्राक्कलित निर्माण अवधि (महीनों में)	संविदा राशि (₹ करोड़ में)
1.	खगौल जलापूर्ति परियोजना	12	15.74
2.	दानापुर जलापूर्ति	21	67.01
3.	फुलवारीशरीफ जलापूर्ति	15	26.57
4.	मुजफ्फरपुर जलापूर्ति कार्य	24	56.56
5.	बोधगया जलापूर्ति परियोजना	15	27.06
6.	पटना जलापूर्ति	24	476.94
7.	रोसड़ा में सड़क के साथ नाली	9	23.74
8.	नरकटियागंज में सड़क के साथ नाली	9	33.85
9.	बोधगया सीवरेज	24	90.65
10.	सिवरेज प्रणाली एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, हाजीपुर	24	92.18
11.	सीवरेज प्रणाली एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बेगुसराय	24	56.18
12.	सिवरेज प्रणाली एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बक्सर	24	49.48
13.	सिवरेज प्रणाली एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मुंगेर	24	114.35
14.	राजगीर सीवेज परियोजना	9	42.15
15.	राजगीर आँधी–तुफान जलनिकास प्रणाली परियोजना	9	29.11
		कुल	**1201.57**

परिशिष्ट - 4.4

(कंडिका 4.12 में संदर्भित)

अधिव्यय के विवरण को दर्शाने वाली विवरणी

विवरण	डेस्कटॉप	लैपटॉप
ब्रांड का नाम	डेल	डेल
मॉडल का नाम	ऑप्टीपलेक्स 990	डेल लैटिट्यूड इ0 5420
प्रोसेसर	इंटेल कोर आई0 5	इंटेल कोर आई0 5
ऑपरेटिंग सिस्टम	विंडोज 7	विंडोज 7
बेलट्रान की लागत (₹ में)[26]	58,347/-	55,731/-
उसी ब्रांड की उत्पाद हेतु डी0जी0एस0एण्ड डी0 द्वारा तय लागत (₹ में) [27]	38,627/-	46,200/-
मुल्यों में अन्तर प्रति यूनिट (₹ में)	19,720/-	9,531/-
(274 + 348 डेस्कटॉप) एवं (300[28] लैपटॉप) के लिए मुल्यों में अन्तर (₹ में)	1,22,65,840/-	28,59,300/-
कुल अधिभुगतान (₹ में)	**1,51,25,140/- अर्थात् ₹ 1.51 करोड़**	

[26] वैट के साथ।
[27] वैट के साथ।
[28] आदेश सं0 389 के विरूद्ध वेन्डर द्वारा सिर्फ 300 लैपटॉप की आपूर्ति की गई थी।

परिशिष्ट -4.5

(कंडिका 4.12 में संदर्भित)

डेस्टॉप के दोनों मॉडलों की तुलना यथा कम्पनी द्वारा समर्पित जवाब एवं उसपर लेखापरीक्षा प्रेक्षण को दर्शाने वाली विवरणी

प्राचलिक	एम0टी0 मॉडल (डी0जी0एस0 एण्ड डी0 द्वारा की गई आपूर्ति)	एस0एफ0 (अल्ट्रा स्लिम मॉडल)(कम्पनी द्वारा की गई आपूर्ति)	कम्पनी की अभियुक्ति	लेखापरीक्षा प्रेक्षण
प्रोसेसर	सामान्य प्रोसेसर	*86 माइक्रोप्रोसेसर	बेहतर	दोनों मॉडल में एक हीं प्रोसेसर था।
मेमोरी	डी0डी0आर0 3	लो वोल्टेज मेमोरी	बेहतर	एस0 एफ0 में भी डी0डी0आर0 3 मेमोरी था
एच0डी0डी0	3.5 इंच	2.5 इंच	बेहतर	दोनों मॉडल में 2-5 इंच एच0डी0डी0 का विकल्प मौजूद था।
पावर	स्टेण्डर्ड 275 वाट पावर सप्लाई यूनिट कियाशील या ऐच्छिक 90 प्रतिशत तक दक्ष 275 वाट पावर सप्लाई यूनिट	90% तक दक्ष 200 वाट का पावर सप्लाई यूनिट।	अच्छी मात्रा में उर्जा बचत	एम0टी0 में स्टेण्डर्ड 265 वाट पावर सप्लाई यूनिट और एस0एफ0 में स्टैण्डर्ड 240 वाट पावर सप्लाई यूनिट था। अतः जवाब तथ्यों पर आधारित नहीं था।
ऑप्टिकल ड्राइव	16* डी0भी0डी0	8* अल्ट्रा ड्राइव	बेहतर	एस0एफ0 में 16 *डी0भी0डी0 शामिल है। जवाब तथ्यों पर आधारित नहीं है।

परिशिष्ट – 4.6

(कंडिका 4.14 में संदर्भित)

विभाग–वार बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि0प्र0) को दर्शाती विवरणी

क्रम सं0.	विभाग का नाम	सा0क्षे0उ0 की संख्या	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया कंडिकाओं की संख्या	वर्ष जहाँ से कंडिकाएँ बकाया में हैं
1.	उद्योग	2	10	33	2007-08
2.	सूचना प्राद्योगिकी	1	4	25	2007-08
3.	कृषि	1	3	12	2009-10
4.	उर्जा[29]	6	537	1228	2006-07
5.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	1	5	41	2008-09
6.	पर्यटन	1	3	22	2011-12
7.	शिक्षा	1	2	7	2010-11
8.	पथ निर्माण	2	4	35	2011-12
9.	गृह (आरक्षी)	1	4	34	2007-08
10.	परिवहन	1	3	20	2007-08
11.	सहकारिता	1	3	15	2008-09
12.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध	1	5	22	2008-09
13.	अल्पसंख्यक कल्याण	1	2	12	2011-12
14.	पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा कल्याण विभाग	1	1	5	2011-12
15.	शहरी विकास एवं आवास	1	2	32	2010-11
16.	भवन निर्माण	1	1	2	2012-13
	कुल	**23**	**589**	**1545**	

[29] इसमें पांच सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों जैसे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड , बिहार स्टेट जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट टांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के 535 निरीक्षण प्रतिवेदनें एवं 1218 कंडिकाएँ शमिल है, जिनका समामेलन, तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 01 नवम्बर 2012 से प्रभावी, भंग करने के फलस्वरूप, किया गया था।

परिशिष्ट – 4.7

(कंडिका 4.14 में संदर्भित)

विभाग–वार प्रारूप कंडिकाएँ/निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों जिनके जवाब अप्राप्त हैं, को दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	विभाग का नाम	प्रारूप कंडिकाओं की संख्यां	प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्याएँ	निर्गत अवधि
1	उर्जा	7	-	अप्रैल 2014 से अगस्त 2014
2	सूचना प्रौद्योगिकी	3	-	मई 2014 से अगस्त 2014
3	शिक्षा	1	-	मई 2014
4	भवन निर्माण	1	-	जून 2014
5	शहरी विकास एवं आवास	1	-	अगस्त 2014
6	परिवहन	-	1	जूलाई 2014
7	पर्यटन	-	1	अगस्त 2014